



कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान SOCIAL SCIENCE

Textbook

10

दसवीं कक्षा

भाग - II

Hindi Medium

Part - II

Karnataka Text Book Society (R.)

6th Cross, Malleshwaram,
Bengaluru - 560 003.

अनुक्रमणिका



अध्याय	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
17.	भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857)	1
18.	स्वतंत्रता संग्राम	6
19.	स्वातंत्र्योत्तर भारत	30
20.	महायुद्ध और भारत की भूमिका	35
	राजनीतिक-शास्त्र	
21.	भारत की विदेशांग नीति और वैश्विक समस्याएँ	45
22.	वैश्विक संस्थाएँ	56
	समाज-शास्त्र	
23.	सामूहिक व्यवहार तथा विद्रोह	69
24.	सामाजिक चुनौतियाँ	77
	भूगोल-शास्त्र	
25.	भारत में भू- उपयोग और कृषि	88
26.	भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन	100
27.	भारत के यातायात साधन एवं संपर्क साधन	109
28.	भारत के प्रमुख उद्योग	119
29.	भारत की प्राकृतिक आपदाएँ	126
	अर्थ-शास्त्र	
30.	ग्रामीण विकास	134
31.	सार्वजनिक वित्त और आय - व्यय	141
	व्यवहार-अध्ययन	
32.	उद्यमिता	152
33.	ग्राहकों की शिक्षा और रक्षा	160

इतिहास

अध्याय - 17

भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857)



इस अध्याय में निम्नलिखित अंश के बारे में जानेंगे।

- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण ।
- संग्राम के लिए तत्कालीन कारण ।
- संग्राम का विस्तार तथा स्वरूप ।
- संग्राम की विफलता और परिणाम ।

भारत में अपने अधिकार को विस्तार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने सहायक सेना पद्धति, और दत्तक पुत्रों के लिए अधिकार नहीं है, नामक नीतियों को जारी किये थे। इस नीतियों से कई संस्थान ब्रिटिशों के अधीन हुए। इससे भारतीयों को असंतुष्ट हुए। इनके प्रशासन के बारे में भी लोगों में नाराज़गी थी। यह अतृप्ति ने 1857 में महा प्रतिरोध के रूप में विस्फोट हुई। इसको कुछ भारतीय इतिहासकारों ने 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' कहा, तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको सिर्फ 'सिपाही दंगा' कहा है।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण :

राजनीतिक कारण : अंग्रेजों के द्वारा अधिनियमित 'दत्तक पुत्रों के लिए अधिकार नहीं है' नामक नीति से कई देशी संस्थान अपने अस्तित्व को खो बैठे थे। इस नीति से सतारा, जैटपुर, झाँसी, उदयपुर आदि संस्थान अंग्रेजों के अधीन हुए। डालहौसी ने तंजावूर और कर्नाटक नवाब के उपाधियों को रद्द कर दिया। मुगल चक्रवर्ती, अवध के नवाब आदि राजाओं को अंग्रेजों ने अधिकार से निष्कासित किया। परिणाम स्वरूप इनसे आश्रित असंख्य सैनिक बेरोजगार हुए। यह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के प्रतिरोध के लिए प्रेरक हुई।

आपको ज्ञात रहे :

इनाम कमिशन : दस्तावेजीकरण रहित इनाम जमीन को वश में किया।

आर्थिक कारण : इंग्लैंड में औद्योगिक संक्रमण के परिणाम से गृहोद्योग और देशीय कारखाने लुप्त होने लगे। इंग्लैंड सिर्फ व्यापारी राष्ट्र ने होकर कारखानों की कार्यशाला हुई। इससे भारत में स्थित कारीगर बेरोजगार हुए। विशेष रूप से कपड़े तथा ऊन कारखानों की नाश हुआ। बुननेवाले अपने रोजगार खो बैठे, गृहोद्योग ऐसे ही तीव्र आर्थिक नष्ट

से शीथिल हुए। भारत की वस्तुओं को इंग्लैंड में बेचने के लिए अंग्रेज अधिक कर थापा गया। जमीनदार पद्धति से सरकार और किसान के बीच स्थित जमीनदार कृषिक किसानों का शोषण करने लगे। राजस्व को वसूल करने के लिए तालुकदारों को दिये, अधिकार को वापस लिया गया। इनाम आयोग की नियुक्ति से इनाम भूमि को वापस प्राप्त किया गया। इससे किसानों को तीव्र अपमान तथा आर्थिक संकट को सहना पड़ा। यह भी किसानों के महान प्रतिरोध के लिए कारण बना।

प्रशासनिक कारण : अंग्रेजों ने नया नागरिक तथा अपराध अधिनियम को लागू किया। कानून में पक्षपात करते हुए और भारतीयों के लिए प्रत्येक नियमों को लागू किया गया। अंग्रेजी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाई गई। अंग्रेज न्यायाधीशों ने अधिकतर अंग्रेजों के पक्ष में न्याय फैसला करते थे। नई कानून के उद्देश्यों के बारे में लोगों को ज्ञात नहीं हुआ।

सैनिक कारण : अंग्रेजों की सेना में भारत के सिपाहियों की स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी। अंग्रेज सैनिकों के लिए जो स्थान - मान, वेतन, पदोन्नति के अवसर, भारतीय सिपाहियों के लिए नहीं दिया जाता था। भारतीय सैनिक को सागरोत्तर सेवा के लिए दबाव डालना, धार्मिक रूप से सैनिकों को उकसाना था।

आंदोलन का विस्फोट तथा प्रसार:

अंग्रेजी सेना में स्थित अत्यधिक मात्राओं के भारतीय सिपाहियों में विश्वास था कि वे एकजुट होकर अंग्रेजों को भारत से भगाने का आत्मविश्वास था। इस अवसर सैनिकों को 'रायल एनफील्ड' नामक नया बंदूक दिया गया। बंदूक में उपयोग किये जाने वाले कारतूसों पर सुअर और गाय की चर्बी को लेपित किये गये हैं, ऐसी अफवाह और फैल गई। हिंदुओं के लिए गाय, पवित्र था, मुस्लिम के लिए सुअर निषिद्ध था। इससे विद्रोह के लिए तुरंत कारण बना।

बैरकपुर में सैनिक टुकड़ी में अफवाह फैलने पर तीव्र आक्रोश के लिए कारण हुआ। सैनिकों को कारतूस को दांतों से काटकर निकालने के लिए अंग्रेजों ने आदेश देने पर उनके आदेशों को अस्वीकार कर, उन्नत अधिकारियों के विरुद्ध बैरकपुर के सैनिकों ने विद्रोह करने लगे। इस अवसर पर मंगल पांडे नामक सैनिक ने ब्रिटिश सेनाधिकारी की हत्या किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार करके, कार्यवाही के द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाया गया।

मेरठ अंग्रेजों के प्रबल सेना की अड्डा थी। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के लिए कारतूस को इस्तेमाल करने का आदेश दिया, तो भारतीय सैनिक इसको अस्वीकार किये, तब सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया। इससे मेरठ में दंगा शुरू हुआ, परिणाम स्वरूप सैनिकों ने कारागृह को घुसकर बंधित भारतीय सिपाहियों को स्वतंत्र किया। यह स्वतंत्रता संग्राम का बीजांकुर के लिए कारण था। बाद में सैनिकों का समूह ने मेरठ से दिल्ली पहुँचकर, वह लाल किले पर आक्रमण किया। वृद्ध मुगल बादशाह 'द्वितीय बहदुर शाह' को भारत का साम्राट घोषित किया। कई भागों से प्रतिरोध में निरत सिपाहियों दिल्ली पहुँचे। इससे प्रतिरोध तीव्र स्वरूप, पाकर दावागिरी की तरह दिल्ली, कानपुर तथा झाँसी में फैली गयी।



तांत्या टोपे

कानपुर में नाना साहेब भड़क उठा था। इसका तांत्या टोपे सहायक था। झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में दंगा हुआ। कानपुर, ब्रिटिश के वश होने के बाद तांत्या टोपे झाँसी रानी की सहायता करने के लिए आये।

लखनऊ में भी प्रतिरोध का प्रभाव पड़ा। पर अंत में लखनऊ को अंग्रेजों ने अपने वश कर लिया। यहाँ से संग्राम यमुना नदी से दक्षिण तक फैला इससे झाँसी के सिपाही प्रभावित हुए। 'दत्तक पुत्रों के लिए अधिकार नहीं' की यह नीति से कुपित झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। युद्ध के द्वारा ग्वालियर को अपने वश में कर लिया। दुबारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में शौर्य से लड़ती हुई रानी ने अपने प्राण त्याग दिये। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज भी रानी का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

दंगे की असफलता के कारण :

1857 में घटित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कई कारणों से असफल हुआ। यह आंदोलन सारे भारत में व्याप्त नहीं था। देश की मुक्ति से ज्यादा उनके स्वार्थ और अधिकार के लिए सिमित था। यह योजित आंदोलन न होकर अप्रत्यक्ष कारणों से प्रेरित आंदोलन था। ब्रिटिश सैनिकों में एकता तथा भारतीय सैनिकों में भिन्नता ने इस आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारण थे। इसके अलावा उचित मार्गदर्शन और व्यवस्थित संगठन की कमी थी।



झांसी रानी लक्ष्मीबाई

उसी तरह रणनीति, सैनिक कुशलता, उचित सेना-नेतृत्व, अनुशासन की कमी भारतीयों में थी, आंदोलनकारों में निश्चित ध्येय नहीं था। कई देशीय संस्थानों के राजाओं ने ब्रिटिशों पर अपनी स्वामी-निष्ठा से, सिपाहियों को अपना समर्थन नहीं दिया। सिपाहियों के द्वारा लूट, डकैती- आदि गंभीर कृत्यों से लोगों का विश्वास खो बैठा।

दंगे के परिणाम :

भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, अंत्य होकर, ब्रिटेन की साम्राज्यी को प्रशासन हस्तांतरित हुआ। भारत के व्यवहार को ब्रिटिश संसद ने भारत के व्यवहारिक महासचिव को सौंपा। 1858 में ब्रिटेन की रानी ने एक उद्घोषणा की। इस घोषणा को भारतीय महा अधिनियम (मेग्नाकार्टा) कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित अंश हैं :

- कंपनी ने, देश के राजाओं के साथ किये गये समझौते को अंगीकृत किया गया।
- प्रादेशिक विस्तार की अपेक्षा को छोड़ना।
- भारतीयों के लिए सुव्यवस्थित सरकार की व्यवस्था करना।
- कानून के समक्ष समानता।
- धार्मिक सहिष्णुताओं के साथ धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करना।

भारतीयों के प्रेम, समर्थन, विश्वास के बिना, हम शांति से शासन करना असंभव है। इस विषय को ब्रिटिश समझने लगे। यह घटना भारतीयों की स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। भारतीयों को आगे के आंदोलनों के लिए पर्याय मार्ग को ढूँढना अनिवार्य था।

अभ्यास :-

I. रिक्त स्थान को उचित शब्दों से भरिए :

1. 1857 के आंदोलन को अंग्रेजी साहित्यकारों ने _____ कहा है।
2. 1857 के आंदोलन के समय बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी की हत्या _____ ने की।

3. झाँसी रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में _____ को वश कर लिया।
4. 1858 में भारत में ब्रिटेन की रानी द्वारा भेजा गया परवाना (घोषणा) _____ कहलाया।

II. निम्न प्रश्नों के लिए समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिए :

5. 'दत्तक पुत्र के लिए अधिकार नहीं' की नीति से हुए परिणाम का विश्लेषण कीजिए।
6. 1857 के आंदोलन से आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार कारण हुआ? विवरण दीजिए।
7. 1857 के आंदोलन के अवसर पर सैनिकों के धार्मिक मनोभाव को प्रेरित करने वाले अंशों के बारे में लिखिए।
8. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या - क्या थे ?
9. आंदोलन की असफलता के कारणों की सूची बनाइए।
10. 1858 के ब्रिटेन की रानी के घोषणा (परवाना) के प्रमुख अंश क्या-क्या थे ?

III. गतिविधियाँ :

1. भारत के मानचित्र में 'दत्तक पुत्र के लिए अधिकार नहीं है' इस नीति से अंग्रेजों के अधीन हुए संस्थानों को पहचानिए।
2. 1857 के आंदोलन ने भारतीयों को 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' इस विषय के बारे में विशेषज्ञों के उपन्यास का प्रबंध कीजिए।

ॐॐॐॐ

अध्याय - 18

स्वतंत्रता संग्राम



इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ।
- मंदगामी(नर्मदल) और उग्रगामियों(गर्मदल) तथा क्रांतिकारी।
- असहकार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिट इंडिया आंदोलन ।
- किसान और मजदूरों के प्रतिरोध।
- स्वातंत्र संग्रम के नेता ।
- भारत का विभाजन ।

राष्ट्रियता का उदय- स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और गतिमान अध्याय है । विविध प्रकार के संकटों को झेल कर भारतीयों ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक प्रतिरोध प्रकट किया और यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप 1858 में ब्रिटेन की सरकार ने एक घोषणाके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त कर सीधे अंग्रेजी सरकार का प्रशासन ब्रिटेन की रानी के नाम लागू कर दिया । भारतीयों ने प्रशासन रचना प्रक्रिया के कानूनी नियमों को 1861 में अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया । इन सब के परिणामस्वरूप अंग्रेजी जाननेवाले एक नये शिक्षित वर्ग द्वारा राष्ट्रियता की परिकल्पना बनाने तथा लोगों के साथ इसे बाँटने के कारण राष्ट्रियता को एक आशय के रूप में स्पष्ट स्वरूप मिला । इसका आगामी संस्थागत रूप ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ।

भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना के विरोध के कई निदर्शन हैं। कई राजप्रभुत्व ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई परिवर्तन तथा प्रभावशाली सुधार भी दिखाई देते हैं। परिवहन तथा संपर्क, पत्रकारिता, संघ की स्थापना, प्रशासनिक सुधार में परिवर्तन दिखाई दिये। लोगों ने संगठित होकर अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए संघ-संस्थाओं को कई प्रांतों में स्थापना की। एक ओर लॉर्ड लिटन द्वारा पत्रकारिता में लोगों को नियंत्रित करने के लिए सन्

1878 में 'देशीय पत्रिका नियंत्रण अधिनियम' जारी हुआ तो, दूसरी ओर, लॉर्ड रिपन ने

इल्बर्ट अधिनियम भी जारी में लाकर, एकरूप की प्रशासनात्मक व्यवस्था के लिए मार्ग बनाया। इस अधिनियम के विरोध में भारत के अंग्रेजों ने ठोस प्रयास से विजय प्राप्त की।

समस्त भारत में कई प्रकार के आंदोलनों के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता का संघर्ष, एक स्वरूप पाने में सक्षम हुआ। आगे सशस्त्र आंदोलन उद्भव न हो, इस तरह अंग्रेजों ने कार्य तंत्र का निर्माण किया। परिणामस्वरूप 1858 के रानी अधिनियम अंग्रेजी सरकार ने घोषित किया, भारतीयों को ब्रिटेन की प्रजा के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश सरकार ने कई प्रकार की सुविधाएँ देने की घोषणा की। तत्पश्चात के विकास में उच्च वर्ग की अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित, नई पीढ़ी के भारतीय लोगों ने संवैधानिक रूप से अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना प्रारंभ किया। इनके समग्र प्रयासों के प्रतिफल से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राममोहन राय के काल से मध्यम वर्गीय भारतीयों का मन, नए-नए अवसरों पर नये-नये सवालों का सामना करने के लिए तैयार हुआ। इस प्रकार समस्त देश में कई संघ संस्थाएँ उद्भव हुईं। इस तरह स्थापित संगठनों में से 'दि इंडू मेला', 'ईस्ट इंडिया एसोसिएशन', 'पूना सर्वजनिक सभा' और 'इंडियन एसोसिएशन' प्रमुख थे। इसमें सीमित सीमा तथा हित भी शामिल थे। कालांतर में राष्ट्रस्तर पर एकजुट होने के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस तरह एक अखिल भारतीय स्तर पर संगठन की स्थापना का अवसर प्राप्त हुआ। वह 1885 में ए.ओ.ह्यूम नामक निवृत्त सिविल सर्विस के अधिकारी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से उद्देश्य पूरा हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय लोगो में राजनीतिक चेतना तथा राष्ट्रीय मनोभावों की वृद्धि करने का प्रयास किया।

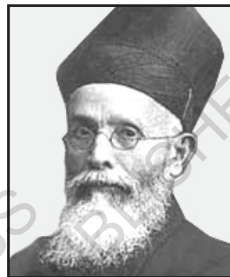
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय लोगो में निहित विविधताओं के बीच राष्ट्रीय चेतना को जागृत कराने के लिए प्रयास किया। देशी भाषाओं की पत्रिकाओं को प्रकाशित करने के द्वारा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ किया। इससे राजनीतिक मुद्दों तथा विचारों को लोगो तक पहुँचाना आसान हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बल को

ध्यान में रखकर, अंग्रेजों ने उनकी फूट डालकर शासन करने की नीति को लागू किया। हिंदू मुस्लिमों को अलग किया, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय विचारों से संबंधित रचनात्मक कार्य तंत्र की रचना की।

19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आंतरिक मतभेद दिखाई देने लगे। कार्य तंत्र, विश्वास तथा संघर्ष के विधान से उनको मंदगामी (नर्मदल), तथा तीव्र गामी (गर्म दल) के रूप में पहचाना जाता है।

प्रथम स्तर मंदगामी (नर्मदल) (1885-1905) :

सांप्रदायिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक पच्चीस साल नर्मदल या मंदगामियों का युग हैं। नर्मदल में एम.जी. रानडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नवरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले को प्रमुख रूप से पहचाना गया हैं। नर्मदल को ब्रिटिश प्रशासन और न्यायपरता पर विश्वास था। संवैधानिक सीमा के अंतर्गत



दादाभाई नवरोजी गोपाल कृष्ण गोखले

प्रार्थना तथा विनती के द्वारा अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे। नर्मदल जनता में राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास करते रहे, इन्होंने समस्याओं के बारे में बैठक बुलाई। उसमें चर्चा करके, सरकार को विनती की। देश की औद्योगिक प्रगति, सेना व्यय की कमी, उत्तम शिक्षा देना, गरीबी के बारे में अध्ययन करने के लिए सरकार पर जोर देना आदि मांगों को सरकार के सम्मुख रखा।

गतिविधि :

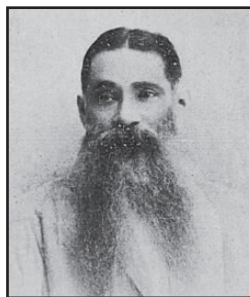
मंदगामियों के चित्र संग्रह करें और उनकी जीवनी पढ़कर अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए।

भारत में ब्रिटिश प्रशासन के दुष्परिणामों को प्रथम बार नर्म वादियों ने समग्र रूप से अवलोकन करने का प्रयास करने लगा। भारत की संपत्ति किस प्रकार इंग्लैंड को बहती जा रही है? इसको लेखा जोख के साथ उन्होंने विवरण दिया। दादाभाई नवरोजी ने इंग्लैंड को भारत की संपत्ति किस प्रकार बहती जा रही हैं ? इसके बारे में विश्लेषण किया। वे इसको संपत्ति-बहाव का सिद्धांत Drain Theory कहते हैं। आयात को अधिक,

निर्यात को कम करने से प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होकर देश की संपत्ति इंग्लैंड को बहने के कारण 'Drain Theory' प्रतिपादित हुआ। ब्रिटिश अधिकारियों को देनेवाले वेतन, निवृत्ति वेतन, प्रशासनात्मक व्यय को भारत ही भरना पड़ता था। इस पृष्ठभूमि से अधिक मात्रा की संपत्ति ब्रिटेन की ओर बहती जा रही थी। इसका विवरण लोगों के सम्मुख रखा। नर्मदल-काल को उदारवाद काल भी कहा जाता है।

दूसरा स्तर तीव्रगामी (गर्म-दल) (1905 से 1920):

नर्म वादियों के मृदु स्वभाव से असंतुष्ट और एक समूह इन्हें राजनीतिक भिक्षुक कहने लगे। नर्म-दल के मृदु स्वभाव की आलोचना करते हुए तीव्र उद्देश्यों को प्रतिपादित करनेवाले समूह को गर्म दल के रूप में पहचाना जाता है। अरबिंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय तथा बाल गंगाधर तिलक इस समूह के प्रमुख थे।



अरबिंद घोष



बाल गंगाधर तिलक



लाला लाजपत राय



बिपिन चंद्र पाल

बंगाल का विभाजन : बंगाल अंग्रेज विरोधी भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। इसको शमन करने के लिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनात्मक बहाने का कारण देकर बंगाल विभाजन की योजना बनायी। पूर्व और पश्चिम बंगाल को हिंदू तथा मुस्लिम बहुसंख्या प्रदेशों के रूप में विभाजित किया। इस तरह जनसमुदायों के बीच खाई निर्माण हुआ। संघर्ष की तीव्रता को धीमी करने की योजना बनायी।

अंग्रेजों के फूट डालकर शासन करने की नीति का प्रतीक बना 1905 के बंगाल विभाजन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। पर 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल का विभाजन के विरुद्ध समग्र भारत में प्रतिरोध व्यक्त हुआ। प्रतिरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसको समस्त देश में फैलानेवाले गर्मवादी थे।

विदेशी वस्तुओं तथा उसको प्रोत्साहन देनेवाली संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए स्वदेशी आंदोलन ने अधिक जोर दिया। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। भारतीयों के तीव्र प्रतिरोध के इस पृष्ठभूमि से बंगाल का विभाजन को 1911 में अंग्रेज सरकार ने वापस लिया।

गर्म दलवादियों का प्रतिपादन था कि, उत्तम प्रशासन कभी स्वयं प्रशासन का पर्याय नहीं हो सकता। तिलक ने घोषित किया कि 'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है', उसको हम लेकर ही रहेंगे। पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करना ही गर्मवादियों का प्रमुख लक्ष्य था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनता को संगठित करने का प्रयत्न किया। इस पृष्ठभूमि से धार्मिक विचारों द्वारा लोगों को संगठित किया। ब्रिटिश के विरुद्ध संग्राम के लिए उनको तैयार किया। गणेश, शिवानी, दुर्गा पूजा आदि उत्सवों द्वारा लोगों की राष्ट्रीयता हेतु उत्तेजित किया। तिलक ने मराठी भाषा में, केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में 'मराठा' पत्रिकाओं का अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में उपयोग किया। इन पत्रिकाओं के द्वारा जनता को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया। उनकी क्रांतिकारी लिखावट लोगों में उत्तेजन के लिए कारण हुई। इस पृष्ठभूमि से अंग्रेज सरकार ने तिलक जी को गिरफ्तार किया उन पर कार्रवाई की। 'गीत रहस्य' की उन्होंने कारगार में रहकर रचना की।

स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका:

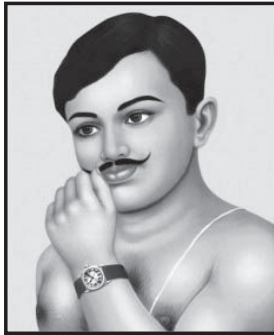
क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वराज्य का सपना देखा था। उनका विश्वास था कि भारतीयों पर अत्याचार करनेवाले विदेशियों को हिंसात्मक मार्गों से भारत से भगा सकते हैं। इन्होंने गुप्त संघटन द्वारा भारत और विदेशों में अपनी शाखाओं को स्थापित किया। धन और शास्त्रों को संग्रह करना, इस के साथ-साथ क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण देने में कार्यरत थे। 'अनुशीलन समिति और अभिनव भारत' ऐसे गुप्त संगठनों में से प्रमुख है। इन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बम तथा बंदूकों का प्रयोग करते थे। सरकार ने इनको दबाने का भरसक प्रयास किया। क्रांतिकारियों को हत्या की योजना के आरोप में गिरफ्तार किया। उनको अपराधी बनाकर आजीवन

आपको ज्ञात रहे :

अरबिंद घोष ने 'वर्तमान रणनीति' नामक पुस्तक प्रकाशित किया। उसमें सेना प्रशिक्षण और रण-कौशल का प्रस्ताव किया। बारिंदर कुमार घोष ने 'युगांतर' नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन इसी भावना के साथ किया।



भगत सिंह



चंद्रशेखर आजाद



वी. डी. सावरकर

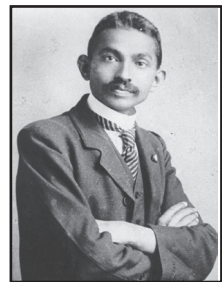
दंड दिया। इस अवसर पर कई क्रांतिकारियों को फाँसी दी गयी। वी.डी. सावरकर, अरबिंद घोष, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी घोष, मैडम कामा, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद प्रमुख क्रांतिकारी थे।

भारत के उत्तर भारतीय क्षेत्र में जादोनांग नामक नागा आदिवासी ने युवा युद्ध सेना तैयार की। गायिडिन लू नामक युवती ने युवतियों की सेना तैयार कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अंग्रेजी सरकार ने जादोनांग पर देशद्रोही होने का आरोप लगाकर उसे फाँसी दे दी। गेरिल्ला संघर्ष करने वाली गायिडिन लू को 1932 में बंदी बनाया गया, वे स्वतंत्रता मिलने तक जेल में ही रहीं।

गांधी युग (1920 - 1947) :

महात्मा गांधीजी ने इंग्लैंड में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त कर वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में शासन करनेवाले अंग्रेज सरकार ने वर्णभेद नीति का अनुसरण करते हुए विशेष क भारतीयों और अफ्रीकी जनों को नीची दृष्टि से देखा। मजदूर अंग्रेजों या गोरों के साथ रेल में यात्रा करना और सह भोजन भी मना था। गोरों लोग मजदूरों के साथ हिंसात्मक व्यवहार करते थे।

गांधी जी ने ऐसे लोगों को संगठित करके उनके सुख-दुख में भाग लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध शांतियुत आंदोलन और प्रतिरोध किया। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध संपन्न आंदोलन की प्रेरणा आगे भारतीयों को अंग्रेजों से विमोचन करने में सहायक हुई। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से 1947 काल को गांधी युग से लोग पहचानते हैं। भारत ने स्वतंत्र पाने तक घटी घटनाओं में गांधी जी की भूमिका प्रमुख थी।



दक्षिण अफ्रीका में
गांधीजी

गांधीजी के प्रवेश से स्वतंत्र आंदोलन को एक नया आयाम मिला। गांधीजी ने अपने संघर्ष में परोक्ष 'प्रतिरोध', 'अहिंसा' तथा 'सत्याग्रह' इनको प्रमुख अस्त्र के रूप में उपयोग किया। अपने सिद्धांतों को वह 'यंग इंडिया' पत्रिका में व्यक्त करते थे। सत्याग्रह इनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था।

आपको ज्ञात रहे:

गांधी जी के प्रवेश से नये कांग्रेस ने अपनी सदस्य सत्व को सभी को मुक्त किया सामान्य जनता जनसामान्य की संगठनों बनाया। संघ द्वारा लिए गए निर्णयों पर जोर देने के लिए असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्य तंत्र को रचा गया, सामाजिक उन्नति के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों सूचित किया है। अपनी गतिविधियों को साकार करने के लिए एक करोड़ रुपए पूंजी की तिलक स्वराज फंड की प्रारंभ हुई। इस तरह महात्मा गांधी जी के प्रवेश से कांग्रेस में पूर्ण रूप से परिवर्तन दिखाई देने लगा। इन सब कारणों से इस काल को गांधी युग के रूप में पहचाना जाता है।

भारत में तीव्रतर क्रांतिकारी घटनाओं की पृष्ठभूमि में उसको दबाने के उद्देश्य से कई अधिनियमों को जारी किया। उनमें फरवरी 1919 में लागू रौलट अधिनियम प्रमुख है। सिर्फ आशंका के आधार पर लोगों को गिरफ्तार करने और उनकी कार्रवाई करने का अधिकार न्यायाधीश को सौंपा था। गांधी जी को इस अमानवीय अधिनियम के विरुद्ध अपने आंदोलन का सात्विक अस्त्र, सत्याग्रह का उपयोग किया। समस्त देश में इसका व्यापक समर्थन मिला। हजारों भारतीयों ने इस तरह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया।

आपको ज्ञात रहे:

सत्याग्रह : सत्याग्रह का अर्थ है अहिंसात्मक रूप से सत्य के लिए आग्रह। यह शारीरिक दबाव न होकर, आत्माभिमान के लिए संघर्ष था। वर्णभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में गांधीजी ने इसका अफ्रीका में उपयोग करके सफल हुआ। इस अस्त्र का उपयोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में किया गया।

जलियांवाला बाग हत्याकांड:

'रौलट' अधिनियम के विरोध पंजाब में आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया था। कई जगहों पर हिंसात्मक रूप ले लिया था। इस पृष्ठभूमि से सरकार ने अमृतसर नगर को

जनरल डायर नामक सेनाधिकारी को सौंपा। जनरल डायर प्रक्षुब्ध स्थिति में नगर को सेना शासन के अंतर्गत लाकर सभाओं पर प्रतिबंध लगाया। जलियांवाला बाग में सभा करने का निर्णय आंदोलनकारियों ने पहले से ही तय किया था। उनको इस निषेध के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी। करीब 20000 लोग रौलट अधिनियम के विरुद्ध प्रतिरोध सभा में भाग लिये थे। चारों ओर ऊँची-ऊँची दीवारों से, छोटा-सा प्रवेश द्वार से युक्त जलियांवाला बाग में सभा शांति से चल रही थी। अपनी सेना के साथ वहाँ आकर जनरल डायर ने शांतियुक्त प्रतिरोध सभा के लोगों पर अमानुषिक रूप से गोलियों की बरसात की। इस हत्याकांड में 379 आंदोलनकारी प्राण खो दिए। हजारों लोग घायल हुए। इस घटना को 'जलियांवाला बाग हत्याकांड' कहते हैं।

सरकार ने जलियांवाला बाग दुर्घटना की कार्रवाई के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया। इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भारतीयों पर अत्याचार बढ़ने लगा।

आपको ज्ञात रहे :

जलियांवाला बाग के अमानुष घटना की पृष्ठभूमि पर वायसराय को रवींद्रनाथ टैगोर ने पत्र लिखकर उनके द्वारा दिए गए नाइट-हुड गौरव को वापस दिया। मुग्ध भारतीय आंदोलनकारों की हत्यारे जनरल डायर की हत्या भारत के क्रांतिकारी उधमसिंह ने की।



जलियांवाला बाग स्मारक

खिलाफत आंदोलन:

टर्की के सुल्तान मुस्लिमों के धार्मिक नेता होने के कारण खलिफा कहलाते थे। उन्होंने पहला महायुद्ध के अवसर पर खलीफों पर अंग्रेजों का अत्याचार का खंडन किया। मुस्लिम सारे विश्व में प्रतिरोध करने लगे। ऐसे ही महमद अली तथा शौकत अली भाइयों ने भारत में तुर्कों के पक्ष में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी का विश्वास था कि हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिरोध करने पर ही ब्रिटिश पीछे हटेंगे। गांधी जी मानते थे कि इस पृष्ठभूमि में मुस्लिमों का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमुख्य है। परिणामस्वरूप गांधीजी खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया। यह आंदोलन हिंदू और मुस्लिम दोनों एकत्रित होकर चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन था। कई राष्ट्रीय नेता तथा कांग्रेस संगठन ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए खड़ा था।

असहयोग आंदोलन:

गांधीजी अंग्रेजों के विरुद्ध 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए घोषणा की। उनके घोषणा को समर्थन देते हुए स्कूल कॉलेजों को विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया। वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। भारतीय गण्य, ब्रिटिश द्वारा प्राप्त पुरस्कारों को वापस दिया। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए मोतीलाल नेहरू सी.आर. दास

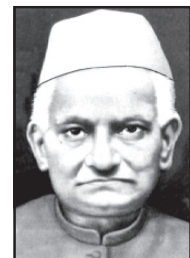


असहयोग आंदोलन

अपने वकालत का त्याग किया। इस समय में ब्रिटन राजकुमार की भारत-भेंट का विरोध किया। राजकुमार की भेंट के प्रति सारे देश में आंदोलन हुआ।

असहयोग-आंदोलन के स्वरूप से अवगत होकर ब्रिटिश सरकार में आतंक का वातावरण छाया हुआ था। ऐसे अवसर में उत्तर प्रदेश के चौरी-चौरा में हजारों स्वतंत्र योद्धाओं ने आंदोलन में भाग लिया। 1922 में शांति रूप से आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारों को पुलिसों ने हमला किया। इससे क्रोधित होकर लोग थाने में घुसने के प्रयास करने पर पुलिसों ने गोलीबारी की। पुलिस के पास शस्त्रास्त्र खाली होने के कारण से पुलिस चौकी के अंदर भाग गयी, क्रोधित आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दिया। इससे 22 पुलिसकर्मियों का सजीव दहन हुआ। इस घटना को इतिहास में 'चौरी चौरा' घटना कहते हैं। इस घटना से गांधीजी बहुत उदास हुए। आंदोलनकारों के हिंसात्मक कृत्यों के कारण गांधीजी ने बहुत दुख व्यक्त करते हुए, आंदोलन को रोक दिया। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को इस हिंसात्मक घटना लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार इनको 6 वर्षों तक कारागृह वास की सजा दी, पर 1924 में अस्वस्थता के कारण गांधी जी को सरकार ने मुक्त कर दिया।

1919 के अधिनियम ने निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था। पर इस अधिनियम के दुरुद्देश से कुछ कांग्रेस के नेता गण ने बहिष्कार किया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आगे चलने वाले निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस के नेता गण ने स्वराज्य पक्ष की 1923 में स्थापना



मोतीलाल नेहरू

की। ऐसे स्थापित स्वराज पक्ष की शासन सभा में प्रवेश पाकर आंतरिक रूप से सरकार की नीतियों का विरोध किया। सरकार के कामों में बाधा देने की अभिलाषा थी। 1924 में बेलगाँव के अधिवेशन में शासन सभा को प्रवेश करने वाला स्वराज्य पक्ष के कार्यनीति को गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया। इस तरह स्वराज्य पक्ष कांग्रेस में शामिल हुआ।

आपको ज्ञात रहे :

1924 में कोलकाता में कारपोरेशन निर्वाचन में स्वराज पक्ष ने अत्यधिक मत प्राप्त किया। सी. आर. दास मेयर के रूप में चुने गए। इनको देश बंधु कहा गया है।

1919 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार इस अधिनियम कार्यरूप में आने के बाद में 10 वर्ष के अंत में एक आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव की पूर्वसूचना व्यक्त की गयी। 1919 के अधिनियम के कार्य रूप को जानकर आवश्यकता अनुसार उचित परिवर्तन के साथ प्रतिवेदन सरकार को देना था। उसके अनुसार 1927 में जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार के संसद आयोग के बहाने एक भारतीय भी उसमें शामिल नहीं था। इससे यह भारतीयों के लिए किया गया अपमान समझा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साइमन आयोग का बहिष्कार किया। साइमन भारत आने पर प्रतिरोध, प्रदर्शन संपन्न हुए। 'साइमन वापस जाओ' कह कर सैमन आयोग जहाँ जाता है वहाँ प्रतिरोध, हड़ताल, प्रदर्शन संपन्न हुए। इस समय के प्रतिरोध में भाग लेनेवाले लाला लाजपत राय का ब्रिटिश सिपाहियों की लाठी के प्रहार से देहांत हुआ। इससे भारतीयों के आंदोलन और तीव्र हुआ।

सरकार के विरुद्ध इस प्रतिरोध की ध्वनि को शमन करने के उद्देश्य से सैमन आयोग का कार्य अंत होते ही भारतीय प्रतिनिधियों का एक समारोह आमंत्रित करने के लिए सरकार ने निश्चय किया। इस समारोह में आगे के संवैधानिक विकास के स्वरूप के निर्माण के लिए भारतीयों को अवसर प्रदान किया गया। इसके फलस्वरूप 'गोलमेज' का समावेश है।

1929 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' अपना लक्ष्य कह कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की। जनवरी 26, 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता दिन को मनाकर लाहौर घोषणा को समर्थन दिया। पूर्ण स्वराज्य के ध्येय की उपलब्धि के लिए इस अधिवेशन ने अंग्रेजों के प्रति किया गया 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' के पूर्ण दायित्व को गांधी जी को सौंपा गया।

सविनय अवज्ञा आंदोलन:

गांधीजी ने अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व निभाया। वायसराय इर्विन के समक्ष नमक कर समाप्त के साथ-साथ ग्यारह मांगों को रखा। इन मांगों की पूरी न होने पर, गांधीजी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषण की। पर इर्विन ने इनकी मांगों की स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 1930 में साबरमती आश्रम से सूरत के समीप समुद्र के तट के दंडी तक अपने अनुयायियों के साथ पैदल यात्रा के द्वारा दंडी समुद्र तट में खुद नमक तैयार करके अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस घटना को इतिहास में 'दंडी सत्याग्रह कहते' हैं।

आपको ज्ञात रहे :

एक जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावि नदी के तट पर स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा लहराया।

'कानून भंग आंदोलन' में गांधीजी के साथ-साथ विजयलक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद-आदि हजारों लोगों

आपको ज्ञात रहे :

- साबरमती से दंडी तक की पैदल यात्रा के समूह में कर्नाटक के 18 वर्ष के मैलार महादेवप्पा भी थे। यह इसकी विशेषता थी।
- कर्नाटक कांग्रेस भी आर. आर. दिवाकर कौजलगी हनुमंतराय, गंगाधर देशपांडे, हार्डेकर मांजप्पा कानाडू, सदाशिव राय-आदि ने सत्याग्रह समिति की रचना की। उत्तर कन्नड जिले के अंकोला तहसील में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया।

को ब्रिटिश ने गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन देश के विविध भागों में फैल गया।

इसी बीच इससे पहले प्रस्तावित लंदन में भारतीयों के जनप्रतिनिधियों का समावेश 1930 में बुलाया गया था। यह प्रथम गोलमेज परिषद का समावेश था।



नमक सत्याग्रह

इससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार भारतीयों के अलावा एक तरफ निर्णय नहीं ले सकती है। इस सम्मेलन में प्रथम बार अस्पृश्यों को प्रत्येक प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया था। यह समावेश में भाग लेने के लिए कैद गांधीजी तथा कई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नायकों को मुक्त किया गया। पर कांग्रेस और गांधीजी ने इस समावेश में भाग लेने के लिए इनकार किया। इस सम्मेलन में देशीय संस्थान के प्रतिनिधि लोग तथा विविध जनजाति के नेता डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर, एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री-आदि ने भाग लिया था। डोमिनियन स्टेट्स, जिम्मेदारी युक्त सरकार तथा मतीय प्रतिनिधित्व के बारे में इस सम्मेलन में स्वीकार किया गया। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम गोलमेज परिषद के सम्मेलन में भाग न लेने के कारण सम्मेलन पूर्ण नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाकर, गोलमेज सम्मेलन के उद्देश्य को सफल बनाने की दृष्टि से गांधी जी और वायसराय इर्विन के बीच एक समझौता मार्च 1931 में हुआ। इसको 'गांधी- इर्विन' समझौता कहते हैं। परिणामस्वरूप कांग्रेस पक्ष ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोककर, द्वितीय गोलमेज परिषद के सम्मेलन में भाग लेने के लिए तय किया। महम्मद अली जिन्ना, तथा डॉ. बी. आर. अंबेडकर जी ने इस सभा में भाग लिया था।

द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन में अंबेडकर ने अस्पृश्यों के लिए प्रत्येक मत क्षेत्रों की मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को गांधीजी ने ठुकरा दिया। इससे गांधीजी तथा अंबेडकर के बीच का तात्त्विक मतभेद हुआ। इससे द्वितीय गोलमेज परिषद समावेश किसी फैसले के बिना ही अंत हुआ। पर ब्रिटिश सरकार ने अस्पृश्यों को प्रत्येक मत क्षेत्र स्वीकार करने की घोषणा की। इसके विरोध में गांधी जी ने आजीवन-अनशन सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस समय में डॉ.बी.आर.अंबेडकर को मनाने के लिए अनेक प्रयास किये गये। इसके फलस्वरूप पूना समझौता हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के बदले सामान्य मत क्षेत्रों में ही कुछ क्षेत्रों को अस्पृश्य के लिए आरक्षित किया गया। ऐसे क्षेत्रों में अस्पृश्य प्रतिनिधि सब लोगों के प्रतिनिधि थे। प्रत्येक मत क्षेत्र के बदले कुछ क्षेत्रों को अस्पृश्यों के लिए आरक्षित किया गया।

अंग्रेज सरकार ने केंद्र में संघीय स्वरूप की सरकार, राज्यों में स्थानीय सरकार की रचना के लिए सुझाव दिया। इस दृष्टि से तृतीय गोलमेज परिषद के सम्मेलन को 1932 में बुलाया गया। सरकार ने प्रस्तावित व्यवस्था को कांग्रेस ने तिरस्कृत किया। सम्मेलन में भाग नहीं लिया। गोलमेज परिषदों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत

सरकार अधिनियम को लागू किया। इस अधिनियम ने भारत संघ रचना तथा स्थनीय स्वायत्तता का अवसर दिया। भारतीयों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। इससे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग चुनाव में भाग लीं। कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त करके सरकार की रचना की। इस समय दूसरा महायुद्ध आरंभ हुआ। यूरोप के राजनीतिक विद्यमान का हिस्सा बनकर भारत के वायसराय एक मुख भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इसको कांग्रेस ने प्रतिरोध किया और मंत्रिमंडल से बाहर आया। जब वायसराय के निर्णय को विरोध करते हुए गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की, तब भारतीयों को तृप्त करने के लिए स्ट्राफर्ड क्रिप्स को समझौते के लिए भेजा गया।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942):

ब्रिटिश सरकार ने भारत के नायकों के साथ समझौते के लिए गए भेजे स्टैफोर्ड क्रिप्स आयोग ने 1942 में कुछ सलाह भारतीयों के सामने रखे। इस आयोग ने भारत को डोमिनियन (प्रजातंत्र) स्थान देना, उसके लिए संविधान रचना की सभा को आमंत्रित करना, नया संविधान को भारतीय के संघ को जुड़नेवाले या छोड़नेवाले स्वतंत्रता को संबंधित राज्यों के लिए सलाह दी। इसे कांग्रेस ने तिरस्कार किया और क्रिट इंडिया आंदोलन का एलान किया। 'अंग्रेजों भारत छोड़कर चले जाओ' क्रिट इंडिया आंदोलन का आशय था।

आपको ज्ञात रहे:

ईसूर घटना: मैसूर संस्थान के शिकारीपुर के नजदीक एक ईसूर गांव था। स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान प्राप्त इस गांव को स्वतंत्र गांव का नाम को रखा गया है। यहाँ सब लोग गांधी टोपी पहनते थे। अधिकारियों को गांव का प्रवेश निषेध था। पर 1942 में भेंट करनेवाले अधिकारियों को गांधी टोपी धारण करने के लिए गांववालों ने इसके विरोध में अधिकारी के साथ रहनेवाले पुलिस ने लोगों की ओर गोलियाँ चला दीं। इससे क्रोधित होकर लोगों ने उनकी हत्या की, इसको इतिहास में ईसूर की घटना कहते हैं।

गांधीजी ने देश के लोगों को 'करो या मरो' की घोषणा दी। इसके कारण गांधीजी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य कृपलानी, कस्तूरबा गांधी आदि नायकों को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार करके कारागृह में बंदी बना ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकतर नेताओं के कैद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रहित संगठनों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नये नेताओं के उगम के लिए इस आंदोलन ने

राह बनाया। इस अवसर पर आंदोलन के नेतृत्व, जयप्रकाश नारायण ने निभाया। ये कांग्रेस के समाजवादी समूह के प्रमुख नायक थे। इन्होंने अपनी अनुयायियों के साथ देश के विभिन्न भागों में क्रांतिकारक गतिविधियों में लग गये। समाजवादियों को 'द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रंट' नामक अभिलेख (Document) के द्वारा अपने कार्य तंत्र को प्रवर्तन में लाया। उन्होंने



भारत छोड़ो आंदोलन

कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। जनता को आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। पैसों को एकत्रित किया। इस तरह दिशा हीन आंदोलन को दिशा देनेवाले जयप्रकाश नारायण थे। आश्चर्य का विषय यह है कि इस अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए घटित संघर्ष ने भारत की सीमा से बाहर भी प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस का प्रयास अद्वितीय था। 1937 के चुनाव के बाद सरकार की रचना से मुस्लिम लीग को छोड़ दिया गया। 1939 में भारत सरकार एक मुख से द्वितीय महायुद्ध में भारत को भागीदार बनाने के अवसर पर मंत्री मंडल के सभी कांग्रेसी लोग बाहर आकर मुस्लिम लीग 'मुक्ति दिवस' को मनाया। इस तरह मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। वह भारत के विभाजन के लिए प्रस्ताव सामने रखा।

किसानों का विद्रोह:

स्वतंत्रता संग्राम में किसान-मजदूर संगठनों के आंदोलनों का भी प्रमुख स्थान है। ब्रिटिश प्रशासन की अवधि में जमींदार और यूरोपियन प्लान्टर के विरुद्ध किसानों ने कई भागों में विद्रोह किया। चंपारण्य जिले में नीला उपजाऊ के लिए विरोध किया। राजस्व के विरुद्ध हड़ताल किया। गांधीजी के सत्याग्रह-द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को मना कर राजस्व को रद्द कराया।

राष्ट्रीय आंदोलन के भाग बनकर किसानों को संगठन का प्रयास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। चंपारण्य, खेड़ा आदि प्रदेशों के किसानों की गतिविधियों पर गांधीजी का प्रभाव था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव से तेभाग, मलबार आदि के भागों में

शोषित किसान और जमीनदार तीव्र गति से ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की। असहकार आंदोलन, कर निराकरण, भारत छोड़ो आंदोलनों में किसानों की समस्याएँ सम्मिलित हुई। कई आंदोलन किसान सभा के अंतर्गत संगठित हुए। कभी आंदोलनों में कांग्रेस के साथ और कभी आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध निर्णय लेते थे। तेलंगाना के किसान आंदोलन ने जमींदार तथा निज़ाम के रजाकर के विरुद्ध विद्रोह किया। बंगाल के किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध दंगा में भाग लिये। महाराष्ट्र में किसानों ने कम मज़दूरी के विरुद्ध आंदोलन चलाया।



वल्लभ भाई पटेल



मौलाना अबुल
कलाम आज़ाद

मज़दूरों (कारिगरों) का विद्रोह :

कारिगरों का आंदोलन 1827 में कोलकोता में आरंभ हुआ। जूट वस्त्रोद्योग कारीगर, रेलवे मजदूर अपनी मांगों के लिए संगठित होने लगे। रेलवे मजदूरों ने स्टेशन में आंदोलन चलाया। उन्होंने अधिक मज़दूरी के लिए अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध घोषणा की। कोलकत्ता में प्रिंटर्स यूनियन ने और मुंबई में वस्त्रोद्यम के कारिगर राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। मद्रास में मजदूर यूनियन की स्थापना हुई। तदुपरांत कारीगर संगठन की स्थापना हुई। कांग्रेस ने कारिगरों के संगठनों को ऐसे आंदोलनों के लिए प्रोत्साहन दिया।

आदिवासी (जनजाति) विद्रोह :

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में लागू किया गया राजस्व तथा अरण्य नीतियों ने जनजाति के विद्रोह के लिए प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। जनजाति विद्रोहों में से संथालों के दंगा, मुंडओ के आंदोलन प्रमुख हैं। कर्नाटक में हलगली के आखेटों का विद्रोह महत्वपूर्ण है।

संताल आदिवासी विद्रोह को भारत का प्रथम विद्रोह के रूप में पहचाना गया है। इन आदिवासी लोगों को बंगाल तथा उडिसा के पर्वतीय प्रदेशों में पहचान सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा संचालित कायम जमींदारी पद्धति से आदिवासी लोग गरीब हो गए। आदिवासी लोगों के ज़मीन जमीनदारों का वंश हुआ। बंगाल के जमीनदार, लेन-देनदार (महाजन) तथा कंपनी सरकार ने संतालों के सीधे शोषण के कारण बने। संतालों की शांति प्रियता

और सभ्यता को कंपनी सरकार ने शोषण करने के लिए उपयोग किया। इससे परेशान संतालों ने गुप्त सभा द्वारा जमीनदारों और महाजनों को लूटने का फैसला किया। विद्रोह बाराहत, भगतपुर और राजमहल में तीव्र हुआ। परिणामतः आदिवासी लोगों ने अपने शत्रुओं की हत्या की। इससे अनेक जमीनदार और महाजन वहाँ से भाग गये। संतालों के विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना का उपयोग किया। संतालों का विद्रोह भले ही अंत हुआ, किंतु वह आगे कई संघर्षों के लिए प्रेरणा हुई।

सुभाष चंद्र बोस:

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका मील का पत्थर है। भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा में (आई.सी.एस.)(ICS - Indian Civil Service) में चौथी श्रेणी में प्राप्त करने पर भी देशाभिमान से ब्रिटिश सरकार के प्रतिष्ठित पद को उसने त्याग दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले ये 'नेताजी' के नाम से प्रसिद्ध हुए।

गांधीजी के विनम्र आंदोलन के विपरीत 1930 में वे दशक के प्रारंभ में विदेशों में स्थित भारतीयों को एकत्रित करके ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने का प्रयाण में थे। इन्होंने विविध देशों के नगरों क्यिना, बर्लिन रोम, इस्तानुबल-आदि में भ्रमण किया। मातृभूमि को अपने प्रोत्साहन के लिए लोगों को प्रेरित किया। यूरोप में उदित कम्युनिस्ट तथा समाजवादी की लहरें भारत में कांग्रेस के संघटना को भी परिवर्तित की। कांग्रेस के अंतर्गत स्पष्ट रूप से समाजवादी की वामपंथी दिखाई देने लगे। इस दृष्टि से भारत में 1934 के समय में जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाषचंद्र बोस, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पक्ष की स्थापना की।



सुभाष चंद्र बोस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के हरिपुर अधिवेशन में गांधीजी के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनें। ब्रिटिश के युद्ध रणनीति की तैयारी के संबंध में मृदु धारणा को प्रकट करने वाले गांधीजी तथा ब्रिटिश के विरुद्ध कठिन धारणा को प्रकट करने वाले सुभाष के बीच दरार पैदा हुआ। गांधीजी ने इस मामले पर

आपको ज्ञात रहे:

जर्मनों आने से पहले ही भारत को स्वतंत्र होना चाहिए..., यूरोप में इंग्लैंड को मिलने वाले हर झटके से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यशाही पकड़ निश्चित रूप से कम हो जाएगी।

सुभाष चंद्र बोस

अंतर्राष्ट्रीय सहायता की याचना न करने का बोस ने विरोध किया। 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी (मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले) में अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के विरोध के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में चुनकर आए। बाद के दिनों में गांधीजी तथा बोस के मतभेद तीव्र हुए। कांग्रेस में रहकर ब्रिटिशों को तीव्र रूप से खदेड़ने की आकांक्षा रखने वाले सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों की हार हुई। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की गतिविधि तथा गांधीजी के कार्य से परेशान होकर, कांग्रेस से बाहर आया। उन्होंने 'फॉरवर्ड ब्लॉक' नामक नया पक्ष का संगठन किया। ये कांग्रेस के अंतर्गत ही प्रगतिपूर्ण तथा तीव्र आकांक्षाएँ रखती थीं। अंग्रेजों के युद्ध तैयारी को तथा विश्व युद्ध में भारत के भागिदारी लेने का। सुभाष जी ने विरोध किया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को कैद कर लिया।

आपको ज्ञात रहे :

“भारत तथा 38 करोड़ अपने देशवासियों को मुक्त कराने के लिए मैं भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ। स्वतंत्रता के बाद भी स्वतंत्र भारत की रक्षा के लिए मैं अपनी अंतिम रक्त की बूंद को बहाने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा”।

सुभाष चंद्र बोस

आपको ज्ञात रहे :

भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) :

भारतीय अनेक क्रांतिकारियों ने देश के लिए विदेश में काम कर रहे थे। उनमें रासबिहारी बोस जापान में 1915 से अंग्रेजों से बचकर आवास करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन के लिए भारतीयों को तैयार करने का युद्ध से प्राप्त अवसर का उन्होंने उपयोग किया। अंग्रेजों के पक्ष ही अनेक भारतीय सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया में अंग्रेजों को हराने के बाद जापानियों ने कई भारतीय सैनिकों को युद्ध कैदी के रूप में लिया। जापान के सेनाधिकारी मेजर पुजिवार, कैप्टन मोहन सिंह को युद्ध कैदियों के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। 1942 के मार्च में टोकियो में भारतीयों का सम्मेलन हुआ। उन्होंने 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' की रचना की। इसके बाद बैंकाक के सम्मेलन में रासबिहारी बोस लीग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और कैप्टन मनमोहन सिंह को भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। करीब 40,000 सैनिक थे। तत्पश्चात् सुभाषचंद्र बोस को इस आंदोलन के नेतृत्व निभाने के लिए प्रार्थना की।

अंग्रेजों के विरोधी शक्तियों के साथ जुड़कर अंग्रेजों के साथ लड़ने की इच्छा से वे गृह बंधन से बचकर जर्मनी पहुँचे। जर्मनी के सर्वाधिकारी हिटलर ने इनके सहायता देने का आश्वासन दिया। बोस ने जर्मनी में भारत के युद्ध कैदियों को संगठित किया। 'आजाद हिंद रेडियो' द्वारा अपना व्याख्यानो को भारतीयों के लिए प्रसार किया। युद्ध में जापानियों की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनकी सहायता से भारत को मुक्त करने की दृष्टि से संबंधित भारतीयों को संगठित करनेवाला रास बिहारी बोस के साथ सुभाष चंद्र बोस ने हाथ मिलाया। रासबिहारी बोस ने टोकियों में 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेना विभाग' को 'भारतीय राष्ट्रीय सेना' (INA) कहते थे। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद INA के नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस इस अवसर पर 'दिल्ली चलो' की घोषणा की। मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता देने का प्रण करता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सेना में 'झाँसी रेजीमेंट' नामक विभाग था। कैप्टन लक्ष्मी सेहगल इस रेजीमेंट के नेतृत्व कर रही थीं।

सुभाष रंगून द्वारा ब्रिटिश अधीनवाला दिल्ली को वश लेने के लिए रणनीति की योजना बनाई गयी। उतने में भारत से INA में सम्मालित हजारों योद्धाओं ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए तैयारी की। इस दृष्टि से सुभाष जी के

कार्यकलाप

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाषचंद्र बोस के मत को निबंध रूप में लिखें ।

आदेश से सशस्त्र आंदोलन का उन्होंने बर्मा की सीमा में आरंभ किया था। ब्रिटिश और ऐ. एन. ए. के बीच भयंकर युद्ध के संदर्भ में अचानक हुई विमान दुर्घटना से सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। (यह आज भी एक विवादात्मक विचार के रूप में हैं। नेताजी की मृत्यु एक झूठ समाचार कहा जाता है।) बर्मा की राजधानी रंगून अंग्रेजों के वश होने से ऐ. एन. ए. सैनिकों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। कुछ समय के तत्पश्चात गांधीजी के साथ-साथ कांग्रेस के अधिकतर नेता लोगों ने ऐ. एन. ए. सैनिकों को बंधन से मुक्त करने में अपना योगदान दिया है।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर : सामाजिक स्वतंत्रता रहित राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। डॉक्टर. बी. आर. अंबेडकर का विश्वास था। भारत की श्रेणीकृत व्यवस्था में रहने वाले अंतिम मनुष्य को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता न मिलने से राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई मूल्य नहीं रहेगा। वह केवल एक छाया बनकर रह जाएगा। ऐसा अंबेडकर जी का मानना है । उन्होंने भारत को केवल एक राजनीतिक परिकल्पना के अंतर्गत न देखकर

उन्होंने भावनात्मक पहलू का परिचय कराया। उन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन करके उसके विनाश के लिए संघर्ष की योजना बनाई। अस्पृश्यों के निम्नतम स्तर के अवसर से वंचित होने का निरूपित किया। 'महाड तालाब' और 'कालाराम' देवालय के आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर अमूल्य सलाह और सूचना दिये। हरिजनों के उद्धार तथा अस्पृश्यता के नेतृत्व के संबंध में गांधीजी तथा अंबेडकर के बीच मतभेद हुए। अस्पृश्यों की रक्षा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों की अपेक्षा गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद का कारण बना। इन्होंने बरोड़ा महाराज के यहाँ दीवान थे। मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल और उसके बाद वायसराय काउंसिल में भी अधिक ध्यान से कार्यभार को संभाला। अंबेडकर ने कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़कर 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' नामक संगठन को तथा 'स्वतंत्र कार्मिक पक्ष' (Independent Labour Part) नामक स्वतंत्र पक्ष की स्थापना की। 'प्रबुद्ध भारत', 'जनता', 'मूकनायक', 'बहिष्कृत भारत' आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। कम्युनिस्ट तथा समाजवादी धारणाओं से दूर रहकर किसान, मजदूरों की प्रगति के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया।



डॉ. बी. आर. अंबेडकर

स्वतंत्र भारत की दिशा रचना के लिए भारत में संविधान की रचना करना पड़ा। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बी. आर. अंबेडकर को संविधान रचना समिति ने सर्वमत से चयन किया। संविधान में समानता को प्रतिपादन करके, अस्पृश्यता आचरण के विरुद्ध कानून की रक्षा प्रदान की। अस्पृश्यता आचरण को भारत-संविधान में अपराध के रूप में स्वीकार किया गया था। स्वतंत्र भारत में डॉ. अंबेडकर जी को देश की प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। आधुनिकता, दार्शनिकता और पाश्चात्य विद्वानों से प्रेरित होने पर भी देशी जड़ों के बारे में अपनी आस्था दिखाई। जाति व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़, भारतीय संस्कृति का हिस्सा जाति सामाजिक वर्गीकरण का विरोध करने वाले बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका विश्वास था कि मार्क्सवाद जिस परिवर्तन को रक्तपात और हिंसा द्वारा ला सकता है उसे बौद्ध धर्म शांति और अहिंसा से ला सकता है। आजीवन उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उनको मरणोत्तर 'भारत रत्न' उपाधि को देकर सम्मानित किया।

आपको ज्ञात रहे:

'पत्रिकाओं में न होने वाले नेता पंखहीन पक्षी की भाँति होता है'।

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर

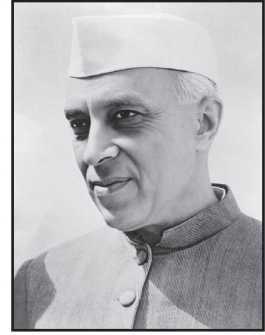
क्रिया कलाप:

डॉ. बी. आर. अंबेडकर की जीवनी पढ़िए।

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर

जवाहरलाल नेहरू :

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने होमरूल आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। 1920 के असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निर्वाह करने वाले नेहरू जी ने सन् 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बना। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के ध्येय को घोषित किया गया। गांधीजी ने असहकार आंदोलन को वापस लेने से नेहरू जी अत्यधिक निराशा होना पड़ा।



जवाहरलाल नेहरू

नेहरूजी के चिंतन ने राजनैतिक गतिविधियों को एक नया मोड़ दिया। ये कम्युनिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित हुए। परिणामतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वामपंथियों का आशय प्रबल रहा। इसके फलस्वरूप नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के समाजवादीपक्ष की स्थापना की।

नेहरू जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49 वें अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे साम्राज्यशाही युद्ध से दूर रहने का प्रचार किया। इनका तर्क था कि- चरक तथा हरिजन आंदोलन विशेष परिणामकारी नहीं था। इस अधिवेशन में नेहरू गांधीजी के चिंतन से दूर जाते दिखाई पड़े, फिर भी गांधीजी के प्रति उनका सम्मान कम नहीं हुआ। विविध बौद्धिक धाराओं से प्रभावित नेहरू ने उन सबका समन्वय कर समष्टि प्रज्ञाका प्रतिपादन किया। यह दृष्टिकोण हम उनके द्वारा प्रतिपादित विदेशांग नीति के अलिप्त नीति और मिश्र आर्थिक व्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

आपको ज्ञात रहे :

महाराष्ट्र के 'महाद' नामक गाँव में तालाब के पानी को अस्पृश्य लोग द्वारा उपयोग करना मना था। पानी के उपयोग को गाँव के अस्पृश्य करने के लिए रचित आंदोलन को 'महाद आंदोलन' कहते हैं। इसी प्रकार 'काला राम' नामक देवालय में अन्य प्रदेश की तरह अस्पृश्यों के लिए प्रवेश मना था। वहाँ पर भी अस्पृश्य देवालय प्रवेश करने की क्रांतिकारक योजना को अंबेडकर जी ने बनाया। लोगों में जागृति दिलाने पर भी यह आंदोलन असफल रहा।

50 वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में नेहरूजी ने अपने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में मृदु धारणाओं को अपनाया। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेस वर्तमान भारत में पूर्ण लोकतंत्र के लिए खड़ा है, समाजवाद के लिए नहीं बल्कि प्रजातंत्र के लिए संघर्ष' करता रहा है।

औद्योगीकरण और नव भारत के निर्माता के रूप में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को हम देख सकते हैं। भारत का 'लौह पुरुष' जैसी ख्याति प्राप्त भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत के कई देशी

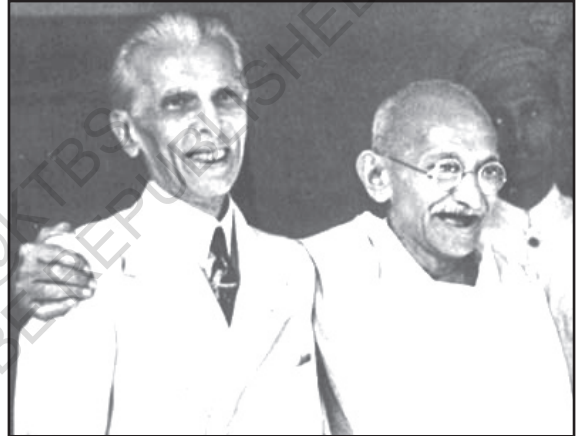
क्रियाकलाप:

पंडित जवाहर लाल नेहरू -
द्वारा प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में
निर्मित विदेशी नीति के बारे में अधिक
जानकारी प्राप्त कीजिए।

संस्थानों के विलीनीकरण के लिए नेहरू जी कारण बने। बाद में भाषावाद प्रांतों की रचना के द्वारा भारत की प्रजासत्ताक व्यवस्था को नींव डाला। पूंजीवाद तथा समाजवाद के नियमों के अंतर्गत मिश्र आर्थिक नीति को नेहरू जी अपने आधुनिक भारत का निदर्शन बनी। बृहद औद्योगीकरण से देश की प्रगति संभव है, यह उनका विश्वास था। स्वतंत्रता के बाद पंचवार्षिक योजना के अनुसार देश की प्रगति के लिए सपना देखा था। इन योजनाओं के निर्माताओं के रूप में नेहरू जी को देख सकते हैं। विदेशी नीति के संबंध में भारत ने गठबंधन की हित व्यवस्था से मुक्त होकर अलिप्त नीति को प्रतिपादित किया। पंचशील तत्व के आधार पर शक्ति राजनीति से दूर रहकर शांति तथा सौहार्दता के सूत्रों को प्रवर्तन में लाने का प्रमुख कारणकर्ता बनें। 1964 में इनकी मृत्यु हुई।

महम्मद अली जिन्ना:

मुहम्मद अली जिन्ना सन् 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े तथा उन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में कार्य निर्वह किया। तिलक के विरुद्ध मुकदमों के अवसर पर उनके पक्ष में थे। यह जिन्ना के लिए अत्यधिक प्रशंसा का विचार था। इन्होंने होमरूल लीग में शामिल होकर 1916 के अन्य कई समावेश में हिंदू तथा मुसलमानों के बीच एकता की आवश्यकता को समझाया। फिर भी जिन्ना 'मुस्लिम पक्ष के राजनेता के रूप में पहचाने गये। रौलट अधिनियम के विरोध में अपने केंद्रीय शासन सलाहकार समिति को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गोलमेज सम्मेलन में जिन्ना अपने आप को राष्ट्रीय वादी मुसलमान होने की घोषण दी। 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग गठबंधन सरकार निर्माण में विफल होने के कारण जिन्ना ने अपने कार्य नीति में परिवर्तन लाया। ब्रिटिश सरकार ने देश को स्वतंत्रता देने का अवसर नजदीक आते ही जिन्ना ने कई तरीके से पाकिस्तान की मांग पर बल देना प्रारंभ किया। यह देश के विभाजन का प्रमुख कारण बना ।



जिन्ना और गांधीजी

भारत का विभाजन :

स्वतंत्रा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समग्र राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा था। पर मुहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों को प्रत्येक राष्ट्र का प्रस्ताव करते रहे 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने हिंदू तथा मुस्लिम एक देश में रहना असंभव घोषित किया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पक्ष अधिकार में आया। इसने भारत में राजनीतिक समस्याओं को शमन करने के लिए कार्यवाही की। कैबिनेट आयोग को भारत को स्वयं अधिकार देने के बारे में चर्चा करने के लिए भेजा। इस आयोग ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के साथ चर्चा की। भारत को फेडरल स्वरूप सरकार को सूचित किया। संविधान रचना सभा आमंत्रित करने के लिए तथा मध्यांतर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए सिफारिश की। पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मध्यांतर सरकार की रचना के बारे में मतभेद तीव्र हुआ। मुस्लिमों को प्रत्येक राष्ट्र के लिए 1946 के अगस्त 16 को सीधी कार्यवाही के दिन (Direct Action Day) की घोषणा की। इससे सारे देश भर में धार्मिक संघर्ष शुरू हुआ। बंगाल में ही हजारों मासूम हिंदुओं की सिर्फ 48 घंटों में मूलभूतवादी मुस्लिमों ने अमानुष हत्या की। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एकत्रित संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। हिंदू और मुस्लिम विभाजन की इच्छा अंग्रेजों का आशय थी। बंगाल विभाजन 1909 के अधिनियम के लागू होने के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा अपनी राजनैतिक सुरक्षा का प्रयास यहाँ देखा जा सकता है। अंग्रेजों द्वारा विभाजन की जड़ें देश विभाजन के लिए अनुकूल सिद्ध हुई।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संबंध बिगड़ता गया। इस समय में ब्रिटिश सरकार ने शीघ्रता से अधिकार को हस्तांतरित करने की सूचना दी। 1946 के मार्च में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वायसराय बनाकर भेजा। बेटन

ने गांधीजी, जिन्ना तथा अन्य नेताओं के साथ चर्चा की। भारत के विभाजन की योजना बनायी। 1947 के जुलाई में भारत स्वतंत्रा के नियम ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस अधिनियम के अंतर्गत 1947 के अगस्त 15 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो प्रत्येक राष्ट्रों का उदय हुआ। 'रेडक्लिफ आयोग' ने इन देशों की सीमाओं का पहचाना। पंडित नेहरू जी ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।

आपको ज्ञात रहे:

1948 के जनवरी 30 को प्रार्थना सभा को जाते समय हिंदू मुस्लिम भावैक्यता के अग्रणी गांधीजी की हत्य नाथूराम गोडसे ने की। भौतिक रूप से गांधीजी को मार डालने पर भी उनकी समानता का आशय, मानवीय संवेदनाएँ, भावैक्यता का स्वप्न मनुकुल के आदर्श के रूप में शेष हैं।

अभ्यासः

I. निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए :

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को _____ में स्थापना की गई।
2. संपत्ति के बहाव सिद्धांतों के बताने वाले _____ हैं।
3. स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है _____ की घोषणा है।
4. अली भाई के द्वारा संगठित आंदोलन _____ था।
5. मुस्लिमों के लिए प्रत्येक राष्ट्र की मांग को _____ ने प्रस्ताव किया।
6. 1929 के लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष _____ थे।
7. महाड और काला राम देवालय के आंदोलन के निर्माता _____ थे।
8. भारतीय राष्ट्रीय सेना के झाँसी रेजिमेंट के नेतृत्व को _____ ने किया।
9. नमक सत्याग्रह को गांधीजी ने _____ स्थान में कार्यरत किया।
10. भारत छोड़ो आंदोलन _____ में हुआ।

II. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही विकल्पों को चुनकर भर्ती कीजिए।

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक _____ ।
अ) महात्मा गांधी जी आ) ए ओ ह्यूम
इ) बाल गंगाधर तिलक ई) गोपाल कृष्ण गोखले
2. 'मराठा' पत्रिका के प्रकाशक _____ ।
अ) वी.डी. सावरकर आ) जवाहरलाल नेहरू
इ) रासबिहारी बोस ई) बाल गंगाधर तिलक
3. 'स्वराज्य पक्ष' स्थापित वर्ष _____
अ) 1924 आ) 1923
इ) 1929 ई) 1906
4. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष _____ थे।
अ) सरदार वल्लभभाई पटेल आ) अंबेडकर
इ) सुभाष चंद्र बोस ई) लाला लाजपत राय

5. भारत के लौह पुरुष नाम से ख्यात _____ थे।
अ) भगत सिंह आ) चंद्रशेखर आजाद
ई) अब्दुल कलाम आजाद ई) सरदार वल्लभभाई पटेल

III. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूह में चर्चा करके उत्तर दीजिए:

16. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन-कौन सी संगठनाएँ थीं?
17. ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई नर्मदल की मांगें क्या क्या थीं?
18. संपत्ति के बहाव सिद्धांत को विश्लेषण कीजिए।
19. भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों के नाम लिखिए।
20. स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताइए।
21. बंगाल विभाजन को वापस लेने के प्रमुख कारण क्या-क्या थे?
22. 'चौरी-चौरा' घटना का विवरण दीजिए।
23. 'नमक सत्याग्रह' के बारे में लिखिए।
24. 'क्रिट इंडिया आंदोलन' की असफलता के कारण क्या क्या हैं।
25. भारत के स्वतंत्र संग्राम में दिखाई देने वाले प्रमुख उग्रगामीयों (गर्मदल) के नाम लिखिए।
26. द्वितीय गोलमेज समावेश का परिणाम क्या था ?
27. स्वतंत्र आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धि के बारे में लिखिए।
28. भारत स्वतंत्रता संघर्ष में आदिवासियों के विद्रोह का वर्णन कीजिए।

IV. गतिविधियाँ :

1. स्वतंत्र आंदोलनकारियों के चित्रों को संग्रहीत करके चित्राधार की तैयारी कीजिए।
2. अंतर्जाल में जलियांवाला बाग, हत्याकांड और दंडी सत्याग्रह से संबंधित चित्रों के साथ जानकारियों को संग्रह कीजिए।
3. गांधीजी के सत्याग्रह तथा अहिंसा के बारे में व्याख्यान की आयोजना कीजिए।

V. परियोजना :

1. पाठशाला में देश प्रेम से संबंधित नाटकों का आयोजन कीजिए।

अध्याय - 19

स्वातंत्र्योत्तर भारत



इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करते हैं।

- भारत विभाजन के परिणाम
- संस्थानों का विलीनीकरण
- राज्यों का पुनर्विभाजन
- निराश्रितों की समस्या
- सरकार रचना की समस्या

माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर 3 जून, 1947 को ब्रिटिश सरकार की घोषणा ने दो स्वतंत्र राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व को जन्म दिया। 1947 अगस्त 15 भारतीयों के लिए खुशियों के साथ-साथ संकट का दिन भी था। प्रत्येक राष्ट्र की रचना भारतीयों की अपेक्षा न रहने पर भी ब्रिटिशों की फूट डालने की नीति से ऐसी स्थिति बन गई। भारत की स्वतंत्रता के साथ कई ज्वलंत मुद्दों ने आकार लिया है। लाखों निराश्रितों की समस्या, सांप्रदायिक दंगों, सरकार गठन, स्वदेशी राज्यों के विलीनीकरण, खाद्य उत्पादन, कृषि विकास और औद्योगिक विकास की समस्याओं को दूर करना था।

निराश्रितों की समस्या:

निराश्रितों की समस्या भारत के विभाजन से उत्पन्न गंभीर परिणामों में से एक है। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत तक, लाखों लोगों को अपने जन्मस्थान, पले बड़े वातावरण, संपत्ति खोकर परायी जगहों की ओर निर्वासित होना पड़ा। ऐसे में निराश्रितों के लिए आवास, रोजगार, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण तैयार करना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इस संबंध में काफी प्रयास किये गये।

मतीय झगड़े:

कालांतर में अंग्रेजों ने जो मतीय नफरत का बीज बोया था वह विभाजन की अवधि में अच्छी तरह से विकसित हुआ था। विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव का बंधन ढीला पड़ गया था। पीड़ितों के बीच धार्मिक

गतिविधि:

भारत आज भी देश के शांति से संबंधित सामना करनेवाले समस्याओं के बारे में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

दुश्मनी बढ़ने से आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। निर्वासन के दौरान मतीय दंगों को नियंत्रित करना सरकार का काम कठिन था। लोग और देश की एकता को नष्ट करनेवाले दंगों को नियंत्रण में लाने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया। गांधी ने कलकत्ता में 'भगवद गीता' पढ़ते हुए दोनों देशों के लोगों के जोश के कारण हुए आक्रोश को शांत करने के लिए भूख अनशन किया।

नवीन सरकार की रचना:

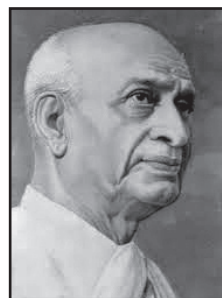
15 अगस्त 1947 को भारत जब स्वतंत्र हुआ, तात्कालिक सरकार की रचना हुई। और माउन्ट बेटेन भारत का गवर्नर जनरल बना। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने सरकार की रचना की। सन् 1950 जनवरी 26 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संभाला। संविधान लागू होने के बाद डॉ. बाबू राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष बने। संविधान ने भारत को सार्वभौमिक, प्रजासत्तात्मक, गणराज्य घोषित किया। आगे चलकर संविधान के 42 वे अनुच्छेद के परिष्करण में जात्यातीत और समाजवादी नामक दो अंश में जुड़ गए। भारतीय सरकार ने स्वतंत्र नीति का अनुसरण किया। भारत ने संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया।

आपको ज्ञात रहे :

संसदीय प्रजातंत्र: विश्व के कई संविधानों तथा अनुभवों का अध्ययन कर संविधान की रचना समिति ने जनता द्वारा चुनी गयी संसदों से युक्त संसद ने श्रेष्ठ और अंतिम (निश्चित) होने का अभिप्राय से संसदीय प्रजातंत्र को लागू किया। अध्यक्षीय नमूने का इनकार किया।

देशीय संस्थानों का विलीनीकरण:

अंग्रेज जब भारत छोड़ कर जा रहे थे तब देश में 562 संस्थान थे। अंग्रेजों ने देश विभाजन करने के साथ-साथ इन संस्थानों के समक्ष तीन अवसर रखे। एक, भारत एकीकरण में जुड़ना, दूसरा पाकिस्तान में जुड़ना, तीसरा किसी भी देश से न जुड़कर स्वतंत्र रूप से रहना। इसी पृष्ठभूमि में सन् 1947 में विलीन नियम के अनुसार भारत सरकार ने सभी देशीय संस्थानों को भारत एकीकरण में जुड़ाने



वल्लभ भाई पटेल

को आमंत्रित किया। इस प्रकार विलीन होने वाले को राज्य की आय के आधार पर राजधन निश्चित किया। साथ ही कुछ सुविधाएँ तथा पद भी इन्हें दिए गए। आगे सन् 1969 में इस राजधन तथा इनके पदों को सरकार ने रद्द कर दिया। संस्थानों के विलीनीकरण की प्रक्रिया में जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मूकश्मीर, ये तीनों संस्थान तीव्र विरोध प्रकट कर रहे थे। भारत का 'लौह पुरुष' के नाम से प्रख्यात भारत के प्रथम गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत के देशीय संस्थानों का विलीनीकरण कार्यभार भलीभाँति हुआ।

जूनागढ़ :

इसके नवाब को जब अपने संस्थान को पाकिस्तान में जोड़ने की इच्छा थी। तब प्रजा इसके विरुद्ध सड़क पर आ गई। इसका सामना न कर पाने के कारण नवाब राज्य छोड़ कर पलायन कर दी। वहाँ के दीवान द्वारा भारत सरकार की माँग के आधार पर सेना भेजकर शांति की स्थापना की गई। सन् 1949 में जूनागढ़ भारत गणराज्य में जुड़ गया।

हैदराबाद :

यह संस्थान निजाम के अधीन में थे। इन्होंने स्वतंत्र होने के कारण से भारत में जुड़ने से मना कर दिया। इसी संदर्भ में कम्युनिस्टों (साम्यवादी) के नेतृत्व में तेलंगाना के किसानों का सशस्त्र आंदोलन निजाम और जमीनदारों के विरुद्ध चल रहा था। निजाम की क्रूर सेना दल रजाक के विरुद्ध जनता में व्यापक प्रतिरोध था। तब भारत सरकार ने सेना भेजकर निजाम को हराया और हैदराबाद संस्थान को सन् 1948 में भारत संस्थान में विलीन कर दिया।

जम्मू-कश्मीर :

जम्मू कश्मीर के राजा हरिसिंह ने भी स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। जम्मू कश्मीर भारत में मिल जाने के भय से पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी के मुसलमान के आदिवासी जनों को आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कश्मीर में स्वतंत्रता के लिए लड़नेवाले शेख अब्दुल का नैशनल काँग्रेस पक्ष ने धार्मिक संविधान युक्त पाकिस्तान की तलना में प्रजातंत्र युक्त भारत ही बेहतर समझकर लड़ाई लड़ी, ऐसे दबाव में राजा हरिसिंह ने भारत सरकार से मदद माँगी। पाकिस्तान का उद्देश्य विफल हुआ। कश्मीर कुछ शर्तों के साथ भारत में विलीन हो गया। लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा, पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। भारत ने इसके विरुद्ध शिकायत को विश्व संस्था तक ले गया। विश्व संस्था ने युद्ध विराम का आदेश सन् 1949, 1 जनवरी को दिया। पाकिस्तान द्वारा आक्रमित कश्मीरी उत्तर-पश्चिमी प्रदेश 'पाक आक्रमित कश्मीर' कहकर आज भी पुकारा जाता है। शेष सभी संस्थानों के विलीन से कश्मीर का विलीन होना विशिष्ट रहा।

पांडिचेरी (पुदुचेरी):

स्वतंत्रता के बाद फ्रांसिसियों ने उपनिवेश पांडिचेरी, कारैकल, माहे और चंद्रनगर पर अपनी पकड़ बनाए रखे। इन स्थानों को भारत में मिलाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी और अन्य संघटनों के नेतृत्व में संघर्ष के फलस्वरूप सन् 1954 में ये प्रदेश भारत में मिल गए। सन् 1962 में पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश हुआ। 2006 में पांडिचेरी का नवीन नामकरण 'पुदुचेरी' किया गया।

गोवा :

पुर्तगालियों के उपनिवेश रूप में शेष रहे गोवा को भारत में मिलाने के निरंतर आंदोलन होते रहे। गोवा को मुक्त कराने के लिए आदेश देने पर भी पुर्तगाली झुके नहीं, उन्होंने अफ्रिका, तथा यूरोप से सेना मंगवाकर आंदोलन का दमन किया और अपना अधिकार मज़बूत करने का प्रयास किया। 1955 में भारत के विविध भागों से सत्याग्रही आए और गोवा से उपनिवेश शाही को भगाकर उसे विमोचन दिलाने का संघर्ष प्रारंभ किया। 1961 में भारत की सेना ने मध्य में प्रवेश कर गोवा को वश कर लिया। सन् 1987 तक गोवा केंद्र शासित प्रदेश रहा। तत्पश्चात् राज्य बना।

भाषाई तौर पर राज्यों की रचना:

भारत स्वतंत्र होने के बाद प्रमुख प्रजासत्तात्मक आंदोलन है कि भाषाई प्रांतों के लिए आंदोलन। जनता को उत्तम प्रशासन देने के लिए भाषा के आधार पर भौगोलिक सीमाएँ बनाने का दबाव प्रबल हो रहा था। अंग्रेजी तथा देशीय संस्थान दोनों में जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा में प्रशासन नहीं हो रहा था। इसी दृष्टि से पूरे देश में भाषाई राज्यों की रचना की पुकार तीव्र हुई। विशाल आंध्रराज्य की रचना के लिए आंध्र महासभा के नेतृत्व में सन् 1952 में पोट्टि श्रीरामलू ने 58 दिनों का अनशन का सत्याग्रह किया और मृत्यु हुई। तत्पश्चात् यह मांग और भी तीक्ष्ण रूप ले चुकी थी। सन् 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्विभाजन आयोग की रचना की। इसमें फजल अली अध्यक्ष रहे। के. एम. पणिक्कर और एच. एन. कुंजू सदस्य थे। प्रथम भाषाई राज्य के रूप में 1953 में आंध्रप्रदेश की रचना हुई। आयोग की रपट के अनुसार सन् 1956 में राज्य पुनर्विभाजन कानून जारी हुआ। इस कानून के अनुसार देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की रचना हुई।

गतिविधि:

1970 के बाद अस्तित्व में आने वाले नये राज्यों की सूची तैयार कीजिए।

कन्नड बोलने वाले प्रदेश कुछ संस्थानों की ओर चले गए थे। इन सभी की एकता की मांग के लिए 'अखिल कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद' के नेतृत्व में आन्दोलन हुआ।

अंत में सन् 1956, 1 नवंबर को विशाल 'मैसूर राज्य' अस्तित्व में आया। आगे चलकर सन् 1973 में 'कर्नाटक' के नाम से पुनः नामकरण हुआ। आज भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी भी है।

अभ्यास:

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. भारत के प्रथम गृहमंत्री _____ थे।
2. भारत के प्रथम राष्ट्राध्यक्ष _____ थे।
3. पांडिचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में _____ में जुड़ा।
4. राज्य पुनर्विभाजन कानून सन् _____ में लागू हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा लिखिए :

5. भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा ?
6. निराश्रितों की समस्या का सामना देश ने किस प्रकार किया ?
7. पांडिचेरी को फ्रांसिसियों से किस प्रकार मुक्त कराया गया ?
8. पुर्तगालियों से गोवा को कैसे मुक्त कराया गया ?
9. 1953 में भारत सरकार ने राज्य पुर्ननिर्माण आयोग की रचना क्यों की ?

III. गतिविधि :

1. भारत के मानचित्र को चित्रित करके राज्यों को पहचानिए।

IV. परियोजना :

1. भारत के प्रत्येक राज्य की प्रशासनिक भाषा और उसकी राजधानी की सूची बनाइए।
2. अपने पड़ोसी राज्यों की सांस्कृतिक विशेषता के बारे में शिक्षक की सहायता से और अंतर्जाल की सहायता से रिपोर्ट तैयार कीजिए।

महायुद्ध और भारत की भूमिका



इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- प्रथम महायुद्ध।
- सर्वाधिकारियों का उदय।
- द्वितीय महायुद्ध।
- महायुद्ध में भारत का पात्र।

प्रथम महायुद्ध:

सन् 1914 से पूर्व यूरोप के प्रबल राष्ट्र ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य तथा रूसी उपनिवेशों पर अधिकार जमाने के लिए निरंतर संघर्ष होते रहे। औद्योगिक क्रांति और नवीन आविष्कार यूरोपीय देशों में तेजी से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रही थी। भारत सहित विश्व के कई देशों के बाजार और वहाँ के संसाधनों को कब्जे में करने की दुराशा से ये यूरोपीय देश उपनिवेशी राष्ट्रों बनने लगे। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संकीर्ण समझौते भौगोलिक सीमा संबंधी समस्याओं को ज्वलंत बनाने लगे। ये यूरोप के बलशाली देशों के बीच शक्ति संतुलन की डांवाडोल कर रहा था।

इससे प्रत्येक बलशाली राष्ट्र ने भारी मात्रा में सैन्यीकरण किया। अनेक मैत्री संबंधों का आयोजन हुआ। अत्यधिक राष्ट्रीयता यहाँ-वहाँ विकसित हुई। साम्राज्यवाद की नीति बलवती हुई। प्रथम महायुद्ध ने इन देशों को दो विरोधी दलों में विभक्त कर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के युद्ध मैत्री त्रय (Triple Entente) कहलाए तो जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगेरी और इटली युद्ध के सौहाद्रोत्रय (Triple Alliance) कहलाए। थोड़े समय में ही इटली विरोधी दल में शामिल हो गया। युद्ध तीव्र होते होते सभी दलों में परिवर्तन हो गया।

प्रथम महायुद्ध सन् 1914 से सन् 1918 तक चला। युद्ध के प्रारंभिक कारण थे 1914 में - 28 जून को आस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गयी। पूरी घटना से आस्ट्रिया और सर्बिया देशों के बीच तुरंत मनमुटाव पैदा हो गया।

युद्ध के प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ रहा। रूस जर्मनी के विरुद्ध हो गया। युद्ध के अंतिम चरम में परिस्थिति बदल गयी। अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया। 1917 नवंबर में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जिससे जर्मनी के साथ युद्ध संबंधी समझौता कर युद्ध से रूस पीछे हट गया। मैत्रीत्रयों के आक्रमण से जर्जर जर्मनी युद्ध जारी न कर पाने की स्थिति में हार मान गया।

मैत्रीत्रय ने सन् 1919 में अत्यंत अपमानजनक वर्सेल्स समझौते पर हस्ताक्षर किया। आस्ट्रों-हंगेरी और आटोमन साम्राज्यों ने अपना अस्तित्व खो दिया। जर्मनी ने अपने काफी प्रदेश खो दिए। यूरोप का नक्शा ही बदल गया। कई छोटे स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आगामी संभवनीय युद्धों को रोकने की दृष्टि से राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की रचना 1919 में हुई। पराजित राष्ट्रों में बढ़ती अपमानजनक भावनाएँ उग्र राष्ट्रीयता का कारण बनीं। जर्मनी पर लादे गए युद्ध नुकसान की भरपाई और अन्य निर्जन से बहाँ की जनता पर परिणाम (प्रभाव) पड़ा। बेरोजगारी, गरीबी, विकास का पतन आदि से उत्पन्न निराशा का जर्मन उद्योगपति अपने लाभ के लिए उपयोग किया। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हिटलर जैसे सर्वाधिकारी के विकास में यह सहायक रहा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले व्यापारी अपार मात्रा में लाभ कमाने लगे।

आपको ज्ञात रहे :

प्रथम महायुद्ध में दोनों दलों के नागरिक तथा सैनिकों सहित लगभग 1,00,00,000 लोगों ने अपनी जान खो दी। 2,00,00,000 (करोड़) लोग घायल हुए तथा लगभग 35,00,000 लोग शाश्वत रूप से विकलांग हुए। किसी भी युद्ध के समान प्रथम महायुद्ध भी कुछ लोगों के लाभ के लिए होड़ में हुआ था। किंतु अपार की हाताहत हुई।

सर्वाधिकारियों का उदय:

हिटलर: प्रथम महायुद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी के सर्वाधिकारि के अस्तित्व में लाया। हिटलर जर्मनी का चांसलर (कुलपति) बना तत्पश्चात् अध्यक्ष हिंडेनबर्ग के मरणोपरांत सर्वाधिकारी बन गया। हिटलर फ्यूहरर बना। हिटलर के प्रबलता प्राप्त करने तक जर्मनी में साम्यवादी और समाजवादी लोग बलशाली हो चुके थे। इस



हिटलर

पृष्ठभूमि में जर्मन उद्योगपतियों की पूरी सहायता प्राप्तकर हिट्लर ने इनका दमन किया। मजदूर संघों को रद्द कर दिया। राजनीतिक दलों का निषेध किया। नाजीदल को एकमात्र राजनीतिक पक्ष घोषित किया।

यहूदी लोगों द्वारा विश्व पर नियंत्रण न हो जाएँ। इस भय और काल्पनिक विचारों को लोगों में पनपा कर उन्हें भयभीत कर दिया। विश्व में जर्मन आर्यजाति के लोग ही श्रेष्ठ हैं, इस भावना को आगे रखकर प्रबल हुआ। इन सब कार्यों के लिए हिट्लर से नाजीवाद का अनुसरण किया। इसका सारांश है-विश्व में श्रेष्ठ जाति से तात्पर्य आर्य जर्मन जाति ही है। विश्व में शासन करने के लिए केवल जर्मन ही श्रेष्ठ है। अन्य जाति के लोग केवल प्रशासित होने के योग्य हैं। जर्मनों की सभी समस्याओं का कारण यहूदी थे। इनके साथ साम्यवादी (कम्यूनिस्ट), कैथोलिक, समाजवादी ही कारण है। ये जीने के भी योग्य नहीं हैं। ऐसी धारण वाला उग्र राष्ट्रीय वाद बड़े अमानवीय रूप में लागू हो गया। उससे जाति संबंधी द्वेष का प्रसार करने के लिए गोबेल्स नामक विशेष मंत्री को नियुक्त किया। दंगे फसाद करा के लोगों में भय पैदा करने के लिए 'भूरी कुर्ती' (Brown shirts) नामक क्रूर दल का प्रारंभ किया।

इस दिशा में हिट्लर ने सामूहिक हत्या और नरबलि कराकर इतिहास में अत्यंत कुख्यात हो गया। एक अनुमान से कहा जा सकता है कि इसने 6 मिलियन यहूदी, करोड़ों से अधिक अन्य लोगों की हत्या करवाई। इस के सामूहिक हात्याकांड को होलोकास्ट (सर्वनाश) कहते हैं। 1935 में न्यूरेंबर्ग कानून को हिट्लर ने लागू किया। खाना-पानी न देना। उन्हें गुलामों की तरह मजदूरी करवाने वाले 'कासंट्रेशन कैम्प्स' (Concentration camps), से रोशनी हवा रहित चेंबर में लोगों को धकेलकर विषयुक्त हवा छोड़कर उनकी हत्या की जाती थी। इतना ही नहीं इसने सामूहिक रूप से गोली चलाकर (Mass shooting) हत्या की अन्य ऐसी ही कई नर बलियाँ दी। इस प्रकार इसने बच्चों, महिलाएँ, बूढ़े सभी को सामूहिक रूप से मारने के लिए विशेष दल की रचना की थी। इसने सम्पूर्ण प्रभुत्व यंत्र नरबलि के लिए उपयोग किया। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने और जर्मन आर्यों की श्रेष्ठता लागू करने की महत्वाकांक्षा ही द्वितीय महायुद्ध के प्रमुख कारणों में एक थी। हिट्लर के जातीय द्वेष का अध्याय युद्ध में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया।

मुसोलिनी : 20 वीं शती के आरंभ में यूरोप में हुए सामाजिक आन्दोलन प्रथम महायुद्ध के दुष्परिणाम और रूस की प्रगति की पृष्ठभूमि में विरोधी राजनीतिक दल के रूप में मुसोलोनी का फासिस्ट वाद प्रकाश में आया। उग्र राष्ट्रीयवाद, परकीय शास्त्राश, हिंसा का तांडव, जातीय श्रेष्ठता, साम्राज्यवाद का विस्तार, नरबलि को समर्थन से सन फासिस्ट वाद की विशेषता रही हैं।

1922 से 1943 तक इटली का प्रधानमंत्री मुसोलिनी राष्ट्रीय फासिस्ट पक्ष का संस्थापक था। इसने 1925 में इटली में प्रजातंत्र को समाप्त कर कानूनी तौर से सर्वाधिकार प्राप्त किया। अपनी गुप्त पुलिस की सहायता से सभी राजनीतिक विरोधियों का नाश किया। मजदूरों की हड़ताल कर निषेध किया। एक पक्षीय सर्वाधिकार की स्थापना की। हिटलर के साथ मिलकर द्वितीय महायुद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बना। 1945 में इसकी हत्या कर दी गई।

द्वितीय महायुद्ध :

प्रथम महायुद्ध के नुकसान, जान-माल हानि को भूलने से पूर्व ही द्वितीय महायुद्ध 1 सितंबर 1939 को नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण द्वारा प्रारंभ कर दिया। द्वितीय महायुद्ध संभवतः मानवीय इतिहास में होने वाले युद्ध में अत्यंत बड़ा और बर्बर युद्ध था। 30 से भी अधिक देशों ने इस युद्ध में सीधे-सीधे भाग लिया। यह 1939 से 1945 तक चला। समृद्ध देश प्रथम महायुद्ध में धन व्यय कर चुके थे, परिणामतः 1930 के दशक में महान आर्थिक संकट की स्थिति (Great Depression) उत्पन्न हुई। इससे यूरोप और अमेरिका में संकट की स्थिति पैदा हो गई। लोगों का जीवन स्तर तीव्रगति से गिर गया। उद्योग तथा कृषि विकास स्थिर हो गया। बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई। प्रथम महायुद्ध की हार, अपमान जनक समझौते, अपार हानि की पृष्ठभूमि में जर्मनी और यूरोप के कई देशों में राष्ट्रीयवाद की उग्रता तीव्र हो गयी। जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में बृहत उद्योगपतियों ने राष्ट्रीयता के विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन दिए। उसका उपयोग बदला लेने और घमंड से आंदोलनों को शुरु किया गया। जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी जैसे सर्वाधिकारी उत्पन्न हुए। पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए चीन पर जापान ने आक्रमण किया।

द्वितीय महायुद्ध में दो विरोधी शत्रुदल (Axis) और मित्रदल (Allies) की रचना हुई। शत्रु दल में जर्मनी, इटली और जापान देश तथा मित्र दल में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस

आदि देश रहे। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण करते ही ब्रिटेन ने पोलैंड का मित्र राष्ट्र होने के कारण जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। किंतु वास्तव में ब्रिटेन तुरंत पोलैंड की सहायता के लिए आगे न आया। वह जर्मनी के वश हो गया। इसी संदर्भ में रूस में साम्यवाद व्यवस्था होने से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि देश हिटलर के रूस पर आक्रमण की इच्छा रखते थे। इसे जानकर रूस ने 1939, 24 अगस्त को जर्मनी के साथ युद्ध रहित समझौता कर लिया। इस प्रकार हिटलर ने पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर आक्रमण किया। इटली के साथ समझौता कर हिटलर ने डेनमार्क नार्वे, हॉलैंड देशों सहित कई पश्चिमी यूरोपीय देशों को अपने वश कर लिया। 1941 में सोवियत रूस की ओर हिटलर की नजर गई। इससे रूस को युद्ध में भाग लेना ही पड़ा। इसी समय जापान हिटलर की ओर मिल गया। पेरिसफिक प्रशांत महासागर पश्चिमी भाग अमेरिका और यूरोपीय प्रदेश पर आक्रमण कर कई प्रदेशों पर जापान ने अधिकार कर लिया।

इटली और जर्मनी ने उत्तरी अफ्रिका के अंग्रेजी उपनिवेश और स्वेज नहर को अपने वश करने का प्रयास किया और हार गया। 1942 स्टलिनग्राड युद्ध में जर्मन दलों को रूस ने हरा दिया। जर्मनी को 1943 में पूर्वी यूरोप में बार-बार हारना पड़ा। इसमें रूस की प्रमुख भूमिका रही। मित्रदलों ने इटली पर कब्जा किया। जापान को हराकर पश्चिमी प्रशांत द्वीपों को अमेरिका ने वापस पा लिया। रूस के लाल कुर्ती सैनिकों ने महान बढ़त पायी और पश्चिमी राष्ट्रों के आक्रमण से जर्मनी शरण में आया और बर्लिन का पतन हुआ। 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही यूरोप में युद्ध का अंत हुआ। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने विश्व का सर्वप्रथम अणुबम बरसाया। इससे लाखों लोग मर गए। इसके दुष्परिणाम जापान आज भी भुगत रहा है। 15 अगस्त 1945, को जापान पूर्ण रूप से शरण में आ गया। साथ ही मित्र दल युद्ध में पूर्णरूप से विजयी हुआ।

आपको ज्ञात रहे :

द्वितीय विश्व युद्ध में कितनों की मृत्यु हुई? : द्वितीय महायुद्ध में नागरिक और सैनिक सहित कुल 4,82,00,000 लोगों ने प्राण गंवाए। जर्मन नेतृत्व वाले अक्ष (Axis) देशों में 82,00,000 लोग मारे गए, जबकि मित्र राष्ट्रों (Allies) में 4,00,00,000 लोग मारे गए। सबसे अधिक हताहतों की संख्या वाला देश रूस था - 2,00,00,000, उसके बाद चीन - 1,00,00,000। यदि उनका अपार बलिदान न होता तो हिटलर की हार न होती। मानव जाति को नाजी जातीय तानाशाही से नहीं बचाया जा सकता था।

मानव के इतिहास में अत्यधिक जान-माल की हानि वाला द्वितीय विश्व युद्ध था जो विश्व के राजनीतिक और सामाजिक संरचना में बदलाव लाया। राष्ट्र संघ के स्थान पर विश्व संस्था की रचना हुई। युद्ध में विजयी राष्ट्र अमेरिका संयुक्त संस्थान, सोवियत रूस, चीन ब्रिटेन तथा फ्रांस देश विश्व संस्था के सुरक्षा मंडल के स्थायी सदस्य बन गए। सोवियत रूस और अमेरिका परस्पर विरोधी शक्तिशाली देश बने। यह शीत युद्ध का प्रारंभ था। एशिया और अफ्रिका के उपनिवेशों को स्वतंत्रता पाने के लिए अनुकूल वातावरण बना। ब्रिटेन, फ्रांस आदि राष्ट्रों ने अपने वश में स्थित कई उपनिवेश खो दिए। भारत की स्वतंत्रता को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है। अमेरिका ने अणु अस्त्रों का प्रयोग किया था अतः यह बृहत् देशों के मध्य अणु अस्त्रों की होड़ का मार्ग बन गया।

विश्व युद्ध तथा भारत की भूमिका:

दो विश्व युद्धों में ब्रिटिश के लिए भारतीय सेना के सहयोग बिना जीतना संभव नहीं होता। इसका प्रमाण युद्ध के मैदान पर सैन्य रिकॉर्ड (मिलिटरी रेकार्ड्स) और युद्ध की रिपोर्ट से मिलता है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, साहस और बलिदान आज भी उन देशों में जीवित है। जहाँ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के तुरंत बाद, इंग्लैंड के सम्राट और भारत के सम्राट, यूनाइटेड किंगडम के पाँचवे जॉर्ज ने ब्रिटिश साम्राज्य में इंग्लैंड की सहायता करने की माँग की। इसी संदर्भ में गांधीजी दक्षिण अफ्रिका से राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने आए थे।



मैसूर लांसर्स

प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने नेतृत्व किया और निर्णायक भूमिका निभाई। भारत के ब्रिटिश साम्राज्य और उसके घरेलू राजाओं ने इन युद्धों में सैन्य, आर्थिक और भौतिक रूप से बहुत योगदान दिया। भारत के लगभग 15 लाख सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया। इसने 172,815 पशुओं की आपूर्ति भी की जिनमें 85,953 घोड़े, 10, 781 ऊंट, 5061 गाड़ियाँ, 65,398 गधे, 7 करोड़ गोला-बारूद और 6 लाख राइफल शामिल हैं। 1914-18 के बीच, लगभग 4,19,20,223 गांठों का भंडार किया गया और भारत से कच्चा माल, मैंगनीज, सिलिकॉन, चाय और रबर की आपूर्ति की गई।

अगस्त 1914 में चौथे महाराजा (नालवड़ी) कृष्णराजा के शासकों ने भारत के वायसराय को पत्र लिखकर कहा कि वे ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। तुरंत 50 लाख रुपये संस्थान की ओर से इंडिया वॉर फंड में सौंपे। सितंबर 1914 में मैसूर रैंसर रेजिमेंट को युद्ध के लिए इजिप्ट के लिए तैयार करने के लिए हुकुम पहुँचा। साथ ही कमांडर बी. चामराज अरसु के मैसूर ने युद्ध के मैदान में सेना भेजी, और कर्नल जे. देसीराजा अरस को दरबार का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाराजा ने युद्ध के मैदान में भेजा। उनके साथ 23 अधिकारियों, 444 सिपाहियों, 526 घोड़ों, 49 खच्चरों, 132 परिवारों के साथ 13 अक्टूबर 1914 को बैंगलोर से रवाना हुई। मेजर एम.एच. हेंडरसन के साथ थे। लोहा, अभ्रक, क्रोमाइट की लकड़ी और कंबलों की भारी आपूर्ति कर युद्ध क्षेत्र को भेजा।

नवंबर 1915 में स्वेज नहर क्षेत्र में तीन बार शत्रु के साथ लड़ने के साथ 1917 के नवंबर में प्यालस्टैन के गाजापट्टणा को घेरने के लिए आगे बढ़े। गाजा युद्ध में लड़े और दुश्मन को भगाया। वायसराय को इजिप्ट के कमांडर-इन-चीफ द्वारा सूचित किया गया था।

तुर्की सेना को नष्ट करके और प्यालस्टैन, सिरिया, दमाश्कस और अलेप्पो के शहरों पर कब्जा करके हाइफा पर नियंत्रण करने में मैसूर तथा जोधपुर के सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरह, जोधपुर के लारेन्सों का युद्ध भी अप्रतिम था जिसमें उन्होंने भाले से तुर्की लोगों की जान ले ली थी।

मैसूर लांसर्स के प्रमुख ए.टी.त्यागराज, रिसालदार ए. लिंगराज अरस, सुब्बाराजा अरस, बी.पी. कृष्णे अरस, विर तुराक अली, सरदार बहादूर, बी. चामराजा आरस, रेजिमेंटदार बी, चामराजा अरस और कर्नल जी देसीराजा अरस।

इसके अलावा जोधपुर और हैदराबाद लांसर्स भी युद्ध में भागीदारी थे। अंग्रेजों ने दिल्ली में इनके नाम से प्रसिद्ध तीन मूर्ति भवन का निर्माण किया। (जिसका अर्थ है तीन मूर्तियां - मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद सैनिक)। यह वर्तमान तीन मूर्ति मार्ग में है। [इज़राइल के साथ दोस्ती के संकेत के रूप में, भारत ने 14 जनवरी, 2018 को इसका दौरा किया, जब प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तीन मूर्ति चौका युद्ध के स्मरणार्थ इस रास्ते नाम बदलकर तीन मूर्ति हैफा चौका कर दिया।]

इसकी सभी मदद से, इंग्लैंड ने स्वतंत्रता के अपने वादे को नहीं निभाया और 1919 में रॉलेट एक्ट शुरू किया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।

भारत और द्वितीय विश्व युद्ध :

द्वितीय विश्व युद्ध ने आधुनिक दुनिया विश्व के सामाजिक और राजनीतिक मानचित्र को बदल दिया। औपनिवेशिक भारत में एक बड़ा बदलाव आया। यह युद्ध यूरोप पर केंद्रित है और सर्वव्यापी है। 1939-45 के युद्ध में भारत ने भाग लिया। सैन्य की वर्दी पहने भारत ने कई बदलाव देखे और पश्चिम एशिया, मलाया, बर्मा, इराक, इरान, सिरिया, उत्तरी और पूर्वी अफ्रिका, सिसिली, इटली के प्रमुख स्थल, ग्रीस, क्रेते, साइप्रस, इथियोपिया और सोमालीलैंड जैसे देशों में लड़े हैं। भारत पश्चिम में जर्मनी और पूर्व में जापान के लिए युद्ध विभाजन रेखा बन गया। औपनिवेशिक भारत एक ओर स्वतंत्रता संग्राम दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सुभाष चन्द्र बोस के आजाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि में लड़ रही थी। भारतीय संसाधनों और सिपाहियों ने मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने में मदद की। इस युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का अनुभव भारत के लिए प्रोत्साहन का स्रोत था। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन ने भारतीय कृषि सामग्री और औद्योगिक सामग्री का इस्तेमाल किया। और युद्ध सामग्री के उत्पादन के लिए नई रणनीति अपनाने के लिए आर्डिनेंस के कारखानों को उन्नत किया। नई तकनीकों का प्रयोग किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने युद्ध के उत्तरी भाग में गुणात्मक और बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्रियों का उपयोग प्राप्त किया।

भारतीय सेना द्वारा सीखी गई छोटी-छोटी युद्ध के तकनीकों ने उन्हें पूर्वी अफ्रिका के इटालियन से लड़ने में मदद की। इसके अलावा, इरविन रोवेल अफ्रीकी कोर को पीछे हटाने के लिए प्रशिक्षित भारतीय सैनिक सक्षम थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना की भागीदारी जर्मन सेना की हार का मुख्य कारण होना भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

1942 में जापान से भारतीय सेना की हार हुई थी। बर्मा में युद्ध, 1942-45, भारतीय सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। लीड कमांडर की वजह से और दक्षिणपूर्वी एशिया के कमांडर-इन-चीफ द्वारा भारतीय सेना के लिए गहन सैन्य प्रशिक्षण मिला था। ताकि भारतीय सैनिक 1944-45 में बर्मा में विजय प्राप्त कर सकें।

1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इससे दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक परिवर्तन हुए, ब्रिटेन के नियंत्रण वाले कई देश स्वतंत्र हो गए।

देश	स्वतंत्रता का वर्ष
लीबिया	1951
सूडान	1956
घाना	1957
नाइजीरिया	1960
अल्जीरिया	1962
कीन्या	1963
ज़ाम्बिया	1964

अभ्यास:

I. निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. प्रथम विश्व युद्ध _____ में अंत हुआ।
2. वर्सॉल की संधि _____ में हुई।
3. इटली तानाशाही _____ था।
4. जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता _____ था।
5. द्वितीय विश्व युद्ध _____ में शुरू हुआ।
6. मैसूर लांसर्स के प्रमुख के रूप में _____ को युद्ध भूमि में भेजा गया था।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए :

7. प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण की व्याख्या कीजिए।
8. 'नाजी विचारधारा ने जर्मनी को नष्ट कर दिया' कैसे ? व्याख्या कीजिए।
9. द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या-क्या थे ?
10. मैसूर के प्रमुख कमांडरों के नाम लिखिए।
11. द्वितीय महायुद्ध के परिणाम क्या-क्या थे ?
12. तीन मूर्ति चौक कहाँ है ?
13. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत के संसाधनों का उपयोग कैसे किया ?

III. गतिविधियाँ :

1. अखबार और इंटरनेट की सहायता से हाल ही में दुनिया भर के देशों में हुए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए।
2. इंटरनेट और समाचार पत्रों की सहायता से वैश्विक स्तर पर शांति स्थापित करने के भारत के अन्य राष्ट्रों के साथ प्रयासों पर एक निबंध लिखिए ।

IV. परियोजना :

1. विश्व का मानचित्र लिखकर मित्र एवं शत्रु देशों को पहचान कर रंग भरिए।
2. दुनिया के विभिन्न देशों के झंडों का चित्र एकत्रित कीजिए।



राजनीति शास्त्र

अध्याय - 21

भारत की विदेशांग नीति और वैश्विक समस्याएँ



इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त होगी -

- भारत की विदेशांग नीति का संक्षिप्त परिचय
- आर्थिक असमानता
- भयोत्पादन
- मानव अधिकारों का निराकरण
- शस्त्रास्त्रों की होड़

राजनैतिक विद्वान कार्ल विल्फ गैंग ड्युसच का कहा है - 'भविष्य में नागरिकता का यदि विनाश होता है तो वह अकाल अथवा प्लेग के कारण नहीं बल्कि केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेशांग नीति से मात्र हो सकती है'। उनका यह कथन विदेशांग नीति अध्ययन के महत्व को प्रदर्शित करता है। भारत की विदेशांग नीति की दृढ़ नींव डालने में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः उन्हें "भारत की विदेशांग नीति का पितामह" कहा जाता है।

विदेशांग नीति का अर्थ और व्याख्या :

एक राष्ट्र के अन्य राष्ट्रों के साथ व्यवहार करते समय पालन की जाने वाली नीति विदेशांग नीति कही जाती है। आज प्रत्येक राष्ट्रों की अपनी ही विदेशांग नीति अति आवश्यक है।

प्रो. महेंद्रकुमार के अनुसार 'राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये इनके द्वारा आदेशित विदेशांग संबंधों में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जागरूकता से युक्त कार्य-कलाप की सूची ही विदेशांग नीति है।'।

विदेशांग नीति के निर्धारण अंश- विदेशांग नीति निरूपण के प्रेरक निर्णायक अंश ही विदेशांग नीति का निर्धारक अंश हैं। एक देश के विदेशांग नीति देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जनसंख्यात्मक नैतिक और तात्त्विक अंश की पृष्ठभूमि के आधार पर निर्मित होता है। भारत की विदेशांग नीति भी कई अंशों के आधार पर निर्मित है। ये इस प्रकार हैं-

1. सामान्य निर्धारक अंश

1. राष्ट्र की एकता और सार्वभौमिकता
2. परस्पर अवलंबन
3. राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और अभिवृद्धि
4. उत्तेजनात्मक अंश

2. आंतरिक निर्धारक अंश :

1. राष्ट्र का भौगोलिक स्थान
2. जनसंख्या का आकार
3. सैद्धांतिक, आर्थिक और नैतिक अंश

3. बाह्य निर्धारक अंश :

1. अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ
2. अंतर्राष्ट्रीय संघटनों के साथ संबंध
3. वैश्विक सार्वजनिकों का अभिमत

इस प्रकार उपरोक्त सामान्य, आंतरिक और बाह्य अंश भारत की विदेशांग नीति की रचना में अपना प्रभाव डालते हैं ।

भारत की विदेशांग नीति :

अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक देश अपनी अलग विदेशांग नीति रखता है। भारत ने भी अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी विदेशांग नीति की रचना की है ।

भारत की विदेशांग नीति का विकास-भारत की विदेशांग नीति के विकास को हम अंग्रेजों के काल से ही पहचान सकते हैं । 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विदेशों के साथ व्यवहार करने के लिए एक अलग ही विदेशांग विभाग निर्मित था । अध्ययन की सुविधा के लिए इस विकास को तीन भागों में बाँटा जा सकता है -

1. जवाहरलाल नेहरू के आदर्शवाद का चरण - (1947 - 1959)

इस चरण में नेहरू के आदर्शवाद ने विदेशांग नीति को अधिक प्रभावित किया । आदर्शवाद सभी को एकसाथ शांतिपूर्वक जीने की प्रेरणा देने से संबंधित है । आदर्शवादी नेहरू ने अपनी

विदेशांग नीति में आदर्शवाद बनाए रखा। 1947 में कश्मीर की समस्या को विश्वसंस्था को सौंपकर शांतिपूर्वक समाधान करने का निर्णय, 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता, अलिस नीति को प्रोत्साहन, उपनिवेशवाद की विरोध नीति, वर्णभेद नीति विरोध तथा साम्राज्यशाही का विरोध जैसी नीतियाँ उनके इस भाव को प्रतिबिंबित करती हैं। किंतु चीन, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों की कुटिल नीतियों से उनकी आदर्शवाद विदेशांग नीति आलोचनात्मक बन गई।

2. आकस्मिक यथार्थवाद का वास्तविक चरण - (1959 - 1991) - जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ शांतिपूर्ण भाईचारे की नीति का अनुसरण किया। किंतु 1962 में चीन देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया जिससे नेहरू ने ही चीन के साथ आदर्शवाद की नीति की पुनः आलोचना की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई शाश्वत शत्रु तथा कोई शाश्वत मित्र नहीं होता, केवल शाश्वत आस्था या अभिलाषी होता है, जैसा वास्तविक सत्य नेहरू को देर से समझ आया, जान पड़ता है। 1959 में चीन के शत्रु तिब्बत के दलाईलामा को आश्रय देने, 1961 में सैनिक बल के साथ पुर्तगालियों के अधीन स्थित गोवा को वश में करने का यह आकस्मिक यथार्थवाद का प्रारंभिक चरण रहा है। नेहरू के बाद लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी आदि प्रधानमंत्रियों ने आकस्मिक यथार्थवाद के विकास को बढ़ावा दिया। लालबहादुर शास्त्री ने भारत में खाद्य समस्या के उत्पन्न होने की आशंका होने पर भी वियेतनाम में अमेरिका की नीति का खंडन किया। इंदिरागाँधी ने पाकिस्तान के हिस्सा पूर्व पाकिस्तान को मुक्त कर दिया जो बांग्लादेश के उदय का कारण बना। राजीव गाँधी के काल में चीन के साथ सुन्दोरांगचु अड़चनें 1959 से 1991 तक भारत के आकस्मिक यथार्थवाद की विदेशांग नीति का प्रमाण है।

3. आर्थिक प्रायोगिक चरण - (1991 से वर्तमान तक) - अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक शक्तियाँ समान रूप से देश की आर्थिक शक्ति पर अधिक प्रभाव डालती हैं। इसे देर से समझकर भारत ने भी पी.वी. नरसिंहराव के शासनकाल में तब तक अस्तित्व में स्थित अपनी सुरक्षात्मक आर्थिक व्यवस्था नीति को छोड़, वैश्विक तथा उदारीकरण के रूप में विश्व को प्रदर्शित किया। निजीकरण द्वारा निजी पूँजीनिवेश का अवसर प्रदान किया। आगामी सभी प्रधानमंत्रियों ने इस नीति को प्रोत्साहित किया, जिससे देश के व्यापार-व्यवहार में काफी वृद्धि हुई और हमारा देश आज दुनिया के पाँचवें बृहत् आर्थिक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाता है। देश की आर्थिकता को बलशाली बनाने वाली विदेशांग नीति आज अत्यधिक जनप्रिय हो रही है। कई देशों के साथ काफी मतभेद होने पर भी आर्थिक अड़चनें न पैदा हों, इसे ध्यान में रखकर वर्तमान विदेशांग नीति का पालन किया जा रहा है।

इस प्रकार विविध कालों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के साथ ताल-मेल कर भारत की विदेशांग नीति विकसित हो रही है ।

भारत की विदेशांग नीति के मूल तत्व :

1. उपनिवेशवाद का विरोध : भारत स्वतंत्रता से पूर्व स्वयं यूरोपीय राष्ट्रों के अधीन उपनिवेश रहा। अतः अंग्रेजी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्षकर स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार उपनिवेशवाद के परिणामों के बारे में जानकारी रखने वाला भारत देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका विरोध करता आया है ।

2. साम्राज्यशाहीवाद का विरोध : गरीब राष्ट्रों को उपनिवेशियों के नाम से हिंसित कर अपना साम्राज्य विस्तृत करने की भावना वाले अमीर देशों की साम्राज्य शाही नीति का भारत विरोध करता है ।

3. वर्णभेद नीति का विरोध : भारत में जाति व्यवस्था जड़ तक पहुँच गई है, इसी प्रकार अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका देशों ने भी शरीर के वर्ण के आधार पर वर्णभेद नीति लागू है। भारत इसका विरोध करता है ।

4. अलिप्त नीति : 1945 के बाद विश्व अमेरिका और राष्ट्र केंद्रित समूह के नाम से दो भागों में बँट गया था। भारत ने इनमें से किसी भी ओर न जुड़कर तटस्थ नीति का पालन किया और अपने हितों की रक्षा की। यही अलिप्त नीति है। आज भी अलिप्त नीति भारत की विदेशांग नीति के मूल तत्वों में से एक है ।

5. अफ्रीका और एशिया के विकास को महत्व : विश्व के मानचित्र में सार्वभौम राष्ट्रों की ओर ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के राष्ट्रों के उपनिवेशवादिता के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े रह गए हैं। इन सभी उपनिवेश शोषित राष्ट्रों को प्रमुख धारा में जोड़ना ही भारत की विदेशांग नीति का तत्व है ।

6. निःशस्त्रीकरण पर बल : परमाणु बम, जल जनक बम तथा अन्य जीवों के हानिकारक वस्तुओं की सृष्टि न की जाए, इस पर रोक लगाने की दृष्टि से इन्हें भारत सहयोग देता है। साथ ही भारत द्वारा अपनी परमाणु शस्त्रास्त्रों को बाह्य आक्रमणों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए मात्र रखता है। 'स्वयं प्रथम अणुअस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा' नामक नीति के प्रति भारत कटिबद्ध है ।

7. विश्वसंस्था और विश्वशांति को समर्थन / प्रोत्साहन : बुद्ध के शांतिमंत्र को अपनी विदेशांग नीति का मंत्र मानकर चलने वाला भारत विश्वशांति और उसकी सुरक्षा के लिए उत्पन्न विश्वसंस्था को सहायक है।

इसी प्रकार भारत की विदेशांग नीति कई नीति-नियमों के अधीन उसकी सुरक्षा के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक हितों की रक्षा करता आया है।

वैश्विक समस्याएँ और भारत की भूमिका

विश्व में बृहत् आकार के लोकतंत्र वाला राष्ट्र भारत विकास की दिशा में पाँचवें बड़े राष्ट्र के रूप में सामने आया है। यह विकासशील राष्ट्रों में अग्रणी है। अल्पिष्ट राष्ट्रों तथा अन्य पिछड़े राष्ट्रों की आवाज़ - भारत वैश्विक शक्तिपूर्ण राष्ट्र के रूप में अलंकृत है। ऐसे समय में विश्व के समक्ष स्थित समस्याओं का समर्थ रूप से सामना करने के लिए भारत अपनी भूमिका के प्रति जागरूक है। विश्व की इन समस्याओं को अपनी शक्ति के अनुसार व्यवस्थित रूप से निभाते हुए अन्य राष्ट्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय संघटनों के साथ अपनी चयनित संदर्भानुसार विदेशांग नीति को लागू करता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादी नीतियाँ धीमी पड़ गईं। प्राचीन जगत के परिवर्तन के साथ नवीन जगत का उदय होने लगा। 1945 में विश्वसंस्था की स्थापना के साथ नए शक का प्रारंभ हुआ। फिर भी विश्व स्तर पर मानव अधिकारों का निराकरण, शस्त्रास्त्रों की होड़, आर्थिक असमानता, वर्णनीति तथा भयोत्पादन जैसी कई समस्याएँ अब भी वैसी ही बनी हुई हैं। विश्वसंस्था के एक अग्रणी सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत इन सभी वैश्विक सवालों के समाधान के लिए संभवनीय प्रयास कर रहा है।

1. मानव अधिकारों का निराकरण—व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अनुकूल मानवीय, न्यामूर्ति, सामाजिक स्थितियाँ ही मानव अधिकार हैं। मानवतावादी-प्रत्येक के जन्म से या पैदा होते ही प्राप्त अधिकारों का प्रतिपादन करते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश विश्व के कई लोगों को लंबे समय से यह मानव अधिकार निराकरणीय रहा है। धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, वर्ण और राष्ट्रीयता जैसे अंशों के आधार पर मानव अधिकारों के निराकरण को हम देख सकते हैं।

1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, 1789 के फ्रांस की महाक्रांति, 1917 की रूस की क्रांति, 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में हुए भारत तथा अन्य राष्ट्रों का स्वतंत्रता संघर्ष मानव अधिकारों के लिए किया जाने वाला संघर्ष ही है।

मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा :

20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध के दो भीषण वैश्विक युद्ध के लिए जगत ही प्रमाण है। सर्वाधिकारियों की क्रोध नीति अनेकों के जान-माल की हानि का सबूत है। लाखों लोग इस मरण होम के भाजन हुए, राष्ट्रों को इस अडचन का कारण - हिंसा ने सहज ही जनता की स्वतंत्रता और अधिकारों का बड़ी क्रूरता से दमन किया। इसके विपरीत स्थापित विश्व संस्था ने 1948 दिसंबर 10 को अपनी सामान्य सभा में मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा को अंगीकार किया। इसलिए प्रति वर्ष दिसंबर 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस को मनाया जाता है। मानव अधिकार के निराकरण के विरुद्ध विश्वसंस्था ने मानव अधिकारों की घोषणा एक प्रमुख मील का पत्थर बन गई है।

गुलामी पद्धति, मानव तस्करी, बाल-मजदूरी, महिलाओं का शोषण, आदि मानव अधिकारों के सार्वत्रिक शोषण का निषेध है। जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, स्वसुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार, ये सभी लोकतंत्र तथा एक सिद्धांत शाहीपन में मूलभूत अधिकारों का निराकरण हम आज भी देख सकते हैं।

मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत का प्रयास :

भारत सार्वत्रिक मानव अधिकारों का निरंतर प्रतिपादन करता आया है। विश्वसंस्था की सामान्य सभा में - भारत, पूरे विश्व में मानव अधिकारों की सुरक्षा के बारे में सदैव समर्थन करता आया है। संविधान में मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है। जनांगों की हत्या, सभी प्रकार के शोषण तथा दमनकारिता के प्रति भारत विरोध व्यक्त करता रहा है। विश्वसंस्था और अन्य वैश्विक मंच द्वारा भारत मानव अधिकारों की रक्षा का प्रयास करता रहा है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की है।

2. शस्त्रास्त्रों की होड - शस्त्रास्त्रों को बनाना, भंडारण तथा प्रयोग/ उपयोग से संबंधित विविध राष्ट्रों के बीच हो रही स्पर्धा को शस्त्रार्थों की होड कहा जा सकता है।

शस्त्रास्त्रों की होड के दुष्परिणाम - पूरे विश्व में भय, अस्थिरता की सृष्टि होती है। युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। विश्व शांति की स्थापना में रुकावट आती है। आर्थिक रूप से हानिकारक स्थिति और आर्थिक अस्थिरता का मार्ग खुल जाता है। अमेरिका के भूतपूर्व अध्यक्ष आइसन हवर ने एक बार कहा था - “शस्त्रों से युक्त यह दुनिया केवल धन मात्र ही व्यर्थ नहीं

करता है, बल्कि मज़दूरों का पसीना, वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता और बच्चों की इच्छाओं का भी व्यय करती है।” यह कथन शस्त्रास्त्रों की होड़ से होने वाले दुष्परिणामों को दृढ़ करता है। इन सभी विनाशकारी तत्वों को दूर रखने की दृष्टि से निःशस्त्रीकरण वर्तमान विश्व की आवश्यकता प्रतीत होता है।

निःशस्त्रीकरण : निःशस्त्रीकरण, विश्व में वर्तमान तथा भविष्य में जीवित रहने के लिए अनिवार्य लगता है। शस्त्रास्त्रों की तीव्र होड़ रोकने के लिए निःशस्त्रीकरण ही एकमात्र प्रमुख उपाय लगता है।

निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य है – निर्दिष्ट या सभी शस्त्रास्त्रों की मनाही या संपूर्ण त्याग की सीधी प्रक्रिया। अण्वास्त्र या न्यूक्लियर बम बनाने के साथ-साथ निःशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण का प्रश्न बड़ा ही गंभीर विषय माना गया है। एक प्रसिद्ध उक्ति है – “अण्वास्त्र के युग में हमें युद्ध का अंत करना चाहिए, अन्यथा युद्ध हमारा अंत कर देगा।”

भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र होने के कारण यह शस्त्रास्त्रों के नियंत्रण का प्रतिपादन करता है। आगामी वैश्विक सुरक्षा की दृष्टि से युद्धों का निवारण बड़ा अनिवार्य है। निःशस्त्रीकरण के लिए कई वैश्विक समझौतों की व्यवस्था की गई है। वे हैं – निर्णयात्मक शस्त्र नियंत्रण समझौता (SALT), परमाणु प्रसरण निषेध समझौता (NPT), समग्र परीक्षा निषेध समझौता (CTBT), वसूली पर रोक समझौता, जैविक शस्त्रास्त्रों का समावेश (BWC) इन सभी शस्त्रास्त्रों की होड़ पर रोक लगाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण विश्व स्तर के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार ‘परस्पर निश्चित नाश’ के लिए कारणीभूत शस्त्रास्त्रों के नियंत्रण के पूरक वाद का भारत समर्थन करता है। इस दिशा में भारत सहित सभी राष्ट्रों का प्रयास भी आवश्यक है।

3. आर्थिक असमानता : विश्व कुटुंब के सदस्यों में परस्पर आर्थिक असमानता एक प्रमुख समस्या है। इसे उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का एक गठन कहा जा सकता है। यूरोपीय राष्ट्रों जैसे – अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों के संसाधनों को लूट लिया गया। इससे एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्र आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गए। 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इनकी प्रगति काफी कुंठित रही। उपनिवेशवाद से मुक्ति पाकर स्वतंत्र होकर अफ्रीका, एशिया और

लैटिन अमेरिका के राष्ट्र विकास के लिए प्रयत्नशील रहे। किंतु कृषि, उद्योग, यातायात तथा संपर्क, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति के लिए आर्थिक रुकावटें आने लगीं। अतः विदेशी आर्थिक सहायता इनके लिए अत्यंत अनिवार्य लगी।

आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों को 1945 के राजनैतिक ध्रुवीकरण के आधार पर अमेरिका और सोवियत रूस से समूह ने मदद देना प्रारंभ किया। किंतु इन राष्ट्रों की गरीबी विकसित देशों के राजनैतिक स्वार्थ की पूर्ति के रूप में प्रकट हुई।

आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों की विशेषताएँ - गरीबी तथा बेरोज़गारी की मात्रा अधिक रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपर्याप्त रहता है। शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बहुत निम्न होता है। अस्वस्थता और अपौष्टिकता बढ़ जाती है। तकनीकी ज्ञान की कमी रहती है। मूलभूत सुविधाओं की कमी देखी जा सकती है।

आर्थिक असमानता के निवारण हेतु भारत ने निम्नलिखित सुधार कार्यक्रम आयोजित किए हैं - भारत ने विश्व में अलिप्त नीति को आगे बढ़ाया। बिना किसी शर्त के आगे आने वाले देशों द्वारा गरीब राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की नीति को भारत ने प्रतिपादित किया। कुछ गरीब राष्ट्रों को भारत आश्रय देता आया है। इस प्रकार पिछड़े राष्ट्रों के आत्मसम्मान को बनाए रखने की दिशा में भारत ने सहयोग दिया है। साथ ही भारत ने अमीर राष्ट्रों की पूँजी को गरीब राष्ट्रों की ओर लाने का प्रयास भी किया है।

तृतीय विश्व- अल्फ्रेड सावी ने सर्वप्रथम 'तृतीय विश्व' (Third World) नामक शब्द का प्रयोग किया। "तृतीय विश्व" नामक विचार ही "गरीब राष्ट्र" नामक अंश को प्रदर्शित करता है। ये देश खाद्य की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, उन्नत शिक्षा का अवसर न होना, आदि खामियों से बाहर आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य राष्ट्रों के व्यर्थ खर्च मुक्त व्यापार, बेकार की होड़, वैश्वीकरण आदि विद्यमान गरीब राष्ट्रों पर कई बार दुष्परिणाम डालते आ रहे हैं।

इन सभी का समाधान करने के लिए विश्वसंस्था तथा विकसित राष्ट्र का सहायक रूप में प्रयास आवश्यक है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जो विश्व कुटुंब के सभी राष्ट्रों के बीच आर्थिक न्याय और समानता के भाव का प्रतिपादन करता है।

4. भयोत्पादन : भयोत्पादन को भीतिवाद या उग्रगामित्व भी कहा जाता है। यह एक बलप्रयोग का दबाव डालने की कुटिलता है। उग्रगामी संघटनों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए

तथा भय के वातावरण की सृष्टि का उद्देश्य रखने वाले राजनैतिक कुटिलता को भयोत्पादन कहा जा सकता है। ऐसे संघटित हिंसा कृत्य कानून के विरुद्ध तथा समाजद्रोही कहलाते हैं। 2001 में अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र का नाश, 2002 का इंडोनेशिया ब्रिटन, ईरान, भारत, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान आदि (कई देशों) में शृंखला बम विस्फोट, विश्व स्तर पर अत्यंत सोचनीय संगति है। यह उग्रगामीपन धार्मिक मूलभूत चिंतन से, अनेकतावाद, (प्रत्येकतावाद) से, तीव्र वामपंथीय विचारों से, प्रदेश अलग करने का जोश, वर्णभेद नीति आदि विचारधाराओं से प्रेरित होता है। एक राष्ट्र ही दूसरे राष्ट्र के अंदर की भयोत्पादकता को आर्थिक तथा अन्य सहायता दे रहा है।

बस स्टाप, रेलवे स्टेशन, विमान पत्तन, प्रमुख सरकारी कार्यालयों, भीड़-भाड़ वाली जगहें। जैसे - बाज़ार आदि स्थान इन भयोत्पादकों की मार का सामान्य स्थान हैं। इसे हम असंप्रदायिक युद्ध कह सकते हैं। आत्माहुति, आक्रमण, विमान अपहरण, मुठभेड़, बमबारी, निर्दिष्ट या बेचारे निरपराधी लोगों को अगवा करना, ये सभी उग्रगामियों द्वारा किया जाने वाला कुकृत्य है।

भारत ऐसे उग्रगामित्व की बलि चढ़ने वाला राष्ट्र है। यहाँ जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुर्वोत्तर भारत का राज्य, नागालैंड, मिजोराम, मणिपुर, असम, मेघालय आदि स्थानों पर भयोत्पादन जब-तब सिर उठाता रहा है। 1993 का मुंबई पर हमला, 2001 में दिसंबर 13 को हुआ नई दिल्ली का संसद भवन पर हमला, 2008 में नवंबर 26 को मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तथा ताजमहल पैलेस होटल पर हमला, इसी प्रकार हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलूरु, बोधगया आदि स्थानों पर भयोत्पादकों का कुकृत्य इसके साक्ष्य हैं। नक्सलवादी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रत्येकतावादी देशों की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठने वाले भयानक कार्यकलाप किए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी राष्ट्र - पाकिस्तान और चीन द्वारा हमारे यहाँ के ऐसे कुकृत्यों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा हो रही है।

भयोत्पादन की समस्या का सामना करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं -
वे हैं - राष्ट्रीय जाँच दल (NIA) की स्थापना की है। विशेष योग्यता प्राप्त दल की रचना, कभी-कभी भयोत्पादकों के विरुद्ध कार्याचरण हेतु सुरक्षा दल का भी उपयोग करता है। अपने तथा दूसरे स्थानों पर भयोत्पादकता का तीव्र विरोध भी व्यक्त करता आया है। भयोत्पादन के दमन के लिए दलों (ATS) की रचना की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) तथा संशोधन एवं विश्लेषण इकाई (RAW) आदि गुप्तचर संस्थाओं की स्थापना की गई है। गुप्तचर व्यवस्था

को और भी दृढ़ किया गया है। भयोत्पाद को धन स्थानांतरण पर रोक हेतु धन संबंधी गुप्तचर इकाई की स्थापना की गई है। सभी प्रकार के भयोत्पादन के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में भारत अपना सहयोग दे रहा है।

मनुकुल के इतिहास पर यदि एक नज़र डालें तो एक सत्य देखा जा सकता है - हिंसा, भयोत्पादन द्वारा मानव उपलब्धि तृणमात्र मिलेगी, जबकि सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, प्रेम तथा त्याग द्वारा अपार ख्याति और उपलब्धि मिली है। हमें प्राप्त निकट जानकारी में -म हात्मा गाँधी, श्यामप्रसाद मुखर्जी, इंदिरागाँधी की हत्या से कोई नवीन इतिहास की सृष्टि नहीं हुयी है किंतु बुद्ध, महावीर, बसवण्णा, गांधी, डा. बी. आर. अंबेडकर, नेल्सन मंडेला और दलाई लामा जैसे महान जनों द्वारा चेतना, नई दिशा एवं शांति प्राप्त हुई है। हिंसा द्वेष से अधिक शांति प्रेम ही शेष रह जाते हैं।

आपको ज्ञात रहे (विस्तृत रूप) :

SALT - The Strategic Arms Limitation Treaty
NPT - The Nuclear Non-proliferation treaty
CTBT - Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty
BWC - Biological Weapons Convention
NIA - National Investigation Agency
ATS - Anti Terrorism Squad
RAW - Research and Analysis Wing
IB - Intelligence Bureau

अभ्यास:

I. निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. भारत की विदेशांग नीति के शिल्पी _____ थे।
2. अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार के दिन को _____ दिन मनाते हैं।
3. भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, इसलिए यह _____ नियंत्रण का प्रतिपादन करता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिए :

4. विदेशांग नीति से क्या तात्पर्य है?
5. भारत की विदेशांग नीति के मूल तत्व कौन-कौन से हैं ?
6. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?
7. द्वितीय महायुद्ध के बाद उत्पन्न वैश्विक समस्याएँ कौन-कौन सी हैं ?
8. “शस्त्रास्त्रों की होड़ विश्व के विनाश का प्रारंभ है” - इस पृष्ठभूमि में शस्त्रास्त्रों की होड़ से होने वाले परिणाम क्या हैं ?
9. आर्थिक रूप से पिछड़े राष्ट्रों के लक्षण क्या हैं ? इस प्रकार पिछड़े होने का कारण क्या है?
10. आर्थिक असमानता के निवारण के लिए भारत द्वारा सुधार हेतु उठाए गए कदम कौन-कौन से हैं ?
11. भयोत्पादन से होनेवाले परिणाम क्या हैं ?
12. भयोत्पादन का निर्मूलन करने के लिए भारत ने क्या उपाय किए हैं ?

III. गतिविधियाँ :

1. मानव अधिकारों की रक्षा के लिए निर्मित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए ।
2. कैलाश सत्यार्थी के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए ।

IV. परियोजना :

1. मानव अधिकारों के निराकरण के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एमहान लोगों के जीवन चरित्र को जानकर पढ़िए ।

अध्याय -22

वैश्विक संस्थाएँ

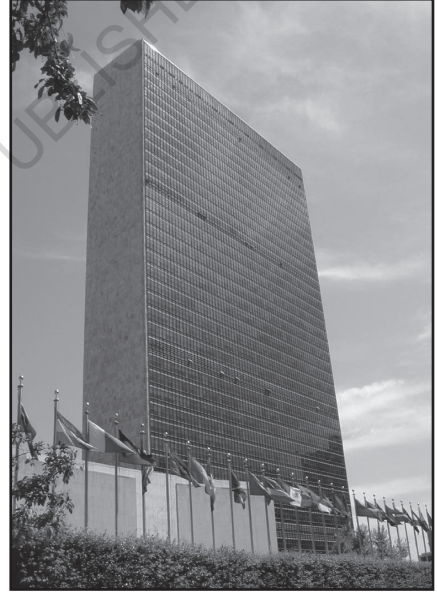


इस अध्याय के अध्ययन से निम्नलिखित अंशों से अवगत होते हैं :

- विश्वसंस्था की स्थापना
- विश्वसंस्था के उद्देश्य
- विश्वसंस्था की अंग संस्थाएँ
- विश्वसंस्था की उपलब्धियाँ
- विश्वसंस्था की आश्रित विविध संघ-संस्थाएँ
- क्षेत्रीय सहयोग

विश्व संस्था (U.N - United Nations):

20वीं सदी दो महायुद्धों का साक्ष्य है। प्रथम महायुद्ध के बाद विश्वशांति के लिए 'लीग आफ नेशन्स' नामक संस्था स्थापित हुई। लेकिन सन् 1939 में द्वितीय महायुद्ध के साथ इस संस्था का सर्वनाश हुआ। दूसरा महायुद्ध भयंकर रूप से हो रहा था, वैश्विक स्तर पर स्थायी शांति स्थापना का प्रयत्न आरंभ हो गया। विश्वस्तर में इंग्लैंड के विनस्टन चर्चिल, रूस के जोसेफ स्टालिन तथा अमरिका फ्रांक्लिन डी.रूसवेल्ट विश्वस्तर संस्था की स्थापना के लिए प्रयत्न किया। 'विश्व संस्था' (युनैटेड नेशन) नामक शब्द का प्रयोग अमरिका के उनदिनों अध्यक्ष फ्रांक्लिन डी.रूसवेल्ट द्वारा लागू किया गया।



विश्व संस्था (यू.एन.ओ)

1 जनवरी 1942 को 26 राष्ट्रों करार करने के लिए हस्ताक्षर करते ही प्रथम बार इस शब्द का उपयोग किया गया। इसे अब 'विश्वराष्ट्रों' नाम से जाना जाता है। 26 जून 1945 से स्थान फ्रांसिस्को विश्वसंस्था के कार्यालय, सम्मेलन शांति के लिए 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधि गण हस्ताक्षर किये। इस प्रकार 24 अक्तूबर 1945 का विश्वसंस्था आरंभ हुई। विश्वसंस्था के अनुसार वर्तमान में 193 राष्ट्र विश्वसंस्था के सदस्य राष्ट्र बन गये हैं। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में है। समस्त शांतिप्रिय राष्ट्रों को इसका सदस्य बनने के लिए मुक्त अवसर है। भारत विश्व संस्था का संस्थापक सदस्य राष्ट्र है।

विश्वसंस्था के उद्देश्य:

विश्वसंस्था के दस्तावेज, इस वैश्विक संस्था के लिखा हुआ प्रधान दस्तावेज है। इसमें 19 अध्याय हैं। 111 विधियाँ हैं। “विश्व जनसमुदाय बनकर हम ” वाक्य के साथ विश्वसंस्था की भूमिका आरंभ होती है।

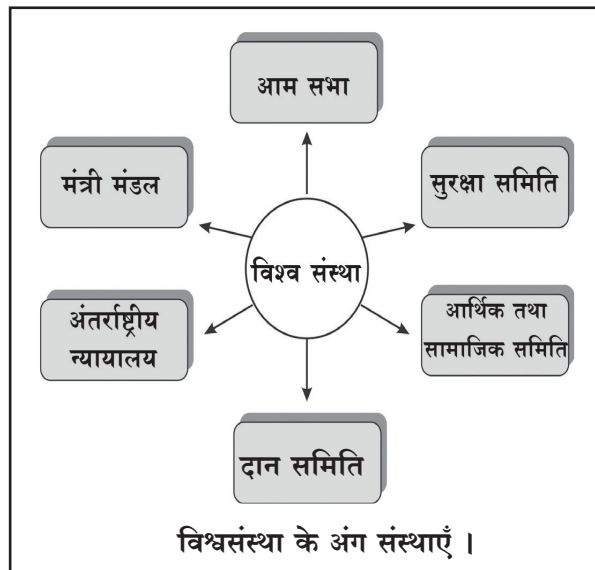
विश्वसंस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं: -

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को पालन करना ।
2. राष्ट्रों के बीच स्नेहभाव बढ़ाना।
3. मानव के आधारभूत अधिकारों के बारे में विश्वास बढ़ाना।
4. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय आधार की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय सहकार के साथ उपचार पहचानना।
5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्याय तथा शर्तों को मान्यता देना।
6. राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को प्रधानता के रूप में कार्य करना।

विश्वसंस्था की अंगभूत संस्थाएँ:

विश्वसंस्था के दस्तावेज के आधार पर कुछ छह प्रधान संस्थाओं की व्यवस्था की गयी है। उनमें से -

1. **आमसभा** : समस्त सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों युक्त अंगसंस्था है। हर सदस्य राष्ट्र 5 सदस्यों को यहाँ भेजना है। लेकिन हर सदस्य राष्ट्र को एक मत का अधिकार मात्र रहता है। यह आम सभा अपने प्रथम अधिवेशन में ही एक अवधि के लिए अकेला अध्यक्ष का चयन करती है। इसी तरह 17 उपाध्यक्ष तथा 7 स्थायी समितियों के साथ अध्यक्षों का चयन करती है। आमसभा के



अधिवेशन सामान्यतौर पर सितंबर में आरंभ होकर दिसंबर के मध्य तक होता है। प्रमुख निर्धारों को 2/3 हाज़िर सदस्यों से अनुमोदन पाया जाता है। कोई तुरंत विषयों के प्रति चर्चा की आवश्यकता हो तो विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यह आम सभा वैश्विक संसद के रूप में प्रसिद्ध है। विश्व के समस्त प्रमुख सामयिक विषयों की चर्चा का प्रधान रंगमंच है।

आप को ज्ञात रहे : विश्व संस्था में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश तथा अरबी भाषाएँ प्रशासनिक भाषा का स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

2. सुरक्षा मंडली: यह विश्वसंस्था के मंत्री मंडल के रूप में अत्यंत प्रभावित संस्था है। इसमें 15 सदस्य रहते हैं। इन्हें सदस्य राष्ट्र स्थायी सदस्य राष्ट्र है और अस्थायी सदस्य राष्ट्रों के नाम से वर्गीकृत किया गया है। उनमें से अमरिका संयुक्त संस्थान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन आदि राष्ट्र स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं। इन स्थायी राष्ट्र में वीतो अधिकार होते हैं। भारत भी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील है। अन्य 10 अस्थायी सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए सामान्य सभा चयन करती है। इन राष्ट्रों को वीटो का अधिकार नहीं होता। ये विविध भौगोलिक प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। हर सदस्य को एक मत चलाने का अधिकार रहता है। लेकिन प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार होता है। स्थायी सदस्यों का अनुमोदन हर प्रमुख निर्धारों के लिए आवश्यक है।

विश्व समस्याओं के लिए शांतिपूर्ण ढंग के उपचार के लिए सुरक्षा समिति प्रयत्न करता है। अनिवार्य के अवसर पर विश्वसंस्था शांति पालन करनेवाले दल (IPKF - International Peace Keeping Force) को अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुव्यवस्था के लिए नियुक्त करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को यह नियुक्त करती है तथा विश्वसंस्था प्रमुख सचिव को प्रत्याशी के लिए भी नाम सूचित किया जाता है।

3. आर्थिक तथा सामाजिक मंडली : इस समिति में 54 सदस्य हैं। इनमें से 18 सदस्यों को हर तीन साल में चयन किया जाता। अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चयन किया जाता है। इस समिति कार्य निम्नलिखित हैं :

- i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित विषयों का अध्ययन तथा रिपोर्ट करना।
- ii) आश्रयरहितों के संबंध में महिलाओं का स्तर, आवास की समस्या आदि कई विचार इस समिति के कार्यव्याप्ति के अंतर्गत आते हैं।
- iii) मानव अधिकार के संबंध में तथा आधारभूत स्वतंत्रता के संबंध में भी यह समिति संस्तुति करती है।

iv) मानव संसाधन, संस्कृति, शिक्षा आदि के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का संगठन करना।

v) विशेष कौशल के अंग संस्थाएँ जैसी अंतर्राष्ट्रीय नौकरों की समिति (ILO) आहार तथा कृषि संस्था (FAO) वैश्विक स्वास्थ्य संस्था (WHO) आदि कार्यों का समन्वय करना। ये सारे आर्थिक और सामाजिक समिति की प्रमुख संस्थाएँ हैं।

4. दान समिति (ट्रस्टिशिप-कौन्सिल): उपनिवेश शाही के अंतर्गत आने वाले प्रदेश सार्वभौम राष्ट्र के रूप में उदय होने वाले इस समय ये प्रदेशों के शासन हेतु स्थापित समिति ही दान समिति है। (दान समिति विश्वसनीय और धर्मदर्शी समिति के नाम से भी जानी जाती है।)

कुल 11 प्रदेश दान समिति के प्रशासन के अधीन हैं। ये सभी प्रदेश स्वतंत्र रहकर स्वयं प्रशासन चलाते हैं। इस समिति के प्रशासन के अंतर्गत स्वतंत्र होने वाला अंतिम प्रदेश ही अफ्रीका महाद्वीप का पलावु गणराज्य (1994) है। अन्य शब्दों में पलावु भू-प्रदेश (द्वीप समूह) ने सार्वभौम गणराज्य के रूप में उभरने के साथ-साथ दान समिति में अपनी पहचान खो दी है। आज कोई भी भू-प्रदेश इस समिति के प्रशासन के अधीन नहीं है।

नागेन्द्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक तथा दलवीर भंडारी - इन सभी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य निभाया है। वर्तमान में दलवीर भंडारी द्वितीय अवधि के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय : यह विश्वसंस्था के एक प्रधान अंग संस्था है तथा समस्त सदस्य राष्ट्र इस न्यायालय के निकट अपनी अनुमति देने के लिए तैयार है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश रहते हैं। इनकी अधिकार अवधि 9 साल है। ये फिर चयन होते हैं। नीदरलैंड के दि - हेग में यह न्यायालय स्थापित किया गया है। तीन साल की अवधि के लिए एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को इस न्यायालय के न्यायाधीश ही चयन करते हैं। बहुमत के आधार पर इसके निर्णय स्वीकृत होते हैं। न्याय के साथ कानून के विचार में भी यह उचित निर्देश देता है।

नैतिक और वैचारिकता के आधार पर इस न्यायालय निर्णय महत्वपूर्ण है। लेकिन इस न्यायालय के निर्णय किसी भी देश से संबंधित नहीं। सभी व्यवस्थाओं के बीच में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने ही देन दी है।

आपको ज्ञात रहे:

बेनगल नरसिंह राव इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय थे। ये कर्नाटक के मंगलूर के हैं। नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक तथा दलवीर भंडारी - इन सभी ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य निभाया है। वर्तमान में दलवीर भंडारी द्वितीय अवधि के लिए इस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं।

6. सचिवालय : महासचिव तथा विश्वसंस्था नौकर वर्ग इस उपसंस्था से संबंधित है। महासचिव इस कार्याग के प्रधान है। इसकी सुरक्षा समिति के निर्णय के आधार पर आमसभा पाँच वर्ष की अवधि के लिए चयन करती है। इसका प्रधान कार्यालय न्यूयार्क में हैं। जिनेवा (स्विटजरलैंड), वियेन्ना (आस्ट्रिया) तथा नैरोबी (केन्या) में इसकी शाखाएँ हैं। दैनिक प्रशासनिक कार्ययोजना तथा सांस्थिक कार्य इस सचिवालय के अंतर्गत आते हैं।

आपकी जानकारी के लिए :

विश्वसंस्था के महा सचिव :

1. ट्रिग्वे ली	(1946-1952)	नार्वे
2. ड्याग ह्यामर शीलड	(1953-1961)	स्वीडन
3. यू. थांट	(1961-1971)	बर्मा
4. कर्ट वाल्ड हीम	(1972-1981)	आस्ट्रिया
5. ज़ेवियर पेरुज् डे क्युयेल्लार्	(1982-1991)	पेरु
6. बुतरस घाली	(1992-1996)	ईजिप्ट
7. कोफी ए अन्नान	(1997-2006)	घाना
8. बान की मून	(2007-2017)	कोरिय
9. अंटोनिया गटेरस	(2017 से)	पोर्चुगल

विश्व संस्था और नोबेल शांति पुरस्कार : 1961 में उन दिनों विश्वसंस्था के महासचिव -ड्याग ह्यामर शीलड को, 1988 में विश्वसंस्था के शांतिपालन दल और 2001 में विश्वसंस्था के महा सचिव रह चुके कोफ़्फ़ी अन्नान तथा विश्वसंस्था को संयुक्त नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

विश्व संस्था की उपलब्धियाँ

विश्व संस्था विश्व शांति की स्थापना के लिए आर्थिक संकटों के निवारण के लिए तथा सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु अपनी ही रीति से प्रयासरत है। विश्वसंस्था की प्रमुख उपलब्धियों को इस प्रकार समझ सकते हैं।

1. कोरिया विवाद, सुयेज नहर संकट तथा वियेना की समस्याओं का समाधान किया गया है।
2. कश्मीर समस्या और पाकिस्तान-इसराइल विवाद के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं।
3. निःशस्त्रीकरण उपलब्धि की दिशा में प्रयासरत है।
4. विश्वबैंक, अंतरराष्ट्रीय धन-संपत्ति संबंधी पूँजी और विश्व व्यापार संघटनों द्वारा आर्थिक, धन-संपत्ति तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्नशील है।
5. विश्व स्वास्थ्य संस्था द्वारा संक्रामिक तथा असंक्रामिक रोगों के निर्मूलन का प्रयास कर रही है।
6. मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा द्वारा संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों को लागू करने का प्रयास कर रही है।
7. वर्णभेद नीति, साम्राज्य शाहीपन, उपनिवेश शाहीपन को समाप्त करने हेतु प्रयत्नशील है।
8. वैश्विक तापमान के बढ़ने से हो रहे दुष्परिणामों को रोकने का प्रयास कर रही है।

4. विश्वसंस्था आश्रित विभिन्न संघ संस्थाएं :

अ). आहार और कृषि संस्था: FAO (Food and Agriculture Organisation) :

विश्व भर में गरीबी तथा भूख के विरुद्ध लड़ने के लिए सन् 1945 में एक संस्था का निर्माण हुआ। इसके प्रमुख रूप से तीन भाग हैं। वे हैं- 1. सम्मेलन 2. समिति 3. महानिर्देशक इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं- (अ) कृषि क्षेत्र की अभिवृद्धि (आ) पौष्टिक आहार प्रदान करना (इ) भूख से संसार की मुक्ति करना (ई) ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर सुधारना। इसका प्रधान कार्यालय रोम में है।

आ) विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO (World Health Organisation) : संसार के मानवों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए सन् 1948 में विश्व स्वास्थ्य संस्था आरंभ हुई। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने हैजा, प्लेग, मलेरिया और चेचक जैसी भयानक रोगों को

संपूर्ण ढंग से निर्मूलन करने के लिए प्रयत्न करती है। इसी प्रकार कैंसर, एड्स आदि भयानक रोगों से संसार को मुक्त करने के लिए प्रयत्न करती है। चेचक रोग समग्र रूप से दूर करने में यह संस्था विजय पायी है। जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण संरक्षण और भूख-आदि विषय इस संस्था की कार्यसूची में है। इन सारे क्षेत्रों में विश्व स्वास्थ्य संस्था की सेवा उल्लेखनीय है। इसका प्रधान कार्यालय स्विटजरलैंड के जिनेवा में है।

इ). युनेस्को (विश्व संस्था की शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था) (UNESCO - United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) :

सन् 1946 को स्थापित हुई। इसका मुख्य केंद्र पेरिस में है। यह संसार भर में विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति आदि को प्रेरणा देनेवाली संस्था है। तकनीकी शिक्षा माध्यम तकनीकी, रचनात्मक चिंतन, सांस्कृतिक विचारधाराएँ, परिसर विज्ञान की इसके कार्यक्षेत्र है। संसार भर की शिक्षा तथा ज्ञान प्रसार। दिशा में यह सरकार गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता करती है।

ई). युनिसेफ (विश्व संस्था का अंतर्राष्ट्रीय बाल संकटकालीन कोष (UNICEF - United Nations Children's Fund) : द्वितीय महायुद्ध के उपरांत बच्चों की सुरक्षा के लिए सन् 1946 में इसकी स्थापना हुई। सन् 1957 में यह एक स्थायी संस्था हुई। इस संस्था में 30 सदस्य हैं। महिला और बच्चों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करना इस संस्था का प्रधान लक्ष्य है। यह उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यकता युक्त राष्ट्रों के लिए यह मदद करती है। सन् 1965 में युनिसेफ ने नोबल पुरस्कार पाया है। शुभकामना पत्रों से प्राप्त धन को यह संस्था बच्चों की क्षेम कुशलता के लिए उपयोग कर रही है। इस प्रकार इस संस्था मानवीय दृष्टिकोण युक्त संस्था कहलाती है।

खुद ही करें:
कर्नाटक में युनेस्को के ऐतिहासिक स्मारकों का एक सूची बनाइए।

उ). आइ. एम. एफ (अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष) (IMF - International Monetary Fund) : द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की आर्थिकता के पुनर्निर्माण हेतु तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष(IMF) तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और अभिवृद्धि बैंक

(IBRD) नामक दो संस्थाएँ स्थापित हुयीं। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष ने सन् 1947 के बाद पूर्ण रूप से अपना काम शुरू किया। इसका प्रमुख कार्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करती है। विश्व वाणिज्य व्यवहार की प्रगति के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता तथा उत्तम विदेशी ऋण चुकाने में संतुलन पालन करने के लिए प्रयास करती है। इसमें प्रशासन विभाग, कार्यव्यवहार के निर्देशक विभाग तथा प्रशासन के निर्देशक काम करते हैं। इसका कार्य व्यवहार के गुणवत्ता तथा पारदर्शी के लिए काफी महत्व पाया है। विविध राष्ट्रों के 'केंद्र बैंकों का केंद्र बैंक' के नाम से जाना जाता है। आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील राष्ट्र और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है।

ऊ) आइ.बी.आर.डी (IBRD - International Bank for Reconstruction and Development) : ब्रिटन वुड्स सम्मेलन में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक विश्व बैंक समूह की प्रमुख संस्था है। यह संस्था 1944 में प्रारंभ हुई। इसका प्रमुख कार्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त आर्थिक पुनश्चेतना के लिए यह संस्था आरंभ हुई। कृषि, उद्योग, संचार और सूचना की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक समस्त सदस्य राष्ट्रों को यह बड़ी धनराशी का कर्ज देती है। यह विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय में संतुलन का पालन करती है। समस्त प्रगतिशील राष्ट्रों की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए यह बैंक सहयता करता है। इसमें प्रशासन विभाग, कार्यकारी विभाग तथा अध्यक्ष काम करते हैं।

(ऋ) अंतर्राष्ट्रीय मजदूरों का संघ: (ILO - International Labour Organisation): प्रथम महा युद्ध के बाद स्थापित लीग ऑफ नेशन्स के भाग में जन्मा, तत्पश्चात विश्व संस्था के आश्रय में विशेष इकाई के रूप में आज भी विद्यमान सौ से भी प्राचीन यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ है। इसका केंद्रीय कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।

इस संस्था का आरंभ मजदूरों की सुरक्षा के लिए हुआ है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र दो प्रतिनिधि सदस्य भेजता है। उनमें से एक मजदूरों के नेता के रूप में और दूसरे को प्रशासन के नेता के रूप में मजदूरों सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, उत्तम जीवन स्तर आदि विचार इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। महिला मजदूरों के जन्म

की सुविधा, कनिष्ठ वेतन लागू करना, आवास निर्माण आदि विचार इस संस्था के अंतर्गत आते हैं। इस संस्था के निर्णय केवल मार्गदर्शन के रूप में पर भी सदस्य राष्ट्र, उनको प्रमुखता देते हैं। इसका सामान्य सम्मेलन मज़दूर वर्ग के वैश्विक संसद के समान होता है। उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयासरत होता है। इस संस्था को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ए) विश्वसंस्था के व्यापार और वाणिज्य प्रगतिशील सम्मेलन : (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development) : यह संस्था वैश्विक स्तर का व्यापार और वाणिज्य विषयों की प्रगति के लिए प्रयत्न करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए उपयुक्त तकनीकी का सहकार यह संस्था करती है। वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह की बाधाओं को दूर करके, अपने द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य प्रगति के लिए यह सहकार करती है। इस प्रकार विश्व परिवार की आर्थिक अभिवृद्धि के लिए पूरक काम करती है।

ऐ) विश्वव्यापार संघ: (WTO - World Trade Organisation) : द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अड़चनों को दूर करने के लिए 1948 जनवरी 1 को दर और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT-General Agreement on Tariffs and Trade) लागू किया गया। इस समझौते के स्थान पर सन 1995 जनवरी 1 को विश्व व्यापार संघटन अस्तित्व में आया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य और व्यापार संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए यह प्रयत्नशील है। विश्व बैंक के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यवहार निर्माण में सहायता करती है। मुक्त वाणिज्य व्यवहार की प्रगति की ओर जानेवाले राष्ट्र कुछ बाधाओं का अनुभव करना पड़ता है। आइ.एम.एफ. तथा विश्व बैंक संस्थाओं के साथ यह तृतीय आर्थिक आधारस्तंभ माना जाता है।

क्षेत्रीय सहयोग : वर्तमान विश्व में कई स्थानीय संस्थाओं को हम देख सकते हैं। ये सदस्य राष्ट्रों के आपसी सहयोग तथा जानकारी का संवर्धन करती हैं। प्रादेशिक संस्थाओं में प्रमुख हैं :-

1. कामनवेल्थ राष्ट्रसंघ (CWN - Common wealth of Nations):

इसे पहले “ब्रिटिश कामनवेल्थ संघ” के नाम से जाना जाता था। इसके बाद इसे ब्रिटिश शब्द निकाला गया। यह संस्था सन् 1926 में स्थापित हुई। आगे भारत के

साथ अनेक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी स्वेच्छा से इसके सदस्य बन गये। इसको सांकेतिक रूप से ब्रिटेन राजा का वरिष्ठता है। प्रस्तुत संदर्भ में इसमें 56 सदस्य राष्ट्र हैं। ब्रिटेन के लंडन में इसका प्रमुख कार्यालय है। इसके कार्य में सदस्य राष्ट्रों के प्रधान मंत्री, अर्थ मंत्री और विदेशी मंत्री प्रतिभागी होते हैं गणतंत्र का आपसी सदस्य महत्व, स्वतंत्र की सुरक्षा, गरीबी हटाना, विश्वशांति की स्थापना, खेल, विज्ञान और कला की अभिवृद्धि तथा उनका संबंधों की वृद्धि - इस संस्थाओं के प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रों की मित्रता का भाव संवर्द्धन करता है।

2. सार्क दक्षिण एशिया प्रादेशिक सहायक संघ (SAARC - South Asian Association for Regional Co-operation) :

इस संस्था की स्थापना सन् 1985 में हुई। इसके सदस्य राष्ट्र 8 हैं। भारत, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्डीव्स, भूतान और अफगानिस्तान आदि। आर्थिक संबंधों की अभिवृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास आपसी सहकार के साथ करना इस संस्था का मूल उद्देश्य है। लक्ष्य पहुँचने के लिए कई तकनीकी समिति, कार्याचरण समिति तथा स्थायी समिति निर्माण हुई है। लेकिन सदस्य राष्ट्र आपसी अविश्वास विवाद इस संस्था विकास के लिए बाधक बना है। 'समस्त निर्णय सदस्य, राष्ट्रों के अविरोध में ही रहना चाहिए।' यह सूत्र भी इस संस्था की प्रगती के लिए बाधक है। इस सूत्र के अनुसार इस संस्था की प्रगति के लिए आपसी विवाद बाधक है। सदस्यों के राष्ट्रों के बीच काफी है। सभी निर्णय सदस्य राष्ट्रों के अविरोध के आधार में रहना चाहिए। फिर भी लगातार से समारोह आपसी शांति के लिए अवसर दिया है। विज्ञान, तकनीकी, कृषि आदि विषयों के बारे में सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधियों का समारोह, प्रशिक्षण आदि कार्यशाला तत्वावधान में आयोजित होते हैं। 'सार्क' की गतिविधियों में भारत का सक्रिय भूमिका है। इसका प्रधान कार्यालय नेपाल के कठमंडू में है।

3. यूरोपियन यूनियन (EU - European Union):

इसमें यूरोप के 27 सदस्य राष्ट्र हैं। म्यास्ट्रिच में आयोजित यूरोपियन यूनियन समौझते के अनुसार इस संस्था सन् 1992 में आरंभ हुई। इन सदस्य राष्ट्रों के बीच समान बाजार, एक ही रूप का करेन्सी, समान कृषि तथा व्यापार आदि के लिए अवसर रहते हैं। इसके मुख्य अंग संस्थाएँ हैं- 1. समिति 2. आयोग 3. यूरोप का संसद

तथा 4. यूरोपियन न्यायालय। यूरोपियन यूनियन एक संयुक्त राज्य के बराबर है। इसके निर्माता ने कहा है- 'यह संस्था शांति और प्रजातंत्र कार्य निभाती है'। यह यूरोपियन यूनियन पीछे रहे यूरोपियन इकनामिक कम्युनिटी के (EEC-European Economic Community) बराबर है। इसके सदस्य राष्ट्र अपनी इच्छा से अपना सर्वश्रेष्ठ अधिकार अंश इस संस्था को दिया है। इस संस्था का केंद्रीय कार्यलय बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स में हैं।

4. आसियान दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन (ASEAN- Association of Southeast Asian Nations):

दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ- इसका केंद्रीय कार्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी स्थापना सन् 1967 में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र हैं सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स तथा थाईलैंड। अब इसमें 10 सदस्य राष्ट्र हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि, इस प्रदेश के आर्थिक अभिवृद्धि, सामाजिक विकास के प्रयास तथा सांस्कृतिक प्रगति करना, तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में आपसी सहकार तथा प्रतिभागित्व हैं। यह एक मिलिटरी संघ नहीं है। भारत इस संस्था के प्रति उदार भावना रखता है, फिर भी उसमें सदस्यता नहीं रखता है। केवल दर्शक है।

5. दो आर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रिकन युनिटि (OAU - Organisation of African Unity):

यह अफ्रिकन समिति का निर्माण सन् 1963 में हुई। आजादी प्राप्त अफ्रिकन राष्ट्र ने आपस में अनेक प्रादेशिक संस्थाओं का निर्माण किया। आगे इन्होंने एक साथ जुड़कर, दी अर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रिकन युनिटि नाम एक नयी संस्था की स्थापना की। समस्त स्वतंत्र अफ्रिकन राष्ट्र अपने निर्धारण का अधिकार यह संस्था प्रतिपादित करती है। यह आजादी, समानता, न्याय तथा एकता अफ्रिकन राष्ट्रों में निर्माण करने के लिए प्रयास करती है। 'नया उपनिवेशन' के विरुद्ध लड़ने के लिए यह संस्था के सदस्य कमर कस लिये हैं। इसके उद्देश्यों को स्वीकार करनेवाले समस्त अफ्रिकन राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं। इस संस्था का 2002 में अफ्रीकी संघ (AU-African Union) के नाम से पुनः नामकरण हुआ। इस संस्था में वर्तमान में 55 सदस्य राष्ट्र हैं। 2023

में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 समूह की स्थायी सदस्यता दी गयी है।

इस संस्था में 1. सदस्य राष्ट्र के प्रधान तथा वहाँ के सरकार प्रमुखों की सभा।

2. सचिव संसद तथा 3. दलाल का स्वीकार के उपनिवेशन, वर्णभेद, साम्राज्यवाद आदि के विरुद्ध इस संस्था के प्रमुख भूमिका निभायी है।

आपको ज्ञात रहे:

विश्व बैंक (World Bank) समूह युक्त संस्थाएँ

1. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और अभिवृद्धि बैंक
(IBRD- International Bank for Reconstruction and Development)
2. अंतर्राष्ट्रीय अभिवृद्धि संघ
(IDA-International Development Association)
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम
(IFC-International Finance Corporation)
4. बहुपक्षीय निवेश आश्वासन एजेंसी
(MIGA-Multilateral Investment Guarantee Agency)
5. पूँजी निवेश संबंधी विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
(ICSID-International Centre for Settlement of Investment Disputes)

अभ्यास:-

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये :

1. विश्वसंस्था के आरंभ का साल _____ है।
2. विश्वसंस्था के प्रधान कार्यालय _____ नगर में है।
3. विश्वसंस्था के सचिव संसद बराबर रहनेवाली अंगसंस्था _____ है।
4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की अवधि _____ साल है।
5. आहार और कृषि संस्था का प्रधान कार्यालय _____ में है।
6. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय _____ में है।
7. विश्वसंस्था के आज का महासचिव का नाम _____ है।

8. विश्व स्वास्थ्य संस्था की स्थापना का साल _____ है।

9. सार्क स्थापना का साल _____ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूहों में चर्चा करके दो - तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए :

10. विश्वसंस्था के संस्थापक कौन-कौन हैं?

11. विश्वसंस्था के अंग संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं?

12. सुरक्षा समिति में स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन-कौन से हैं?

13. विश्व स्वास्थ्य संस्था की कार्यसूची में निहित अंश कौन-कौन से हैं?

14. अंतराष्ट्रीय मज़दूर संघ के कार्यों की सूची बनाइये।

15. सार्क (SAARC) का विस्तृत रूप क्या है?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में चर्चा करके दस वाक्यों में उत्तर लिखिए :

16. विश्वसंस्था के उद्देश्यों की सूची बनाइये।

17. आमसभा की रचना का विवरण दीजिये।

18. आर्थिक तथा सामाजिक समिति के कार्य क्या-क्या हैं?

19. 'वैश्विक स्तर में शांति स्थापना के लिए विश्व संस्था की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है' - इस वाक्य का समर्थन कीजिए।

20. युनेस्को के कार्य कौन-कौन से हैं?

21. वैश्विक स्तर में आर्थिक समस्याओं को दूर करने में ऐ. एम. एफ की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

22. कामनवेल्थ राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की सूची बनाइये।

23. युरोपियन यूनियन संस्था का विवरण दीजिये।

IV. गतिविधियाँ :

1. कर्नाटक में युनेस्को द्वारा पहचाने गये ऐतिहासिक स्मारक चित्रों का संग्रह करके अल्बम तैयार कीजिये।

V. परियोजन :

1. वैश्विक स्तर में विश्वसंस्था द्वारा निभायी गई शांति प्रक्रियाओं के बारे में समाचार पत्रिकाओं में प्रकाशित जानकारी को संग्रह कीजिये।

सामाजिक शास्त्र

अध्याय - 23

सामूहिक व्यवहार तथा विद्रोह



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंश सीखते हैं :

- जन-समूह अर्थ, स्वरूप, प्रभाव
- दंगा - अर्थ, प्रकृति, प्रभाव
- समूह व्यवहार के विभिन्न रूप
- महिलाओं के स्व - सहाय समूह
- कृषक आंदोलन, मजदूर तथा अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन

संघ जीवी होने के कारण मानव हमेशा समूहों, समुदायों, समाजों में आवासित रहता है। जब वह भीड़ के बीच में होता है, तो वह अकेले होने की तुलना में अलग व्यवहार करता है। समूह में होने पर करनेवाले उसके व्यवहार को 'सामूहिक व्यवहार' कहा जाता है। सामूहिक व्यवहार हमारे सामूहिक जीवन का एक अभिन्न अंग है।

बड़ी संख्या में लोगों की आकस्मिक और अनियोजित सोच, भावना और व्यवहार को सामूहिक व्यवहार कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जनसमूह, दंगा, फिजूल की बातों का प्रचार, जनमत, क्रांति तथा सामाजिक आंदोलन।

समूह : बिना किसी पूर्व नियोजन के अनिश्चित अस्थायी समूह, जो बिना किसी पूर्व-योजना के, एक रुचि से घिरे हुए जन समुदाय समूह है। समूह एक उच्छा के प्रचोदन के लिए सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देने वाली लोगों का अस्थायी समूह है। उदाहरण के लिए : सिनेमा मंदिर में टिकट पाने के लिए समूह इकट्ठा होना, सड़क यातायात दुर्घटना को देखने के लिए जमा हुए लोगों का समूह आदि।

यह समूह लोगों का एक अस्थायी समूह है। इसमें लोग एक निर्दिष्ट स्थान पर शारीरिक रूप से इकट्ठा होते हैं। समूह के लोग बहुत जल्दी अपने सदस्यों के आपसी अभिप्राय, भावनाएँ तथा क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। इसके द्वारा कभी-कभी किसी व्यक्ति के मन में अंतर्निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कई बार विस्फोट भी सकता है।

जन समूह का प्रभाव :

समूह में लोगों का अनियंत्रित व्यवहार बहुत बार समाज की कमियों को सूचित करता है। यह कभी-कभी सामाजिक संस्थाओं के कामकाज से लोगों के असंतोष का प्रकटीकरण होता है। साथ ही, यह कभी-कभी सरकारी योजनाओं, दृष्टिकोणों और निर्दिष्ट कार्यक्रमों के प्रति लोगों के असंतोष का प्रतिनिधित्व करता है।

समूह का व्यवहार इतना उग्र हो जाए तो इसे नियंत्रित करने के लिए कानून-प्रवर्तन, पुलिस और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

दंगा : दंगा एक अन्य प्रकार का सामूहिक व्यवहार है। समूह के व्यवहार के सबसे हिंसक और विनाशकारी रूप को दंगा कहा जाता है। अनियंत्रित समूह उग्र स्वरूप के हो तो वे विनाशकारी हो सकती है।

दंगे का स्वरूप : समूह में दिखाई देने वाले उद्देश्य का न्यूनतम स्तर, एकता भी दंगों में नहीं होते। दंगों में भाग लेने वाले जो कुछ भी सामने मिला उसे बर्बाद करते जाते हैं। भ्रम पैदा करना ही दंगा का लक्ष्य है। कई बार ये दंगे भारी नुकसान भी पहुँचाते हैं। दंगों में होने वाले आक्रामण के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रहता। दंगे, कानून सुव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है।

सांप्रदायिक दंगे, जातीय संघर्ष, समूह संघर्ष आदि दंगों के उदाहरण हैं। दंगे अक्सर शहरों और कस्बों में होते हैं। प्रेरणा देने वाले माहौल, व्यक्तियों का अनियंत्रित व्यवहार, बर्बर व्यवहार चलाने वालों में रहने वाले अपराधिक गुण, दंगों के पक्ष में रवैया आदि इसके कारण हैं।

दंगे दीर्घकाल तक नहीं चल सकते। उन्हें एक बिंदु पर समाप्त होना ही चाहिए। समूह को अधिकारियों के समय उचित बुद्धि, पुलिस, सुरक्षा बलों और कानून जैसे साधनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

सामूहिक व्यवहार और आंदोलन :

सामूहिक व्यवहार जब योजनाबद्ध होकर एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ समाज के परिवर्तन के लिए कोशिश करें तो उसे आंदोलन कह सकते हैं। भारत में ऐसे कई आंदोलन हुए हैं। उसके उदाहरण के रूप में पर्यावरण आंदोलनों का अवलोकन कर सकते हैं।

पर्यावरण आंदोलन :

पृथ्वी, वायु, जल और जीवमंडल सहित हमारे चारों ओर जहरीले और रासायनिक तत्वों के 'प्रदूषण को पर्यावरण' प्रदूषण कह सकते हैं।

आज जनसंख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी जीवन यापन की जरूरतें बढ़ गई हैं। इसके परिणाम से मानव आवास पर्यावरण पर दबाव और आक्रामण बढ़ रहे हैं। विकसित और विकासशील देशों में संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। अपने सुखी जीवन के लिए पर्यावरण का उपयोग बुरी तरह कर रहे हैं।

विश्व के कई देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या से हो रही समस्याओं को सामना करने के लिए पर्यावरण के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ अनियंत्रित रूप से चल रहे नगरीकरण, कारखानों की अभिवृद्धि, तकनीकी प्रगति, यातायात की व्यवस्था में वृद्धि आदि कारणों से जंगल विनाश तथा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इस तरह यह एक गंभीर समस्या बन गई है।

पर्यावरण की समस्या के समाधान को लेकर बुद्धिजीवी, पर्यावरण विशेषज्ञ आदि विशेष रूप से चिंतित हैं। साथ ही जागरूक लोग भी पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रमुख विद्रोहों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे -

1. चिपको आंदोलन:

उत्तराखंड टेहरी गढ़वाल के जिले में सरकार ने पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी थी। यह जानते हैं कि इससे वनों की कटाई और पर्यावरण का प्रदूषण होगा, लोगों ने पेड़ों को आलिंजन करके काटने से रोका। यह आंदोलन 1973 में सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में चला था। परिणाम स्वरूप, पेड़ों को काटने की सरकार की अनुमति रद्द कर दी गई।



2. अपिक्को/गले लगाओ आंदोलन :

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के सल्यानी गाँव के किसानों ने 1983 में अपिक्को आंदोलन का आयोजन किया। कलसा के जंगल में ठेकेदारों को लकड़ी काटने से रोकने के लिए किसानों ने पेड़ों को गले लगाकर विरोध किया। किसानों का उद्देश्य पेड़ों की तस्करी को रोकना, पेड़ उगाना और आम जनता को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित करना था।

3. नर्मदा बचाव आंदोलन :

गुजरात राज्य के सरदार सरोवर योजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बांध निर्माण करने से जंगल क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जीव जगत को खतरा होने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रेमी मेधा पाटकर तथा बाबा आमटे के नेतृत्व में बांध निर्माण के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था यही नर्मदा बचाओ आंदोलन था।

4. मौन घाटी आंदोलन :

केरल के पालघाट तालूक की मौन घाटी में स्थापित किए जाने वाले बांध के निर्माण से पर्यावरण क्षरण के साथ कई जीव संकुल पर प्रभावित होता है। इसलिए केरल साहित्य परिषद और जंगली जानवरों के प्रति उत्साहियों ने बांध के निर्माण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। यह आंदोलन कई जीव-संकुलों की रक्षा करने में सफल रहा।

5. कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र पर विभिन्न संयंत्रों का विरोधी आंदोलन :

नाटक तटीय मंगलूर में स्थापित किए जाने वाले तेल कार्यशाला से निकलने वाले रसायनिक पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषण होने की बात से अवगत होकर पर्यावरणविदों ने मंगलूरू रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के खिलाफ अभियान शुरू किया।

6. कैगा विरोधी आंदोलन :

डॉ. शिवराम कारंत और अन्य बुद्धिजीवियों ने कर्नाटक के कारवार जिले के कैगा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। कैगा विरोधी आंदोलन इस इरादे से चलाया गया था कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण आदि दुष्प्रभावों से जीव-प्रजातियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

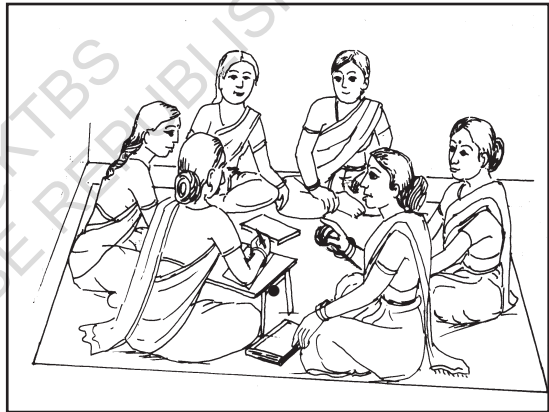
पर्यावरण प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जन जागरण अनिवार्य है। इस बात का ज्ञान अनिवार्य है कि हम जिस पर्यावरण में जी रहे हैं। उसकी सुरक्षा तथा पोषण करना हमारा परम कर्तव्य है। तभी प्रत्येक नागरिक निस्वार्थ और सक्रिय रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकेगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रभावी योजनाएँ और कार्यक्रमों को लागू करके लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

1. महिला आंदोलन :

1980 में देश में हुए सामूहिक आंदोलनों में महिला विमुक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण है। पुरुष प्रधान संस्कृति के दर्प (घमंड), अत्याचार तथा शोषण के विरुद्ध महिलाओं द्वारा विरोध (प्रतिकार) व्यक्त करना ही महिला आंदोलन है।

महिलाओं द्वारा निर्मित प्रमुख आंदोलन :

अ) मद्यपान निषेध आंदोलन - महिलाओं द्वारा निर्मित आंदोलनों में यह प्रमुख है। ग्रामीण गरीब महिलाओं तथा मज़दूर महिलाओं के जीवन में संकट की स्थिति उत्पन्न करने आए मद्यपान के विरुद्ध निषेध आंदोलन को महिलाओं द्वारा ही संघटित किया गया है।



महिलाओं का स्व-सहाय समूह

आ) स्व-सहायता समूह - महिलाओं द्वारा विश्वास, सहायता आधारित समूह की रचना की गई है।

ये स्त्रियों को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सबल बनाता है। साथ ही उन्हें समान अधिकार, अवसर, जिम्मेदारी तथा अधिकारों को उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख स्थान रखता है।

2. कृषक आंदोलन :

कर निराकरण द्वारा प्रारंभ हुए किसानों का विरोध, आर्थिक संकट का विरोध आज भी चल रहा है। कर्नाटक में 1972 में दशक में अधिकार प्राप्त डी.देवराज अरसु, ने सामाजिक रूप से दुर्बल लोगों को मुक्ति के लिए सहायक कुछ अधिनियम को लागू

किया। इनमें लगान देने वालों को, भू-मालिकों (जमीनदारों) के चंगुल से मुक्त करना, मज़दूरी पद्धति को रद्द करना, ये प्रमुख थे।



1980 में नरगुंदा में हुए किसान विद्रोह सरकार के अत्याचार के विरोध में विद्रोह मात्र नहीं यह कुल सभी किसानों के पक्ष में हुआ आंदोलन था। इस विद्रोह

के बाद जनता के पक्षपाती आंदोलनकारी प्रो. नंजुडस्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य में कृषक संघ की स्थापना हुई। ग्रामीण जनता के पक्षपाती प्रजासत्तात्मक माँगों को रखते हुए कर्नाटक कृषक आंदोलन संघटित रूप से चल रहा है।

3. मज़दूर आंदोलन :

मज़दूरों की गरिमा को बढ़ाने के लिए तथा मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए मज़दूर संघटनों द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन मज़दूर आंदोलन है।

समकालीन मज़दूरों के पक्ष में सिद्धांत भी पूँजीवाद के शाही शोषण का विरोध करता आ रहा है। आज भी देश में अनेक मज़दूर संघटन अस्तित्व में हैं और अपना संघर्ष जारी रखे हैं।

4. अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन :

वर्गीकृत जाति व्यवस्था में अस्पृश्यता विरोधी चलन है। अस्पृश्य लोग कहलाने मात्र से ही दलितों पर होने वाले अत्याचार, जाति आधारित सामाजिक अत्याचारों के विरुद्ध लोगों का आंदोलन ही अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन है। इसे 19वीं शताब्दी में ही महाराष्ट्र के ज्योति बापुले ने आरंभ किया। 1971 में तमिलनाडु, कर्नाटक आदि स्थानों पर अस्पृश्यता आचरण विरोधी आंदोलन पनपा। 1925 में इ.वि. रामस्वामि नायर (पेरियार) ने आत्मगौरव आंदोलन प्रारंभ किया। डा. बी. आर. अंबेडकर ने आजीवन सामाजिक रूप से अत्यचार सह रहे अस्पृश्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। ये 'मूकनायक' पत्रिका (समाचार पत्र) प्रारंभ कर अस्पृश्यता आचरण के विरोध में

बहुत बड़े आंदोलन को जन्म देने वाले व्यक्ति थे। गाँधी जी ने भी अस्पृश्यता के निवारण होने के प्रति सुधारवादी रहे। आज भी विविध संघटनों द्वारा अस्पृश्यता आचरण के विरोध में आंदोलन होते ही रहे हैं।

आपकी जानकारी के लिए :

स्त्रीशक्ति योजना स्व-सहाय समूहों द्वारा संभव महिलाओं को आत्मनिर्भर जीवन का एक अच्छा उदाहरण है। कर्नाटक में 'महिला स्व-सहाय समूह महिला शक्ति योजना' के नाम से राज्य भर में लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। यहाँ इसका एक उदाहरण उल्लेखनीय है।

उदाहरण: कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना के एक व्यावसायिक संगठन 'सिरी' नामक ग्रामोद्योग संस्थान ने ग्रामीण महिलाओं को मूल्यवान वित्तीय वस्तुओं का उत्पादन करने का मौका दिया है। यह अपने द्वारा उत्पादित उत्पन्नों को उचित दाम पर बेचने और महिलाओं के लिए नए आर्थिक वादे करने में भी सफल रही है।

अभ्यास:-

I. निम्नलिखित वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. चिपको आंदोलन हुआ राज्य _____ है।
2. नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व _____ ने किया।
3. डॉ. शिवराम ने _____ में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का विरोध किया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए :

4. समूह व्यवहार क्या है?
5. चिपको आंदोलन के नेता कौन थे?
6. स्व-सहाय समूह क्या है?
7. मज़दूर आंदोलन से क्या तात्पर्य है?

III. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा करें और दो या तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए :

8. समूह व्यवहार में क्या शामिल है?
9. जन समूह क्या है? एक उदाहरण दीजिए।
10. दंगे के प्रारूप को सूचित कीजिए।
11. पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है और उसके स्वरूप बताइए।
12. महिला स्व-सहाय समूहों के महत्व की व्याख्या कीजिए।

IV. गतिविधि :

1. अपने गाँव में महिला और स्व-सहाय संघ का दौरा कीजिए। ऐसे संगठनों के मुख्य उद्देश्यों के साथ आयोजित कार्यक्रमों को संग्रहित कीजिए।
2. उन समाजों के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करें, जिन्होंने स्त्री शक्ति के विकास की भावना कैसे बढ़ाई, इस बारे में उस संघ के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कीजिए।

V. परियोजना :

1. कर्नाटक में पर्यावरण और वन संरक्षण पर होनेवाले अभियानों के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे जानकारी एकत्र करके एक एल्बम तैयार कीजिए।
2. आपके विद्यालय में आयोजित “सस्य श्यामला” योजना के बारे में एक रपट तैयार कीजिए ।



सामाजिक चुनौतियाँ



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को सीखते हैं :

- बालश्रम समस्या - अर्थ, प्रभाव, समस्याओं को दूर करने के लिए संवैधानिक उपाय।
- महिलाओं पर हिंसा - बाल विवाह
- दहेज - प्रकृति, प्रभाव और उपाय
- कन्या भ्रूण हत्या

जैसे-जैसे समाज अधिक जटिल होते जाता है, अत्यधिक निर्वहण के संकट कभी-कभी व्यक्ति और संस्थाओं को छोटा बनाकर उत्पीड़न का शिकार बना सकता है। वे तत्कालीन सामाजिक शोषण और समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं।

भारत जैसे विकासशील समाजों में कई सामाजिक चुनौतियाँ मंडरा रही हैं। उदाहरण के लिए अधिक जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भीख माँगना, किशोर अपराध, बालश्रम, भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, दहेज उत्पीड़न, युवा अशांति आदि। इनको समस्या के नकारात्मक दृष्टिकोण के बजाय एक चुनौती के रूप में धनात्मक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। आइए, से विभिन्न सामाजिक चुनौतियों में से कुछ प्रमुख चुनौतियों से परिचित हो जाए।

बाल मजदूरी :

आम तौर पर अल्पायु के काम को बाल मजदूरी कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर कहा जाता है यदि वे कमाई के उद्देश्य से काम कर रहे हों।

भारत जैसे कई विकासशील देशों में बाल शोषण और बालश्रम एक सामाजिक तबाही है। यह साल-दर-साल गंभीर होता जा रहा है। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में श्रम में लगाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बाल मजदूर ग्रामीण परिवेश जैसे खेतों, खलिहानों, बगीचों आदि देहाती परिवेश में काम कर रहे हैं, बाकी शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।



कारण :

गरीबी, पारिवारिक कलह, विच्छेदन, पारिवारिक हिंसा, अभिभावकों का अति-नियंत्रण, उद्यमियों की लाभप्रदता, निरक्षरता, बाल अपहरण और गुलामी के कारणों से बालश्रम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।

दुष्परिणाम : बालश्रम सामाजिक व्यवस्था की एक गंभीर समस्या है। उन्हें अपने बच्चों से सारा दिन काम करवाकर उनकी मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य जरूरतों की उन्हें कोई प्रवाह नहीं होती। इसके बजाय, उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना भी सामने आया है।

लाखों बाल मजदूर आज भी बीमारी, कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं की कमी, जबरदस्ती श्रम, आर्थिक और सामाजिक शोषण से पीड़ित हैं। खेल-कूद, सपने देखने और पढ़ने की उम्र में उनको कमाई में धकेलकर उनके बचपन को छीन लिया गया है।

नियंत्रण के उपाय : बाल मजदूरों को श्रम के क्षेत्र से बाहर निकाल कर और उन्हें शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार समय-समय पर इन्हें सुधारने की कार्य योजना बनाती है। भारत सरकार द्वारा बालश्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना के माध्यम से बाल श्रमिकों की शैक्षिक, चिकित्सा और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उन पर होनेवाले शोषण को रोकने के लिए कार्य योजनाएँ बनाई हैं।

बालमजदूरों की भर्ती को रोकने के लिए 'बालश्रम निषेध और नियंत्रण अधिनियम' (1986) लागू किया गया है। इस अधिनियम का कानून उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक बाल श्रमिक की ओर से कल्याण कोष में 20,000/- रुपये का जुर्माना देना होगा।

संवैधानिक उपचारात्मक उपाय : हमारे संविधान का 24 वाँ अनुच्छेद घोषित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देना एक दंडनीय अपराध है। इसने चेतावनी दी कि बच्चों को किसी भी खतरनाक औद्योगिक इकाई में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए। संविधान के राज्यनीति निदेशक तत्वों का कहना है कि बच्चों के हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

बालश्रम को खत्म करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1988 में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (NCLP - National child labour projects) लागू की गई थी। यह परियोजना राज्य स्तरों में भी है। राज्य-शिक्षा विभाग, श्रम विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कारखानों का दौरा करके बालश्रम को ढूँढते हैं। बाल श्रमिकों के रूप में मिलने वाले बच्चों को लाया जाता है और सभी प्रकार की निःशुल्क सुविधाओं के साथ शिक्षा दी जाती है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए तालूक और जिला स्तर में बाल मंदिरों को खोल दिया गया है। जिसमें इन बच्चों को निशुल्क आवास, भोजन आदि की सुविधा दी जा रही है।

सर्वशिक्षा अभियान के दौरान, कर्नाटक राज्य सरकार ने 'कूली से स्कूल' नामक एक कार्यक्रम द्वारा, बालश्रमिकों को स्कूल ले जाया जाता है और स्कूल में नामांकित करके मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 2009' में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इस अधिनियम के अनुसार, निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें बालश्रम, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने किशोरों को उत्पीड़न से मुक्त करके उनकी वित्तीय हित तथा मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए बालश्रम पुनर्वास कल्याण कोश की स्थापना का आदेश दिया है। 1987 में, भारत सरकार ने बालश्रमिकों

गतिविधि:

यदि आपका कोई मित्र बालश्रम में शामिल है या स्कूल से बाहर है, तो कृपया तुरंत शिक्षक को सूचित करें।

के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू की। 1988 में बाल कल्याण के लिए कार्य योजना तैयार की। 2006 में सरकार ने “बालश्रम उन्मूलन और पुनर्वास अधिनियम” को पारित किया।

बच्चों पर हो रहे लैंगिक अत्याचार :

वर्तमान में बच्चों पर विद्यालय में, परिवार में, सार्वजनिक स्थलों पर, बढ़ रहे लैंगिक अत्याचारों पर रोक लगाने की दिशा में “लैंगिक अपराधों से बच्चों की रक्षा अधिनियम 2012” को लागू किया गया है। यह अधिनियम बच्चों पर हो रहे लैंगिक अत्याचार की इस प्रकार व्याख्या करता है - 18 वर्ष की आयु सीमा के किसी भी बच्चे (बालक या बालिका) पर किसी भी प्रकार का उद्देशित लैंगिक शोषण, हिंसा, अत्याचार, पीडा, अनाचार अथवा असुरक्षित स्पर्श करने पर उसे लैंगिक अत्याचार मानकर उसके लिए दंड देने का प्रावधान इसके द्वारा प्राप्त है। इस अधिनियम को (POCSO - Protection of Children from Sexual Offences) नवंबर 14, 2012 में को भारत सरकार ने लागू किया है।

बाल विवाह :

बाल विवाह हमारे समाज को परंपरागत रूप से उत्पीड़ित कर रही एक सामाजिक समस्या है। तो आइए जानते हैं बाल विवाह क्या है ?

कानून के अनुसार, उस विवाह को बाल विवाह कहा जाता है यदि शादी 18 साल से कम उम्र की लड़की या 21 साल से कम उम्र के लड़के से की जाती है। यदि दोनों में से कोई इस कानून से छोटा है, तो वह बाल-विवाह है। 21 वर्ष का लड़का या 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए। अन्यथा ऐसे विवाह का परिणाम बाल विवाह होगा। इसके अलावा, जो कोई भी 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, उसकी शादी जल्दी हो जाती है। अगर कोई उस उम्र के भीतर शादी करता है तो वह गैर-कानूनी है और वह अपराध भी।



आपकी जानकारी के लिए :

बालविवाह क्यों नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी होगी तो वह कानून के प्रकार अपराध है। किसी महिला को विवाह से गुजरना पड़ता है जिसके लिए उसके शरीर, दिमाग, गर्भाशय, मानसिक, बौद्धिक और समग्र शारीरिक शक्ति की वृद्धि होने के लिए 18 वर्ष चाहिए। मानव समाज में विवाह प्रजनन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार एक लड़की के लिए शादी के बाद गर्भ धारण करना और बच्चा प्राप्त करना सामान्य बात है। महिलाओं का शारीरिक और मानसिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है। चिकित्सा (वैद्यकीय) अनुसंधान के अनुसार, गर्भाशय के विकस होने के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तब ही भ्रूण 9 महीने तक सुदृढ़ता से बढ़ सकता है। अन्यथा भ्रूण (बच्चा) समस्या के कारण भ्रूण में खून बहकर मरने की संभावना अधिक होती है। कम उम्र में गर्भ धारण करने से बच्चे के जन्म के दौरान माँ की मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। इस कारण 18 वर्ष की आयु के बाद महिला का विवाह होना अनिवार्य है। उसके लिए बेटियों की शादी 18 साल की उम्र पूर्ण होने के बाद ही करनी चाहिए।

बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से पहले होने वाले विवाह को कानून के तहत बाल विवाह के रूप में दंडनीय अपराध माना जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास के बिना उनसे पैदा होने वाले बच्चों का शारीरिक विकास बाधित होगा। इससे कानून में बाल विवाह वर्जित है।

बाल विवाह के कारण :

1. बाल विवाह का मुख्य कारण 'लैंगिक भेदभाव' है। यह धारणा है कि जो लड़की दूसरों के घर जाती है, उसे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। 'महिला' और 'पुरुष' बच्चों के बीच के अंतर ने आज अधिक बाल विवाह को जन्म दिया है। अप्राप्तों को शादी करने की एक परंपरा के कारण से भी बाल विवाह होते हैं। वे सभी जिनकी पूर्व में बाल विवाह हो चुका है, वे परिवार में पीढ़ियों तक ऐसा करते रहेंगे।
2. 'बाल विवाह' का मुख्य कारण शिक्षा की कमी, बालश्रम, बाल-तस्करी और विपणन (बेचना), कम उम्र में बिना स्कूल गए बाल-मजदूर रहकर अनपढ़ हो जाएंगे तो बाल विवाह का शिकार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, 8वीं या 10वीं

कक्षा तक पढ़े या पढ़े-लिखे गरीब परिवार अपने 18-21 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं करते। इसलिए यह जानने की जरूरत है कि 18 साल की उम्र तक 'शिक्षा' कितनी महत्वपूर्ण है।

3. कानून के कार्यान्वयन और उपयोग के न्यूनतम स्तर का अभाव, शिक्षा प्रणाली में कानूनों के कार्यान्वयन की कमी। शिक्षा के लिए समाज /समुदाय /जनता की अवज्ञा। बाल अधिकार और बाल विकास कार्यक्रमों का बिगड़ा दोषपूर्ण प्रवर्तन।

बाल विवाह के दुष्प्रभाव :

बच्चों का सर्वांगीण विकास धीमा होता है। वे प्रश्न करने की स्वतंत्रता खो देते हैं। नतीजतन, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, हिंसा, शोषण और यौन उत्पीड़न में वृद्धि होती है। बच्चों के सभी अधिकारों के उल्लंघन से बचपन, शिक्षा, मनोरंजन, साथियों का दबाव, कुपोषण, खून की कमी, बीमारी, गर्भपात, शिशुमरण, मातृ-मृत्यु के कारण होते हैं। विशेषकर कम आयु में ही लड़कियों के विधवा होने की संभावना अधिक होती है। महिलाएँ बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के दुर्व्यवहार के शिकार होने के सबसे अधिक अवसर होते हैं।

बाल विवाह को कैसे रोकें :

कर्नाटक राज्य सरकार ने लगभग 47 विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को 'बाल विवाह निषेध अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया है। इसलिए बाल विवाह जहाँ भी हो, हम शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले बाल सहायवाणी को शिकायत कर्ता बिना नाम बताए 1098 पर शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर आप अपने घर के पास के किसी भी सरकारी स्कूल के प्रधानध्यापकों, ग्राम लेखाकारों, पंचायत विकास अधिकारियों, शहर के स्वास्थ्य निरीक्षक या उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने में शिकायत कर सकते हैं। ये सभी बाल विवाह के निषेध अधिकारी हैं। यानी बाल विवाह को रोकने वाले। ये अगर बाल विवाह हुआ हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में कानूनी शिकायत या मामला दर्ज करने वाले भी हैं। इसके अलावा, तालूक / जिले स्तर के सभी अधिकारी बाल विवाह निषेध अधिकारी हैं। उनको कभी भी बाल विवाह की शिकायत कर सकते हैं।

गतिविधि: यदि आपके किसी मित्र का बाल विवाह हो रहा है, तो बाल अधिकार संरक्षण समिति और उसके सदस्यों के ध्यान में लाए या 1098 पर कॉल करें।

बाल विवाह को रोकने के उपाय :

1. 18 साल की उम्र तक किसी भी बच्चा स्कूल / महाविद्यालय से दूर न रहे, इसके लिए शैक्षिक विकास कार्यक्रमों का प्रवर्तन। यानी सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन स्कूल में होना चाहिए। उपस्थिति के अलावा शत-प्रतिशत जन्म पंजीकरण एवं जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
2. लड़कियों की शिक्षा पर जोर, लड़कियों के बल-संवर्धन और सशक्तिकरण पर अधिक जोर। जहाँ कहीं भी बाल विवाह होता है, तो शिकायत, खंडन, सवाल करना चाहिए।

बाल विवाह निषेध अधिनियम : 2006

भारत के सभी राज्यों के लिए यह अधिनियम अन्वय होता है। उपयुक्त कुछ संशोधन द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को जारी किया गया है। इससे पहले 1929 इस अधिनियम विवाह का कनिष्ठ आयु को निर्गदित किया गया। परंतु भारत ने 11 दिसंबर 1992 को बाल अधिकारों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, कुछ बाल स्नेही परिवर्तनों के साथ एक नया कानून बनाया गया था।

यदि महिला या पुरुष इनमें कोई भी अप्राप्त हैं तो भी यह अपराध है। जो कोई भी छोटी लड़की से कोई भी पुरुष शादी करता है तो वह सजा का हकदार है। बाल विवाह के मामले में (बच्चों को छोड़कर) विवाह होने वाले, शादी करने वाले, प्रचोदित करने वाले, सहायता करने वाले, भाग लेने वाले आदि सभी को 2 साल का कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस कानून के अनुच्छेद - 9, 10, 11, के अनुसार बाल विवाह कराने वाले पुरोहित, रसोईया, शामियाना या डेरा डालने वाले, फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वॉकर, मोटर चालक और शादी में शामिल सभी लोग दोषी हैं।

प्रमुख रूप से लड़का-लड़की के पिता, माता, परिवार वाले, शादी के कल्याण मंडप के मुखिया भी अपराधी हैं। इस कानून में शादी के आह्वान पत्रिका का टंकण कार तथा छापने वाला भी अपराधी हैं। क्योंकि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का हनन है। अगर कोई भी उसके लिए सहायता करें, कोई बिना सवाल किए इसमें भाग ले या हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो वह बच्चों के अधिकार और मानव अधिकार

का उल्लंघन है। इसलिए यह सब अपराधी हैं। कानून यह स्पष्ट करता है कि इस देश के नागरिक अपने सामाजिक जिम्मेदारी और दायित्व को भूलना नहीं चाहिए।

महिलाओं पर हिंसा :

भारतीय महिलाओं की कई समस्याओं में से हिंसा भी एक है। हाल ही के शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा चल ही रही है। बलात्कार, उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, शारीरिक और मानसिक शोषण, गर्भपात के लिए उकसाने और अश्लील शब्दों के प्रयोग के रूप में हिंसाएँ परिवार के भीतर और बाहर लगातार होती रहती है। आइए कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें।

दहेज :

भारतीय विवाह पद्धति में दिखाई देने वाले दहेज में, 'दूल्हा', एक परिपक्व पुरुष है, और दक्षिणा का अर्थ है 'देना'। शादी का उपहार के रूप में अक्सर दुल्हन के परिवार से विविध रूपों में अपेक्षा करने वाले संपत्ति, सोने के आभूषण, नकद या वाहन आदि दहेज रूप हैं। दहेज देना और लेना दंडनीय अपराध है।

यदि दूल्हे की तरफ़ से कहने पर वर को बहुत अधिक धन, आभूषण आदि को देने की अनिवार्यता हो जाती है, तो यह शोषण का एक रूप है। इस शोषण से दुल्हन को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानी से पीड़ित होते हैं।

इस तरह दहेज स्त्रियों को सताने वाली एक सामाजिक समस्या है। दहेज के कारण महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनका शोषण, हत्या और हिंसा की जा रही है।

दहेज के दुष्प्रभाव :

दहेज महिलाओं के आत्मसम्मान, सम्मान, स्थान-मान को धटाकर पारिवारिक कलह को पैदा करता है। जिससे स्त्री-पुरुषों के बीच दरार पड़ गई है। दहेज की महामारी अनैतिकता और क्रूरता और पारिवारिक संबंधों को खराब कर सकती है। दहेज के पैसे की लालच में फर्जी शादियाँ भी हो रही हैं। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विवाह विच्छेदन के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

दहेज समस्या के समाधान :

1961 का दहेज निषेध अधिनियम :

1961 में, भारत सरकार ने दहेज को खत्म करने के लिए कानून बनाने के लिए 'दहेज निषेध' अधिनियम पारित किया। यह कानून दहेज के तहत विवाह को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को 5000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं।

इसे और सख्त बनाने के लिए 1986 में अधिनियम में संशोधन किया गया था। संशोधित अधिनियम के तहत, जो व्यक्ति दहेज देते हैं और दहेज लेते हैं और दहेज पर जोर देने वालों को कम से कम 5 साल की कैद और 15,000 रुपये से अधिक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

दहेज हत्या के मामले को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरीक सुरक्षता संहिता (BNSS) इस सुनवाई को गैर-जमानत और गैर-समझौते पर चलाया जा सकता है।

कानून के अलावा जनजागृति, अंतर्जातीय विवाह, आधुनिक प्रचार माध्यमों, स्वैच्छिक संगठनों और महिला संगठनों को बढ़ावा देकर दहेज से बचा जा सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या :

आधुनिक स्वतंत्र भारत में महिलाओं के सामने कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या दोनों ही अमानवीय प्रथाएँ हैं।

कन्या भ्रूण हत्या :

गर्भ में पल रहा भ्रूण कन्या भ्रूण है, और यदि माता-पिता को इसकी आवश्यकता नहीं है तो, उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है वहीं 'कन्या भ्रूणहत्या' है।

आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र की प्रगति के साथ, लिंग परीक्षण विधियाँ यह निर्धारित करने में सक्षम हैं कि माँ के गर्भ में भ्रूण लड़का है या लड़की। आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग पुरुष की इच्छा के मोह के कारण होता है। स्कैनिंग नामक आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से माँ के गर्भ में बच्चे के लिंग का पता लगाकर, यदि वह लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार डालने से गर्भपात की मामले बढ़ रहे हैं।

गरीबी, दहेज भय, निरक्षरता, अज्ञानता, महिला विरोधी रुख / मनोवृत्ति और लड़कों की इच्छा के कारण कन्या भ्रूण हत्या के मामले हो रहे हैं।

कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों से स्त्री - पुरुष लिंगानुपात में उतार-चढ़ाव, लिंग भेदभाव और कन्या अवमूल्यन जैसी समस्याएँ पैदा कर रही हैं।

आधुनिक तकनीक द्वारा गर्भ में लिंग का पता लगाने को नियंत्रित करने के लिए 1994 में 'प्रसवपूर्व लिंग परीक्षण रोकथाम अधिनियम' अधिनियमित किया गया था। पर भी गुप्त रूप से 'कन्या भ्रूण हत्या के मामले आज भी चल रहे हैं।'

ध्यान दीजिए : भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, केरल और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में पुरुषों की तुलना और केन्द्रालित प्रदेशों में महिलाओं का अनुपात कम है।

2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात			2011 की जनगणना के अनुसार लिंग	
महिलाएँ	पुरुष		महिलाएँ	पुरुष
933	1000		943	1000
		ग्रामीण	949	1000
		नगर	928	1000

कन्या शिशु हत्या :

जन्म के बाद बच्ची को निर्मम हत्या करने की प्रथा ही कन्या शिशु हत्या है। आजकल भी कहीं-कहीं कन्या शिशु हत्या की प्रक्रिया देखने में आए हैं।

सरकार ने कन्या की हत्या जैसे कृत्यों को रोकने के लिए निषेध क़ानून बनाए हैं। कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या दोनों दंडनीय अपराध हैं।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- संविधान की _____ अधिनियम बच्चों को रोजगारी में लगाने को गैर कानूनी घोषणा की है।
- बालश्रम निषेध अधिनियम पारित _____ वर्ष में हुआ।

3. बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए _____ वर्ष में 'राष्ट्रीय नीति' लागू की गई थी।
4. दहेज निषेध अधिनियम पहले _____ वर्ष लागू हुआ।
5. लैंगिक अपराध से बाल सुरक्षा अधिनियम (POCSO) _____ वर्ष में लागू हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए :

6. भारत की दो सामाजिक चुनौतियों के नाम लिखिए।
7. बाल मजदूर कौन हैं?
8. कन्या भ्रूण हत्या किसे कहते हैं ?
9. कन्या शिशु हत्या किसे कहते हैं ?
10. बाल विवाह क्या है?

III. समूहों में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें और उत्तर दीजिए :

11. बालश्रम की समस्या के क्या कारण हैं? बताइए।
12. बालश्रम समस्या के परिणाम क्या हैं?
13. बालश्रम के उन्मूलन के उपाय क्या हैं? समझाइए।
14. दहेज समस्या के क्या नुकसान हैं?
15. दहेज समस्या का समाधान क्या है?
16. बाल विवाह के क्या प्रभाव होते हैं?

IV. गतिविधि:

1. आपके गाँव की सामाजिक चुनौतियों की सूची बनाइए और उनका समाधान लिखिए।

V. परियोजना:

1. अपने स्कूल को कानूनी विशेषज्ञ को बुलाइए, बाल विवाह, बालश्रम और शिशु हत्या से कानून पर व्याख्यान की व्यवस्था कीजिए।

भूगोल

अध्याय - 25

भारत में भू- उपयोग और कृषि



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- भू- उपयोग को प्रभावित करने वाले अंश ।
- भू-उपयोग के प्रकार ।
- कृषि का अर्थ और महत्व।
- कृषि के प्रकार ।
- फसलों का वितरण, फसल स्वरूप के निर्धारण करने वाले कारक ।
- खाद्य फसलें, वाणिज्यिक फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी, फूलों की खेती ।

भू-उपयोग:

भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। विभिन्न उद्देश्य के लिए इसका उपयोग जैसे खेती, वन, घास के मैदान, परती, गैर-कृषि उपयोग को ही 'भू उपयोग' कहलाता है ।

भू-उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक :

भूमि का उपयोग, उनकी विशेषताओं और जरूरतों के आधार पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कई प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। इनमें प्राकृतिक अंश हैं - भू-स्वरूप, जलवायु, मिट्टी की विशेषताएँ 1) प्राकृतिक रूप से प्रभावित करते हैं। 2) आर्थिक भू-अधिकार की प्रणाली, जनसंख्या, कृषि उत्पादों की माँग, व्यवसाय हैं । 3) सामाजिक अंश 4) आदि अंश लोगों का दृष्टिकोण, सामाजिक स्थिति, बाजार की स्थिति, प्रौद्योगिकी, सिंचाई, मनुष्य का सामर्थ्य और भू-स्वामित्व आदि भू-उपयोग पर प्रभाव पड़ता है।

भू-उपयोग के प्रकार (Types of land use) :

भारत में उपलब्ध भू-उपयोग को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है- 1) कुल (सम्पूर्ण) कृषि प्रदेश, 2) वन प्रदेश 3) गैर कृषि के लिए भू-उपयोग 4) बंजर भूमि 5) स्थायी घास के मैदान तथा अन्य चारगाह 6) कृषि योग्य अनुपयुक्त भूमि आदि ।

- 1) **कुल (सम्पूर्ण) कृषि प्रदेश :** यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण भू- उपयोग प्रकारों में से एक है। भारत में कृषि की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आधार पर, अधिकांश भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत, खेती के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।
- 2) **वन प्रदेश :** भारत में सर्वेक्षण किए गए कुल भूमि क्षेत्र का सिर्फ 21.3% वनाच्छादित है। 1950-51 में यह 16.2 प्रतिशत था। राष्ट्रीय वन योजना के अनुसार 33 प्रतिशत वन होना चाहिए। इसलिए वन भूमि बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है।
- 3) **गैर कृषि के लिए प्राप्त भूमि :** खेती और वन क्षेत्र की तुलना में गैर-कृषि उपयोग के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण, जलाशय, औद्योगिक, सड़क आदि के निर्माण के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जा रहा है।
- 4) **बंजर भूमि :** जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ कृषि उत्पन्न पर अधिक दबाव पड़ने से, तदनुसार खेती के लिए अधिक क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। गैर कृषि और अविकसित भूमि क्षेत्र भी तकनीकी के सहायता से आज कृषि के लिए प्रयुक्त है।
- 5) **घास के मैदान :** कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ चरागाहों का क्षेत्र लगातार कम होता गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा घास के मैदान हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा राज्यों में सबसे कम घास के मैदान हैं।
- 6) **कृषि योग्य अनुपयुक्त भूमि :** भारत के कुछ हिस्सों में, मिट्टी की रासायनिक संरचना में परिवर्तन के कारण खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ क्षेत्र बेकार हो गए हैं।

कृषि

कृषि मनुष्य के आदि व्यवसायों में से एक है, और मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इस पेशे में शामिल है। कृषि 'भूमि जोतने की कला' के रूप में परिभाषित किया गया है। खेत को जोतकर पौधों को पोषण करके, उससे मानव और जानवरों के लिए उपयोग प्राप्त करना ही कृषि कहलाता है।, यह व्यापक अर्थों में, मत्स्य पालन, पशुपालन और वनविज्ञान सहित है।

कृषि का महत्व

कृषि भारतीयों का मुख्य व्यवसाय है। यह देश के सभी भागों में कृषि के विभिन्न रूपों और उत्पादनों में निरत देखा जा सकता है। देश की आबादी को खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। कृषि देश की आजीविका है, जो अन्य क्षेत्रों से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन के कच्चे माल पर आधारित उद्योग बड़ी संख्या में हैं। कृषि अप्रत्यक्ष रूप से भी कई उद्योगों की पोषण करती है, जैसे : रासायनिक, उर्वरक, कीटनाशक, यंत्रोपकरण आदि। कृषि परिवहन व्यापार-आदि अनेक तृतीय आर्थिक उद्योग पोषित है।

कृषि के प्रकार

1. सघन कृषि (Intensive Farming) : एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र से 2-3 फसलें उगाने के लिए सघन खेती के रूप में जाना जाता है। अधिक आबादीवाले कृषि उत्पन्नों को अधिक फलभरी प्रदेशों में ऐसी खेती रूढ़ि में है।

2. जीवनाधारित कृषि (Subsistence Farming) : किसान (कृषक) अपने तथा परिवार के पालन पोषण के लिए खेती कर जो फसल उगाता है वह पद्धति जीवनाधारित कृषि है। इस कृषि में किसान खाद्य धान्य, तेल के बीज, सब्जियाँ-आदि उपजते हैं। जीवनाधारित कृषि पद्धति के दो प्रकार हैं - 1) स्थिर खेती 2) स्थानांतरित खेती ।

अ) स्थिर खेती : किसी एक क्षेत्र में लोग स्थान का परिवर्तन किए बिना एक ही स्थान पर बस कर कृषि करने को स्थिर कृषि कहते हैं । यह सांप्रदायिक कृषि है। छोटे कृषि क्षेत्रों में युक्त है।

आ) स्थानांतरित खेती : किसी एक क्षेत्र में लोग स्थिर रूप से ना बस कर वन के कुछ भाग को काटकर, जलाकर विस्तृत कर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता कम होने पर उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर (अपना स्थान त्याग कर) इसी प्रकार खेती करने को स्थानांतरित खेती कहते हैं। अब यह मना है।

3. वाणिज्य कृषि : व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली खेती वाणिज्य कृषि कहलाती है । तंबाकू, सुपारी, नारियल, गन्ना, कपास, चाय, कॉफी, रबड़ इत्यादि वाणिज्य कृषि फसलें हैं।

4. मिश्र कृषि : कृषि क्षेत्र का उपयोग फसल उगाने के अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, साकर (सुअर)पालन, रेशम-कृषि आदि उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इसे 'मिश्र कृषि' कहते हैं।

5. बागवानी कृषि : भारत के प्रमुख कृषि पद्धतियों में बागवानी कृषि भी एक है। कॉफी, चाय तथा रबड़ की कृषि बागवानी कृषि में प्रमुख है। एक ही प्रकार की फसल विस्तृत क्षेत्र में उपजी जाती है।

फसल पद्धति (cropping pattern) : कोई भी क्षेत्र एक निश्चित अवधि में से कई फसलों द्वारा आवृत होतो, इसका अनुपात फसल पद्धति कहलाती है। इस में दो फसलों का अनुपात मुख्य रूप से अनाज और गैर-खाद्य या वाणिज्यिक फसलों के रूप में देखा जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र की फसल पद्धति मुख्य रूप से भूगोल, जलवायु, मिट्टी, जल आपूर्ति, आर्थिक कारकों, सामाजिक कारकों और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है।

प्रतिदर्शी फसल पद्धति का निर्धारण करने वाले कारक : किसी एक क्षेत्र की फसल, प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक और किसान दृष्टिकोण जैसे कारकों से निर्धारित होती है।

- 1. प्राकृतिक कारक :** फसल पद्धति के निर्धारण में भूवैज्ञानिक, जलवायु और वर्षा महत्वपूर्ण कारक हैं।
- 2. आर्थिक कारक :** अत्यधिक कीमत वाले वाणिज्यिक उत्पाद मुख्य रूप से भारत के कुछ व्यापक होल्डिंग क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त करना है।
- 3. सामाजिक कारक :** सामाजिक कारक जैसे परंपरा, अंधविश्वास, निरक्षरता आदि भी फसल के नमूने को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- 4. किसान रवैया :** किसानों के रवैये का किसी एक क्षेत्र के फसल के नमूने पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदा : उत्तर कर्नाटक में, किसान पहले मक्का और गेहूं अधिक मात्रा में उगाते थे। लेकिन अब सूरजमुखी और मूंगफली, तुअर, और प्याज उगा रहे हैं जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं।

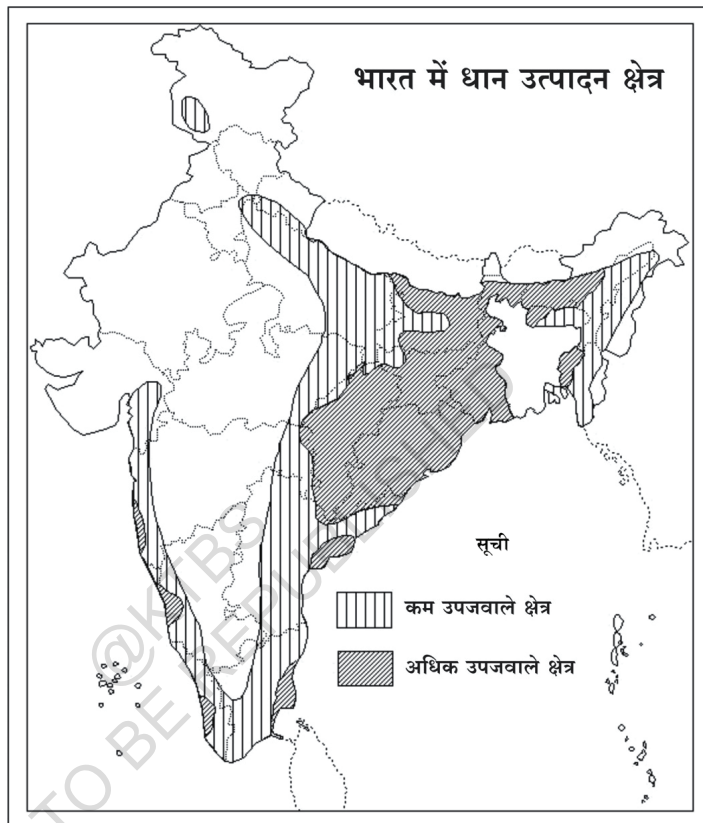
उपर्युक्त कारकों के अलावा, जल आपूर्ति, परिवहन, बाज़ार, उन्नत नस्ले, रासायनिक उर्वरक, भूमि अधिग्रहण आदि भी फसल नमूने को प्रभावित करते हैं।

फसल के मौसम या खेती की अवधियाँ (Crop Seasons) : भारत में साल भर विभिन्न क्षेत्रों में फसल उगाई जाती है। ऐसे, एक वर्ष में पूरे देश में फसलों को उगते देखा जा सकता है। देश में तीन कृषि काल हैं: 1) मानसून या खारीफ की खेती 2) मानसून या सर्दी या रबी की खेती। 3) गर्मी या जेड़ खेती।

- 1) **मानसून या खरीफ की खेती :** दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम की अवधि की कृषि को 'मानसूनफ या खरी फसल' के रूप में जाना जाता है, जिसे जून या जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्तूबर में काटा जाता है। देश का अधिकांश भाग मौसमी खेती के अधीन है। धान, बाजरा, कपास, मक्का, राई मक्का, तिलहन आदि इस अवधि के प्रमुख फसलें हैं।
- 2) **मानसून या सर्दी या रबी की खेती :** यह वर्षा ऋतु की मुख्य खेती की अवधि है। उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू इस अवधि की खेती के अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में गेहूँ सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है। सर्दी के मौसम में ठंडी शीतोष्ण बौछारें होती हैं। यह गेहूँ की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इसे अक्तूबर-नवंबर में बोया जाता है और फरवरी-मार्च में काटा जाता है।
- 3) **गर्मी या जेड़ खेती :** भारत के कई भागों में रबी और खारीफ खेती के बीच भारत के कई भागों में खेती होती है। गर्मी की इस खेती को 'जेड़ फार्मिंग' कहा जाता है। इस अवधि के दौरान दाल जैसे उड़द, तिलहन अर्थात् तेल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं।

प्रमुख फसलें : भारत विश्व के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में से एक है। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप, भारत के कृषि क्षेत्र में सिंचाई, आधुनिक मशीनरी, रासायनिक उर्वरकों, उच्च उपज वाले उपभेदों, कीटनाशकों और रोगनाशकों का उपयोग करके काफी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। खाद्यान्न, वाणिज्यिक फसलें, फाइबर और पेय फसलें भारत की प्रमुख फसलें हैं।

1) खाद्य फसलें (Food crops) : धान : भारत में उत्पादित खाद्यान्नों में धान सबसे अधिक होता है। भारत दुनिया में सबसे ऊँचा अधिक धान का खेत युक्त राष्ट्र है। धान उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। देश में सबसे ज्यादा लोग धान को एक प्रधान भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अनाज के रूप में उपयोग किया जाता है। धान प्रमुखता से 'खारीफ फसल' है। धान की खेती के लिए 25 सेल्सियस तापमान और 100 से 200 से.मी. वार्षिक वर्षा आवश्यक है। जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त हैं। फसल की कटाई होने तक धान पिरौ के तल पर जल खड़े होने के लिए समतल जमीन की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई जरूरी है।



पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश पंजाब आदि चावल उगाए जाने वाले राज्य हैं।

गेहूँ :

यह भारत में सर्दी (रबी) की मुख्य फसल है। हमारे देश ने गेहूँ के उत्पादन में काफी प्रगति की है। और दुनिया में गेहूँ के निर्यातकों में से एक प्रमुख राष्ट्र है। गेहूँ की फसल को 10 से 5 सेल्सियस उष्णांश, 50 से 70 से.मी तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रेतीली चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी गेहूँ के लिए अनुकूल पड़ता है।

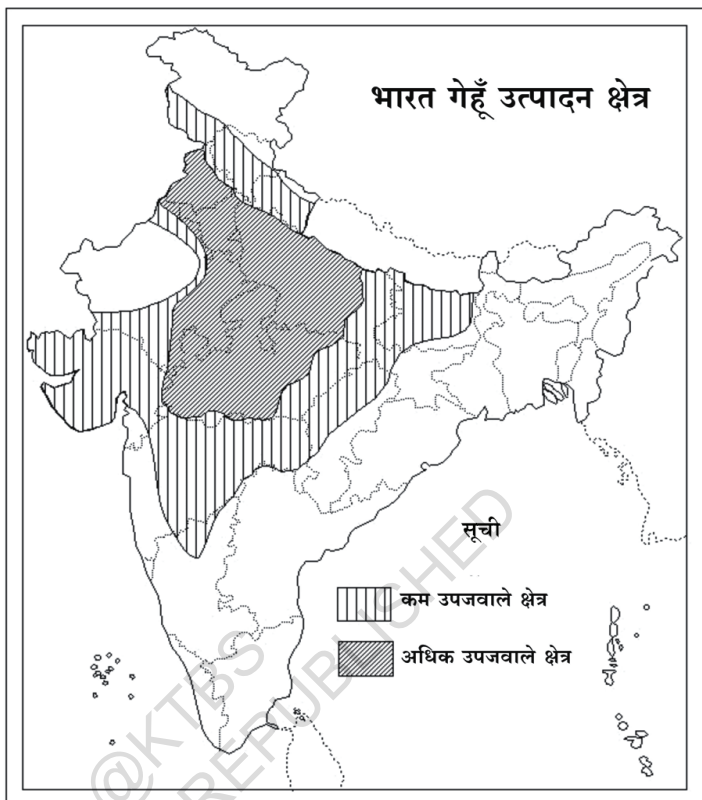
गेहूँ ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में उगाया जाता है। पंजाब को “गेहूँ का गोदाम” कहते हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र गेहूँ उगाने में प्रथम स्थान पाये हैं।

वाणिज्यिक फसलें (Commercial crops) :

1) गन्ना (Sugarcane)

: यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। भारत में गन्ने की खेती प्राचीन काल से

रूढ़ि में है। भारत इसका स्रोत है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। यह सिंचाई क्षेत्र में उगाई जाने वाली वार्षिक फसल है। इस फसल के लिए अधिक उष्णान्श और आर्द्र जलवायु आवश्यक है। इसके लिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 से 150 से.मी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जलोढ़ और काली मिट्टी में गन्ना अच्छी तरह से बढ़ता है। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र-प्रदेश और भारत के अधिकांश राज्यों में मुख्य व्यावसायिक फसल है।



आपको ज्ञात रहे:

- गन्ना ऑफिसिनरम समूह से संबंधित बहुवार्षिक पौधा है। देश के चीनी, औद्योगिक, महाद्वीपीय उद्योग, गुड़ और अहल उद्योग गन्ना उत्पादन पर निर्भर हैं। इसके अलावा गन्ना कागज उद्योग का मुख्य कच्चा माल है।

- भारत में गन्ना उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से एक झरतून प्रणाली (Ratoon system) है, जो गन्ने के एक टुकड़े को बोकर फसल पाने के बाद उसकी चीख छोड़कर, जुताई करके चीख के अंकुरित होकर उससे और एक फसल पाते हैं। इसे झरतून प्रणाली कहते हैं।

2) तंबाकू (Tobacco) : भारत तंबाकू उत्पादन के लिए दुनिया में तीसरे स्थान पर है। तंबाकू का उपयोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, संघनी आदि बनाने और खाने के लिए किया जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, फिर भी आज की दुनिया में धूम्रपान करने वालों और इसके उत्पादों की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके लिए 21 से 27 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः साल में औसत 50 से.मी बारिश की जरूरत है। बालू मिश्रित मिट्टी, और रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडू और महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक का निष्पणी, बेलगाँव जिला शहर तंबाकू बाज़ार का केंद्र है।

आपको ज्ञात रहे :

तंबाकू 'निकोषियान' वर्ग का पौधा है। इसका मूल दक्षिण अमेरिका के एंडीस पर्वत है। जीन निकोट ने इसे फ्रांस में पेश किया था। जहाँ से 17 वीं शताब्दी में पुर्तगालियों (पोर्चुगीस) ने भारत में परिचय कराया।

रेशेदार फसलें (Fibre crops) :

कपास और जूट भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसलें हैं जो सूती कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग के पोषक हैं।

1) कपास (Cotton): कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण फाइबर फसलों में से एक है। कच्चा कपास न केवल कपास मिलों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, बल्कि बड़ी मात्रा में कपास का निर्यात भी करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारत कपास उगाने में विश्व में प्रथम और उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उपउष्णकटिबंधीय फसल है, जो उत्पादन 20 से 25 सेल्सियस, तापमान की आवश्यकता होती है। लगभग 75 से 150 से.मी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उग सकते हैं। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में उग सकती है। लेकिन नमी बनाए रखने वाली मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसे मानसून (खारीफ) की फसल के रूप

में उगाया जाता है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है।

पेय फसलें (Beverage crops)

भारत में उत्पादन करने वाले प्रमुख बागवानी फसलों में से चाय और कॉफी प्रमुख पेय फसलें हैं। भारत विश्व में इन फसलों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है।

1) चाय (Tea) : चाय न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी सबसे महत्वपूर्ण पेय है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। लंबे समय से भारत का अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्यात एकाधिकार था। चाय को प्रमुखता मिली है क्योंकि यह रोजगार के अपार अवसर प्रदान करती है। चाय एक सदाबहार बहुवार्षिक फसल है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 21 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान के साथ बढ़ती है। 150-200 से.मी. बारिश की आवश्यकता है। विघटित बायोमास वाली मिश्रित मिट्टी और पानी निकालने में आसान रेत मिश्रित चिकनी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है इसलिए इसे लगभग 1200 से 2400 मी. उच्च ढलानों पर उगाया जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू और केरल में चाय की खेती देखी जा सकती है। चाय के निर्यात में भारत का नाम प्रसिद्ध है।

कृषि के विकास में बागवानी और पुष्प कृषि की भूमिका :

भारत खाद्य फसलों, वाणिज्यिक फसलें, और फाइबर फसलों के अलावा, बागवानी तथा फूलों की खेती हाल ही में विकसित हुई है। अनुसंधान संस्थानों की भूमिका बहुत बड़ी है।

यह आपको ज्ञात रहे :

चाय में 'टेनिन' नामक उत्तेजक पदार्थ होता है।

चाय के बाग असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में पाए जा सकते हैं।

आपको ज्ञात रहे :

भारत में कृषि के अनुसंधान में

- ICAR (भारतीय व्यावसायिक अनुसंधान परिषद) (Indian Council of Agricultural Research)

- I I H R (भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च ऑफ इंडिया) (National Institute of Horticultural Research of India) आदि संस्थाएँ निभाती हैं।

बागवानी फसलें (Horticultural crops) : बागवानी में फल, सब्जियों और फूलों का उत्पादन शामिल है। यह लगभग अल्पकालिक अथवा नियतकालीन, याने एक निश्चित अवधि में फसलें पैदा करती हैं। बागवानी खेती अन्य कृषि पद्धतियों की तुलना में अधिक सघन और वाणिज्यिक है।

आपको ज्ञात रहे :

बागवानी उत्पादन के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए एक भव्य योजना शुरू की गई है। इन बाजारों का आसपास के उत्पादन क्षेत्रों से सीधा संपर्क होता है। इसे 'टर्मिनल मार्केट' (Terminal Market) कहा जाता है।

भारत आम, केला, सपोटा और नींबू फल का विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक है। यही कारण है कि सरकार ने बागवानी को इतना महत्व दिया है और इस क्षेत्र ने जबरदस्त प्रगति की है। बागवानी खेती में इस सफलता को 'स्वर्ण क्रांति' (Golden Revolution) के रूप में जाना जाता है। आवश्यक भौगोलिक विविधता भू-स्वरूप, जलवायु, मिट्टी, सिंचाई, श्रमिक, बाजार, सरकारी प्रोत्साहन आदि देश में अत्यधिक पूरक हैं।

पुष्प/फूलों की खेती (Floriculture) :

भारत की कृषि प्रणालियों में फूलों की खेती भी एक है। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने फूल उगाने की कला को जानते हैं। वाणिज्यिक नमूने का पुष्प (फूल) कृषि अथवा खेतीबारी को 'फ्लोरिकल्चर' कहते हैं। भारत में उगाये जाने वाले फूलों में चमेली, गोल चमेली, चंपा, फूल, गुलदाउदी, कनकांबर, गुलाब, लिली आदि प्रमुख हैं। सांप्रदायिक रीति के फूलों से लंबे से कटे हुए फूल, (Cut flowers) गुलाबी, आर्किड, लिली, ग्लेडियोलस, कारनेशन, आंथोरियम आदि जैसे फूलों की भारी माँग है। इनका उत्पादन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान पाया है।

पुष्प खेती कुछ राज्यों तक सीमित है। तमिलनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य फूलों की खेती में शामिल हैं। भारत की खेती वर्तमान में विविधता को अपना रही है। यही कारण है कि फूलों की खेती के लिए एक उद्योग मॉडल के रूप में विकसित होने के महान अवसर हैं। बागवानी फसलें और फूलों की खेती हाल के दिनों में कृषि क्षेत्र में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है। ये किसानों के लिए अन्य खेतों के विकास के पूरक हैं।

अभ्यासः

I. सही शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. भूमि के विविध उद्देश्यों में उपयोग करने को _____ कहते हैं।
2. एक ही खेत में एक साथ दो से तीन फसलें उगनी वाली को _____ कहते हैं।
3. अगर किसान सिर्फ अपने जीवन के लिए आवश्यक उपज को उगता है तो इसे _____ खेती कहते हैं ।
4. वाणिज्यिक खेती की फसल में अपार प्रगति को _____ है।
5. भारत में सबसे अधिक धान उगाने वाला राज्य _____ है।
6. ग्रीष्म ऋतु की कृषि को _____ कहलाती है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए :

7. भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
8. कृषि किसे कहते हैं ? कृषि कितने प्रकार की होती है ?
9. खारीफ की खेती क्या है?
10. रबी की खेती क्या है?
11. कपास की फसल उगाने के लिए किन-किन कारकों की आवश्यकता होती है?



III. क्रियाकलाप :

1. भारत में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न और दालों को संग्रहित कीजिए।
2. भारत में गन्ना और तम्बाकू उगाने वाले क्षेत्रों को भारत के मानचित्र में सूचित कीजिए।
3. तंबाकू सेहत के लिए कैसे हानिकारक है। कैसे इसके बारे में नज़दीकी डॉक्टर से जानकारी संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना :

1. अपने आस-पास उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में टिप्पणी लिखिए। चित्र एकत्रित कीजिए।
2. फूलों की खेती किस प्रकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरक है। विचार-विमर्श कीजिए।



भारत के खनिज और ऊर्जा संसाधन



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को जानते हैं :

- भारत में मिलनेवाले खनिजों का परिचय और उनके महत्व ।
- भारत में प्रमुख खनिजों का वितरण और उत्पादन।
- असंप्रदायिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की आवश्यकता।
- ऊर्जा संसाधनों का अभाव तथा संरक्षण और समाधान ।
- ऊर्जा संसाधनों के अभाव के कारण ।

खनिज प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। “प्रकृति में सहज रूप से प्राप्त निश्चित रासायनिक संयोजना युक्त मिश्रण ही खनिज है”। ये शिला तथा अन्य भू-सन्नट मिश्रण से प्राप्त होते हैं । भौतिक मिश्रणों से युक्त उपलब्ध होते हैं । उनमें लोहे का अयस्क, मैंगनीज अयस्क, बाक्सैट अयस्क, अभ्रक और स्वर्ण अयस्क मुख्य हैं। इनके अलावा, ऊर्जा संसाधन कोयला पेट्रोलियम जैसे अणु खनिजों का उत्पादन देश में किया जाता है। इनके साथ, हमारे देश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि असंप्रदायिक ऊर्जा संसाधनों बिजली की भारी कमी होने के कारण हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण हैं।

1. लौह - खनिज (Iron ore) : भारत में उत्पाद होने वाले लोहे से संबंधित अयस्कों तथा खनिजों में लौह अयस्क धातु खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण है। लौह अयस्क देश के कुल खनिज मूल्य का लगभग 20% है। लौह अयस्क के भंडार के राष्ट्रीय में से भारत का विश्व में छठा स्थान है।

आपको ज्ञात रहे :

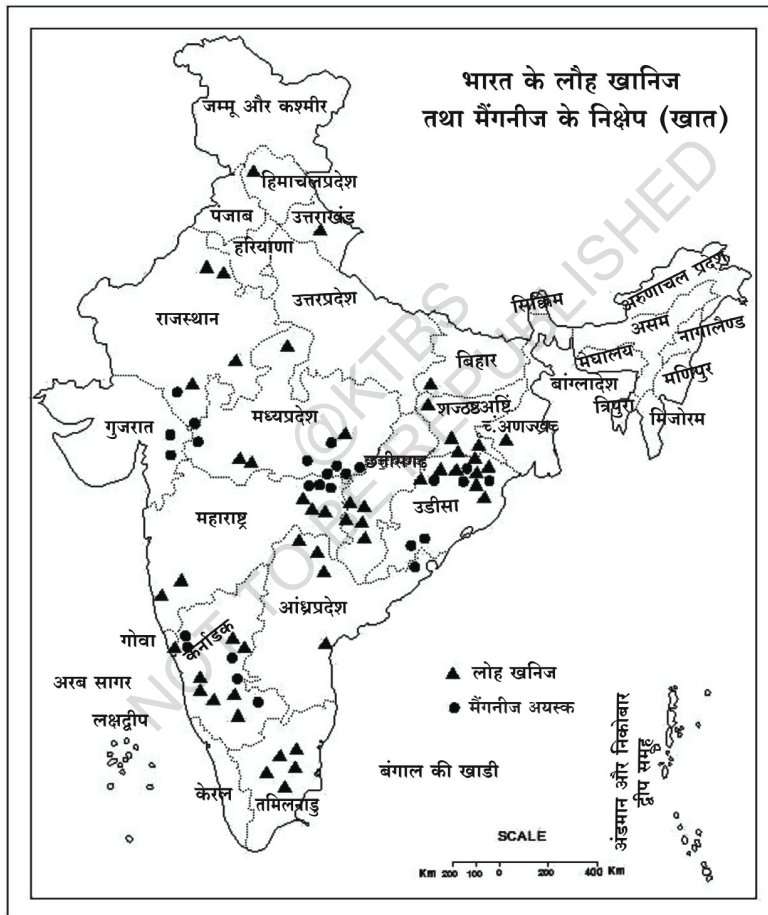
लोहा अयस्क के प्रकार:
खनिज सामग्री की मात्रा और शामिल दूषित पदार्थों की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को चार मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है :

- 1) मैग्नेटाइट
- 2) हेमटैट
- 3) लिमोनाइट
- 4) सिडराइट

भारत में झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक लौह अयस्क का भंडार है। झारखंड के सिंगभूम, उड़ीसा के केयोंजार, मयूर भंज और सुंदर घर जिलों में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जमा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्गा और

रायपुर मशहूर हैं। गोवा, आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडू में लोहे के भंडार हैं। कर्नाटक के केम्पणुगुंडी, होसपेटे, सोंडूर, कुदुरे मुख, में लौह अयस्क के भंडार हैं।

लौह अयस्क का उपयोग कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्रप्रदेश राज्यों में लौह और इस्पात उद्योगों में किया जाता है। इसके अलावा, जापान, चीन, इटली और इरान जैसे देशों को विदेशी निर्याता द्वारा विनिमय पाया जा रहा है ।

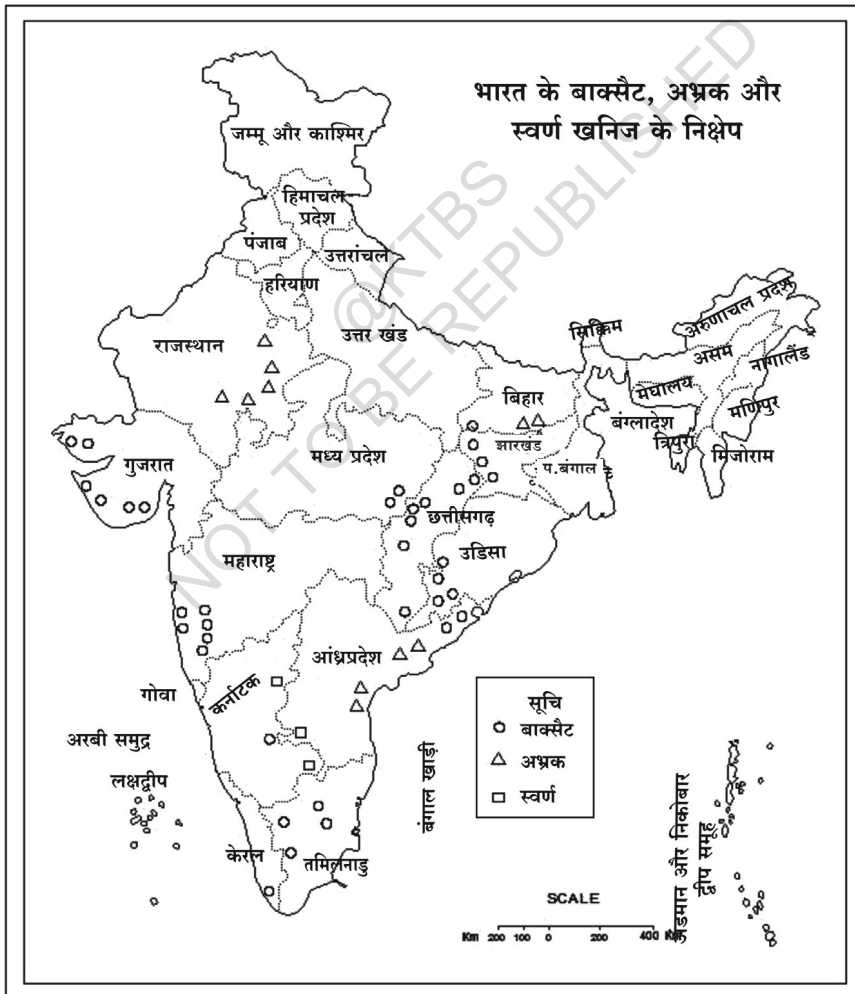


2. मैंगनीज अयस्क : भारत में उत्पादित लोहा मिश्रित धातुओं में मैंगनीस महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उपयोग इस्पात उत्पादन में किया जाता है। इसे रासायनिक और बिजली के उपकरणों की तैयारी और रंगीले काँच के निर्माण में उपयोग किया जाता है।

मैंगनीज अयस्क के प्रकार : मैंगनीज के मुख्य अयस्क पाइरोलोसाइट, सैलोमेलन, मैग्नेटाइट, ब्रॉनाइट और हॉलैंडाइट हैं।

भारत में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क सबसे अच्छा है। पाइरोलोसाइट और सैलोमेलन मैंगनीज के मुख्य अयस्क हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मैंगनीज अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। इनके बिना मैंगनीज अयस्क बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और गोवा में भी पाया जाता है।

3. बॉक्साइट अयस्क : बॉक्साइट एल्यूमीनियम धातु का मुख्य अयस्क है। लोहे के आक्साइड और रेत के साथ मिश्रित रहता है। भूरे पीले और स्लेटी रंगों के साथ मिश्रित बॉक्साइट चिकनी मिट्टी के जैसे चिपचिपा बनावट होता है। बॉक्साइट अयस्क में 60 से 70



प्रतिशत एल्यूमीनियम ऑक्साइड होता है जिसे प्रोसेस करके एल्यूमीनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट का इस्तेमाल कई तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसे 20वीं सदी की 'अद्भुत लोहे' के रूप में जाना जाता है।

बॉक्साइट अयस्क का उपयोग मुख्य रूप से एल्यूमीनियम के निर्माण के लिए किया जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट भंडार है। एल्यूमीनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भंडार में देश दुनिया में 5वें स्थान पर है। भारत में मुख्य रूप से उड़ीसा के कोरापट, कालहंदी, बोलांगीर, सुंदरगढ़ गुजरात के जामनगर, भावनगर, जुनागढ़, बारूच, सूरत जिलों में ; झारखंड के रांची, पलमावु, शहबाद, लोहरदगा जिलों में ; महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोल्हापुर, अंबोलीघाट, उदयगिरी, राधानगरी, दंगरवाड़ी और दरभंगा, छत्तीसगढ़ के बस्तार, बिलासपुर, रायगढ़ और सुरगुझाओं जिलाओं में वितरित हैं। इसके अलावा बॉक्साइट आयस्क, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के बेलगाव, तमिलनाडू के सेलम, मदुरै, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टणम आदि में पाया जाता है। भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स (UAE), ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अमेरिका देशों को बॉक्साइट अयस्क का निर्यात कर रही हैं।

4. अभ्रक (MICA): अभ्रक गैर-लौह अयस्क में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। भारत अभ्रक भंडार और फलक अभ्रक की उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। अभ्रक एक अच्छा पारदर्शक, स्थिति स्थापक (कंडीशनर), गर्मी प्रतिरोधी और चमकीले सिलिकेट खनिज है। यह एक गर्मी और विद्युत मंद वाहक है, इसलिए इसका उपयोग ताप नीरोधक तथा विद्युत नीरोधक वस्तु के रूप में टेलिफोन, टेलिग्राफ, वायरलेस सर्विस, काँच बनाने, पेंट वार्निश, कृत्रिम रबर, डायनेमो, रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक 'कौआ सोना' के नाम से लोकप्रिय है।

अभ्रक के प्रकार : अभ्रक में पाई जाने वाली रासायनिक सामग्री और रंगों के अनुसार इसे कई प्रकारों में विभाजित किया जाता है। मस्कोवाइट (श्वेत अभ्रक) बयोटेट (काला अभ्रक) प्लूगो वैट, (भूरा अभ्रक) आदि। भारत में अत्युत्तम स्तर का श्वेतअभ्रक व्यापक रूप में फैला है।

भारत में अभ्रक आंध्रप्रदेश के श्री पोट्टि रामुलु नेल्लूरु जिले, कृष्णा तथा पूर्व गोदावरी जिले, तेलंगाना के वारंगल जिले, झारखंड राज्य के धनबाद, पलमावु, गिरिधि, कोडरमा; बिहार के गया, मुंगेर, बागलपुर, नवाड़ा जिले; राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा,

जयपुर: केरल के तिरुवनंतपुरम; तमिलनाडू के सेलम; मध्य प्रदेश के जिंदवाड़ा, बस्तार और बालाघाट में वितरित हैं। पिछले वर्षों में, भारत भारी मात्रा में उत्पादन और निर्यात करता था। आज अभ्रक की बदली वस्तुएँ उपलब्ध हैं इसलिए निर्यात कम है।

5. सोना अयस्क : सोना सबसे कीमती धातु है। दुनिया भर में प्राचीन काल से इसका उच्चतम मूल्य है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में और अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारित करने में सोने का उपयोग एक निर्णायक माध्यम के रूप में किया जाता है। भारत में सोने का भंडार बहुत कम है। कर्नाटक के कोलार, रायचूर, हट्टी भंडार, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, बिहार, केरल, तमिलनाडू, में पाया जाता है। इनके अलावा गदग के निकट कप्पतगुड्डा में कंकड़-पत्थर के धागों के रूप में पाया जाता है। वर्तमान कर्नाटक में हट्टी स्वर्ण निक्षेप देश में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक निक्षेप (खान) है।

शक्ति संसाधन (Energy Resources) :

ऊर्जा संसाधन देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा को पारंपरिक और पुराने ऊर्जा संसाधनों (Conventional) में उद्धृत किया जा सकता है। अंतहीन ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन और पनबिजली सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

कोयला (Coal) : भारत में उत्पादन होने वाले तथा उपभोग करनेवाले शक्ति संसाधनों में कोयला सबसे प्रमुख है। भारत दुनिया में कोयले का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व इस भूमि घने जंगल से भरी थी, वे कालानुसार पृथ्वी के क्षितिज में दबकर गर्मी और दबाव में कोयल के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। कोयला सिर्फ एक ऊर्जा खनिज नहीं है, इसका उपयोग कीटनाशक, विस्फोटक, कृत्रिम फाइबर, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक आदि के निर्माण में किया जाता है। कोयला एक बहुउपयोगी खनिज शक्ति संसाधक है अतः इसे काला वज्र (Black diamond) कहा जाता है।

ज्ञात रहे :

कोयले में कार्बन की मात्रा और इससे मिलने वाले तापमान के आधार पर चार प्रकारों में विभाजित किया जाता है।

- 1) अंत्रसैट 2) बिटुमिनस,
- 3) लिग्नेट 4) पीट

भारत में कोयले के भंडार दामोदर नदी घाटी में व्यापक रूप से वितरित है। झारखंड और छत्तीसगढ़ सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं। झरिया, बोकारो, गिरिधि और

करनपुर मुख्य क्षेत्र हैं। इनके अलावा गोदावरी, महानदी और वार्धा नदियों की घाटी में भी जमा हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। देश में कोयले की मांग अधिक है, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का आयात करता है।

पेट्रोलियम (Petrolieum) : पेट्रोलियम को विज्ञानियों ने प्राचीन काल में जीवों के जीवाश्म माना है। पृथ्वी-आधारित पेट्रोलियम विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से बना होता है जिन्हें कच्चे तेल (Crude Oil) के रूप में जाना जाता है। इसे रिफाइनरियों में शुद्ध करा। गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल आदि प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम न केवल एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। कई उद्योग कच्चे माल के रूप में इस पर निर्भर हैं। कृषि, उद्योग, और परिवहन क्षेत्रों में पेट्रोलियम, एक मूल्यवान ऊर्जा संसाधन है। यह शांति और युद्ध दोनों समय में अमूल्य है। इसलिए इसे 'लिक्विड गोल्ड' कहा जाता है।

भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले असम के 'दिग्बाय' में हुई थी। आजादी तक यह एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। आज लखीमपुर हुग़्रिजन, मोरान, नहरकटिया और अन्य कुओं से तेल का उत्पादन होता है।

गुजरात राज्य कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला एक अन्य क्षेत्र है। पहला तेल कुंआं अंकलेश्वर में खोदा गया था। 1974 में अरब सागर में मुंबई से 110 कि.मी. दूर सुदूर 'बॉम्बे हाई' में तेल खोज करके 1976 में तेल उत्पादन शुरू किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा तेल भंडार है। हाल ही में, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी के मुहाने में तेल के भंडार की खोज की गई है। अब कुल 19 तेल रिफाइनरियाँ हैं जिससे कच्चा तेल प्राप्त किया जा रहा है। भारत में उत्पादन कम है और ईरान, इराक, सऊदी अरब और रूस से कच्चे तेल का आयात किया जा रहा है।

परमाणु खनिज (Atomic Minerals) :

भारत प्रचुर मात्रा में परमाणु खनिजों वाला देश है। परमाणु ऊर्जा परमाणु खनिजों से उत्पन्न होती है। किसी देश की स्थिति और शक्ति को प्रदर्शित करने में परमाणु शक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमाणु शक्ति का उपयोग केवल देश की रक्षा प्रणाली के लिए किया जाता था। आज इसका बिजली उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। भारत में पाए जाने वाले परमाणु क्षेत्रों में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और लिथियम सबसे महत्वपूर्ण हैं।

अ) यूरेनियम : झारखंड के सिंहभूम, विहार के गया और हजारीबाग जिलों उत्तर प्रदेश के सहारनपूर के जलोढ़ मिट्टी, केरल के तट पर वितरित हैं।

आ) थोरियम : यह केरल, बिहार, तमिलनाडू और राजस्थान में वितरित है।

इ) बेरिलियम : बेरिलियम आक्सैड को परमाणुविद्युत उत्पादन के रियाक्टरों में 'मॉडरेटर' कार्य में उपयोग किया जाता है। भारत में बेरिलियम का पर्याप्त भंडार है।

ई) लिथियम : यह एक हल्का धातु है जिसे लेपिडोलेट और फ्यूडोमिन अयस्कों से पाया जाता है। यह भारत के झारखंड और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित है।

नैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Non-conventional Energy Sources) : दुनिया भर में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग ग्रीन हाउस को प्रभावित कर रहा है, और पृथ्वी के वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि की संभावना है। इसे 'ग्लोबल वार्मिंग' के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास ने इन पारंपरिक ईंधनों की खपत में लगातार वृद्धि की है। इससे पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए, उनके उपयोग को सीमित करने के लिए ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का उपयोग करना आवश्यक है।

सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ज्वारीय ऊर्जा, भू-स्थानिक ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है।

1) सौर ऊर्जा (Solar Energy) : सूर्य की किरणों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा के उपयोग को 'सौर ऊर्जा' कहते हैं। यह एक अधूरा ऊर्जा संसाधन है जो सौर ऊर्जा को सीधे ऊष्मा में परिवर्तित कर सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग पहले से ही विभिन्न तरीकों से किया जा रहा है, जिसमें सोलर वाटर हीटर, कुकर, सोलर थर्मल, इलेक्ट्रिक लाइटिंग, रेलवे सिग्नल, पानी ऊपर लाने के लिए और संचार मीडिया शामिल हैं। भारत में पहला सौर ऊर्जा केंद्र राजस्थान के 'जैसलमेर जिले के नौख' में स्थापित करने के लिए योजना बनायी गयी है। हाल ही में कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

2) पवन ऊर्जा (Wind Energy) : भारत में पवन ऊर्जा वाणिज्यिक उद्देश के लिए उत्पादित किया जा रहा है। आने वाले दशकों में पवन ऊर्जा का उपयोग करने की संभावना है। भारत विश्व में पवन ऊर्जा का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक है। तमिलनाडू,



महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा की आवश्यकता (Need for non-conventional Energy) : भारत में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों में से पारंपरिक संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्पादन कम होता है और इन्हें विदेशों से आयात करने की आवश्यकता होती है। इसका असर राष्ट्रीय आय पर पड़ता है।

इसलिए, पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग अनिवार्य है। असंप्रदायिक संसाधनों की खोज और उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है।

भारत में ऊर्जा संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए कई उपाय करना आवश्यक और अनिवार्य है।

- 1) गैर-संप्रदायिक ऊर्जा संसाधनों का अधिक उपयोग करना ।

- 2) जलविद्युत पर ज़ोर देना।
- 3) अन्य स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना।
- 4) गैर-संप्रदायिक ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- 5) ऊर्जा संसाधनों को कम उपयोग करने की शिक्षा देना ।
- 6) बेकार पदार्थों का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करना ।

अभ्यास:

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. भारत में _____ और _____ राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क जमा है।
2. भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाली खान _____ है ।
3. अभ्रक को कन्नड में _____ सोना कहा जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूहों में चर्चा करके लिखिए :

4. भारत में कौन-कौन से खनिज संसाधन उपलब्ध हैं?
5. भारत में मैंगनीस उत्पादन करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं?
6. भारत में उत्पादित होने वाले लौह अयस्क के प्रकार बताइए।
7. भारत के प्रमुख ऊर्जा संसाधन क्या हैं? समझाइए।
8. गैर-संप्रदायिक ऊर्जा संसाधन क्या हैं? उनके महत्व स्पष्ट कीजिए।
9. ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए अपने स्वयं के सुझाव दीजिए।

III. गतिविधियाँ :

- 1) भारत के मानचित्र में खनिजों का वितरण चिह्नित कर नामांकित कीजिए ।



अध्याय - 27

भारत के यातायात साधन एवं संपर्क साधन



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को जानते हैं :

- भारत में यातायात साधन का महत्व।
- सड़क यातायात साधन के प्रकार - प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग।
- सड़क यातायात साधनों की समस्याएँ।
- रेल यातायात, वायु यातायात और जल यातायात के बारे में जानना।
- समूह माध्यम के बारे में जानना।
- संपर्क के प्रकार, संपर्क का महत्व।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली और जी.पी.एस दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी।

वस्तुओं, सेवाओं, सूचना और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ही 'यातायात साधन' है। माल और सेवाओं को उत्पादित क्षेत्रों से जहाँ माँग है उन क्षेत्रों को आपूर्ति करना है। यातायात साधन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक क्षेत्रों से आवश्यक क्षेत्रों में भेजकर उपयोग के लिए सहायक होना है।

आर्थिक विकास में यातायात की भूमिका महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, खनन, वन -उद्योग, मत्स्य पालन, दुग्धोद्य आदि यातायात साधन बाजारों से जुड़े हुए हैं। इससे इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यातायात का विकास भी आवश्यक है।

आपको ज्ञात रहे :

कृषि और औद्योगिक एक राष्ट्र के शरीर और रीढ़ हैं, तो यातायात उसकी नसें हैं। शरीर के रक्त की नलिकाओं की तरह यह कार्य निर्वाह करती हैं।

यातायात के प्रकार: यातायात मुख्य रूप से

- चार प्रकार के होते हैं : 1) सड़क यातायात 2) रेल यातायात
3) हवाई यातायात 4) जल यातायात

1) सड़क यातायात (Road transport) :

भारत में प्राचीन काल से ही सड़क निर्माण हुआ है। प्राचीन भारत में अनेक राजाओं ने सड़क निर्माण के लिए बहुत प्राधान्य दिया है। अंग्रेजों के काल में सड़कों सबसे अधिक रक्षणा व्यवस्था के लिए निर्माण किया गया था।

भारत में सड़कों के महत्त्व (National Highways):

राष्ट्रीय राजमार्ग देश की अत्यंत प्रमुख रास्ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-राष्ट्रीय राजमार्ग देश में चारों ओर निर्मित मुख्य सड़कें हैं। राज्यों की राजधानी, प्रधान बंदरगाह तथा उद्योगी नगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है। इनका निर्माण तथा निर्वाह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा निर्वाह के लिए भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (NHAI - National Highways Authority of India) की स्थापना 1988 में की गयी है यह संस्था सन 1995 से कार्यरत है।

भारत में लगभग 1,45,240 कि.मी.लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का अत्यंत लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह 3745 कि.मी.लंबा है और जम्मू तथा कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है। भारत की सीमा सड़क प्राधिकार (BRO-Border Roads Organisation)विश्व का अत्यंत उंचे सड़क मार्ग (Motorable Road) को लद्दाख के उम्लिंग्ला घाटी में निर्मित है। यह समुद्र की सतह से 19024 फीट की ऊँचाई पर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभिवृद्धि योजना (NHDP- National Highway Development Project) :

भारत में चारों ओर फैले लगभग 13150 कि.मी. लंबे चार अथवा छह पथों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतुकेंद्र सरकार द्वारा लागू योजना ही राष्ट्रीय राजमार्ग अभिवृद्धि योजना है। यह योजना स्वतंत्र भारत की अत्यंत बड़ी तथा महत्वाकांक्षा के मूलभूत सुविधाओं वाली योजना है।

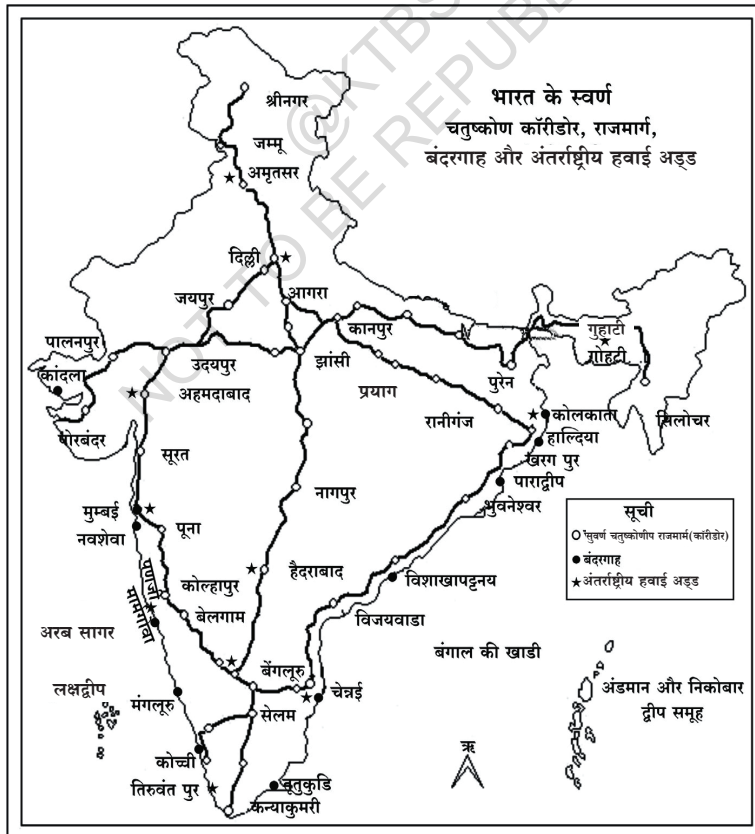
5846 कि.मी.लंबी चतुष्कोण तथा 7300कि.मी.लंबी उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व- पश्चिम कारीडोर राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की अभिवृद्धि योजना का हिस्सा है।

1. सुवर्ण चतुष्कोण राजमार्ग : (Golden Quadrilateral and Corridor Project): भारत के चार प्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नै तथा कलकत्ता को चार या छह पथों वाले राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जोड़नेवाला राजमार्ग ही सुवर्ण चतुष्कोण राजमार्ग है।

2. उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारीडोर राजमार्ग (Corridor Highways)
-उत्तर-दक्षिण कारीडोर राजमार्ग-उत्तर में श्रीनगर से (जम्मू-कश्मीर) दक्षिण में कन्या कुमारी (तमिलनाडु) को जोड़ता है।

पूर्व-पश्चिम कारीडोर राजमार्ग- पश्चिम में पोरबंदर (गुजरात) से पूर्व में सिल्चर (असम) को जोड़ता है।

सुवर्ण चतुष्कोण तथा कारीडोर राजमार्ग वाले राष्ट्रीय राजमार्ग आर्थिक रूप से ही नहीं राजनैतिक रूप से भी अत्यंत महत्व रखते हैं। माल(व्यापारिक वस्तुएँ) को अत्यंत कम समय में देश के एक स्थान से दूसरे स्थान को बड़े कम खर्च(व्यय) में पहुँचाने हेतु उपयुक्त है। यह भारत को भावनात्मक रूप से जोड़कर राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



सड़क यातायात साधन में बाधाएँ :

- 1) कई ग्रामीण और जिला सड़कें बरसात के मौसम में वाहनों के यातायात के लिए 'कभी-कभी बेकार' हो जाती हैं।
- 2) सड़क यातायात भी पर्यावरण प्रदूषण, वाहनों के जमघट और दुर्घटनाओं का एक कारण है।
- 3) सड़कें हर साल बारिश, बाढ़ और तूफान से बिगड़ जाती हैं।
- 4) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण और निर्वाचन अपर्याप्त है।
- 5) सड़कों के किनारे आवश्यकताओं की कमी पूरे देश में देखी जा सकती है।

2) रेल यातायात- (Rail transport) :

लाइफ लाइन आफ द नेशन (राष्ट्र की तंत्र नाडी) नाम से ख्यात रेलवे अधिक लोगों तथा अधिक मात्रा में माल सेवा को एक समय में ले-जाने -ले आने का यातायात माध्यम है।

भारत में सर्वप्रथम रेल यातायात सेवा 1853 में अप्रैल 16 को महाराष्ट्र के मुंबई और थाणे के बीच प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे व्यवस्था आज एशिया की अत्यंत बड़ी तथा विश्व की चौथी अत्यंत बड़ी रेलवे व्यवस्था है। प्रशासनिक सुविधा हेतु भारत में रेलवे कार्यजाल को 18 रेलवे विभागों में विभक्त किया गया है।

रेल यातायात का महत्व :

1. आर्थिक विकास का साधन है।
2. यात्रियों तथा माल ले जाने-ले आने हेतु बहुत सुविधाजनक है।
3. कम खर्च(व्यय) में यात्रा का अवसरें
4. कृषि और बागवानीके उत्पादकों को शीघ्र पहुँचाने में सहायक।

3) जल यातायात- (Water transport) :

भारत प्राचीन काल से ही जल मार्ग उपयोग कर रहा है। भारत में प्राचीन काल से जलमार्ग है। भारत के तीनों समुद्री तरफ प्रदेश हैं। बंदरगाह भी है। कुछ बंदरगाहों का परिचय ऐसे हैं।

भारत के प्रमुख बंदरगाह:

कांदला : यह कच्छ की खाड़ी के सिरभाग पर है।

मुंबई : यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बंदरगाह पर बहुत दबाव है और इस बंदरगाह से परे परिष्कृत सुविधाओं के साथ नवशेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। हम मुंबई पोर्ट को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं।

मर्मगोवा : यह बंदरगाह गोवा के ज़वारी खाड़ी क्षेत्र में स्थित है।

नव मंगलूरू : कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का एक प्रमुख बंदरगाह है।

कोच्ची : यह केरल राज्य में स्थित है।

तुतुकुडि : तमिलनाडु राज्य में स्थित है।

चेन्नै : यह बंदरगाह कृतक बंदरगाह, और प्राचीन बंदरगाहों में एक है। यह भी तमिलनाडु राज्य में है।

विशाखपट्टणम : यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यह आंध्रप्रदेश में है।

पारा दीप : उड़ीसा में स्थित है , यह हाल ही में विकसित बंदरगाह है।

कोलकत्ता : यह पश्चिम बंगाल राज्य में एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह को 'भारत के चाय बंदरगाह' के रूप में जाना जाता है।

हाल्दिया : कोलकत्ता बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए बनाया गया कृतक बंदरगाह है। यह भी पश्चिम बंगाल राज्य में है।

4) वायु यातायात- (Air transport) :

वायु यातायात अत्यंत तेजी से यातायात का माध्यम होने के साथ आर्थिक विकास का प्रमुख साधन भी है । सुवर्ण चतुष्कोण ----- भारत के देशी और अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन को जोड़ता है ।

भारत के विमान पत्तन प्राधिकार: यह भारत में नागरिक विमानयान(यात्री विमान) को आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ देने तथा निर्वाह करने वाली संस्था है । यह 1995 में स्थापित हुई । इसका केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है । यह भारत में 24 अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन तथा 103 देशी विमान पत्तन अख का निर्वाह करता है ।

क्रम संख्या	विमान पत्तन का नाम	स्थान
1	इंदिरागांधी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	नई दिल्ली
2	छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	मुंबई
3	नेताजी सुभाषचमद्रबोस अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	कलकत्ता
4	चेन्नै अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	चेन्नै
5	केपेगौडा अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	बेंगलूरु(देवनहल्ली)
6	मंगलूरु अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	मंगलूरु
7	सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	अहमदाबाद
8	लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	गुवाहाटी
9	चौधरीचरण सिंह अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	लखनऊ
10	राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	हैदराबाद
11	मनोहर अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	मोपा(गोवा)
12	महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन	अयोध्या

परिवहन साधन

आजकल कई परिवहन माध्यम प्रयोग में हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से आसानी से परिवहन कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों तक पहुँचने का परिवहन माध्यम ही 'समूह मध्यम' है। पारंपरिक समाचार पत्र, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी संशोधन का परिवहन जाल जो भारत में व्यापक रूप से वितरित हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।

परिवहन के प्रकार :

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का विकास आज कई समूह माध्यम के लिए प्रमुख बन गया है। पारंपरिक डाक और समाचार पत्र के साथ रेडियो, दूरदर्शन, कृत्रिम उपग्रह, कंप्यूटर जाल, अंतरजाल, ई-मेल, मोबाइल फोन आज संचार के मुख्य प्रकार हैं।

परिवहन का महत्व:

- संचार माध्यमों के लिए देश के लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों की घटनाओं के बारे में जानने के लिए आवश्यक है।
- सरकार के नीति नियमों को स्पष्ट कराके उसके बारे में सूचित कराना है।
- लोगों को कृषि और उद्योग का ज्ञान देने से विकास की प्रक्रिया तेज होती है।
- व्यापार के विकास के लिए संचार माध्यम मूल आवश्यक हैं।
- देश की एकता, एकता और स्थिरता को सुगम बनाना।

1) भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS-Geographical Information System) :

पृथ्वी के बाहरी सतह पर आँकड़े अथवा जानकारी हासिल करने का, संग्रह करने का, जरूरत लगने पर उपयोग करने का, संशोधित करने और दिखाने के लिए शक्तिशाली उपकरण के समूह को भौगोलिक सूचना (जी.आई.एस) प्रणाली कहा जाता है। 1960 के दशक में केनाडा में शुरू हुआ, आज इसका उपयोग दुनिया भर में है।

भूमि पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से युक्त है। इनमें जिले, भू-आकृतियाँ, नदी प्रणाली, आवास बँटन, भू-स्वरूप, भू-उपयोग, मिट्टी-फसल बँटना इत्यादि एक साथ रखकर उनके संबंधों को विश्लेषण किया जा सकता है। इस तरह “जी.आई.एस कंप्यूटर आधारित भू-सतह की विविधताओं के आँकड़ों को. संस्करण और विश्लेषण करने की एक व्यवस्था” है।

उपयोग:

- जी.आई.एस तकनीकी आधारित मानचित्र बहुत आकर्षक तथा जानकारी स्पष्ट रूप से देता है।
- विभिन्न रूप के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भू-सतह की जानकारी को सुलभता से विश्लेषण किया जा सकता है तथा उसके नमूना रचित किया जा सकता है।
- प्राकृतिक संपदा के निर्वाह में और मौसम की जानकारी देने में जी.आई.एस तकनीक का महत्व बहुत दिखता है।
- यह कंप्यूटर आधारित विश्लेषण है। मानचित्रों को शीघ्रता से, आवश्यकता के अनुसार मानचित्र शास्त्रज्ञों की सहायता के बिना प्राप्त कर सकते हैं और मानचित्रों में रूपांतरित कर सकता है।

प्रस्तुत सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भौगोलिक सूचना प्रणाली और मानचित्र निर्माण तकनीकी में एप्पल, आर्का इन फो, ऑटोकैड, मैप इन फो, ऑक् व्यू, आदि प्रमुख हैं।

2. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS):

इसका मुख्य कार्य भू-सतह पर किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु या व्यक्ति के स्थान को देशांतर और रेखांश द्वारा सटीक रूप से सूचित करना तथा उस वस्तु के स्थान की ऊँचाई को भी सूचित करना है।

चर्चा करें:

मोबाइल आज अनिवार्य है। कैसे?

यह प्रणाली का उपयोग अत्यधिक किया जाता है। कई क्षेत्रों में लाभकारी रूप से तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। जी.पी.एस तकनीकी कृत्रिम उपग्रहों भेजने वाले जानकारी और भू-सतह में किसी भी व्यक्ति के पास रिसीवर से कार्य निर्वाह करते हैं।

कार्य क्षमता:

जी.पी.एस व्यवस्था में बीस से अधिक कृत्रिम उपग्रह व्यवस्था शामिल हैं। जो संयुक्त राज्य द्वारा संचालित हैं। ये उपग्रह पृथ्वी को लगातार चक्कर लगा रहे हैं। प्रत्येक उपग्रह में शक्तिशाली कैमरा और एक सौर-संचालित सटीक परमाणु, घड़ी और (डेटा ट्रांसमिशन) एंटीना होते हैं। उनके द्वारा प्रेषित जानकारी पृथ्वी में किसी भी व्यक्ति अपनी पास में प्राप्त रिसीवर से प्राप्त करके विश्लेषण करता है, जो व्यक्ति की स्थिति और व्यक्ति के स्थान की ऊँचाई को सूचित करता है। उपग्रहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह गणना करना संभव है कि उपग्रह उस वस्तु से कितनी दूर हैं, और अक्षांश और देशांतर द्वारा वस्तु की स्थिति का निर्धारण करना संभव है। इसलिए जी.पी.एस व्यवस्था को 'मार्गसूची' अथवा पथ फाइंडर (Path Finder) भी कहा जाता है। आज जी.पी.एस व्यवस्था रक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने अपने क्षेत्रीय जी.पी.एस व्यवस्था के लिए सात उपग्रहों को लॉन्च किया है। भारत के क्षेत्रीय और स्वतंत्र जी.पी.एस व्यवस्था का नाम 'नाविक' है। भारत के प्रादेशिक तथा स्वतंत्र जी.पी.एस व्यवस्था को नाविक (NAVIC - Navigation with Indian Constellation) कहा जाता है।

उपयोग:

- प्राकृतिक आपदाओं की स्पष्ट भौगोलिक स्थिति को पहचानने और हल करने के लिए ये उपयोगी हैं।
- वन और पर्वत यात्रियों के लिए सहायक हो सकते हैं।

- सैनिक, एरियलिस्ट, मछुआरे और नाविक ठीक रास्ता अनुकरण करने के लिए जी.पी.एस व्यवस्था आवश्यक जानकारी देते हैं। आज यातायात साधन प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- शहरों में 'घर की दरवाजों की सेवा' देने का बहुत संस्थाओं के लिए आज जी.पी.एस व्यवस्था ही जीवन है।
- गूगल मैप्स जैसी व्यवस्थाएँ जी.पी.एस व्यवस्था को इस्तेमाल रास्ता दिखाने की व्यवस्था को इस्तेमाल करके रास्ता दिखाता हैं।

3. दूरसंवेदी तकनीकी (Remote Sensing Technology) : भू-सतह से संबंधित आँकड़ों के संग्रह में आज उपयोग में आने वाली सबसे उन्नत तकनीकों में 'दूरसंवेदी' प्रमुख है। वस्तुओं को भौतिक रूप से छुए बिना दूर से ही उनसे संबंधित जानकारी संग्रह ही 'दूरसंवेदी' कहा जाता है। वैमानिक चित्रों और उपग्रह से लिया गया चित्र दूरसंवेदी चित्र है।

उपयोग:

- ये चित्र से उस काल की अवधि के वास्तविक और विश्वसनीय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होती है।
- यह भू-सतह सर्वेक्षण की तुलना में शीघ्रता से कम समय में तथा कम खर्च में जानकारी संग्रह करने का तरीका है।
- इससे प्राप्त जानकारी को आसानी से कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है।
- भले ही मौसम खराब हो और भू-सतह पर बाधाओं के बावजूद भी दूरसंवेदी चित्रों को उपग्रहों से प्राप्त कर सकते हैं।
- तूफान, बाढ़ और अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव का प्रदेश और उनकी आपदाओं की तीव्रता के अध्ययन के लिए दूरसंवेदी चित्रों से बहुत उपयोगी हैं।
- उपग्रहों के चित्र, भूमि उपयोग, वन क्षेत्र, जलराशी, आवासीय क्षेत्र, फसल वितरण, भूमि अपरदन, खनिज निक्षेप। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के विश्लेषण में यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अभ्यास

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए :

- 1) बेंगलूर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम _____ ।
- 2) गाँवों और कृषि के विकास के लिए _____ आवश्यक ।
- 3) भारत का प्रवेश द्वार _____ बंदरगाह को कहा जाता है ।
- 4) भारत में जूचहदफ बंदरगाह _____ स्थान में है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूहों में चर्चा करके लिखिए :

5. भारत में सड़कों का महत्व समझाइए ।
6. भारत में सड़क यातायात के प्रकार बताइए ।
7. सुवर्ण चतुष्पथ परिवहन माध्यम क्या है?
8. भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची बनाइए ।
9. भारत के सड़क यातायात में आने वाली बाधाओं की सूची बनाइए ।
10. संपर्क साधन (माध्यम) से क्या तात्पर्य है ? संपर्क माध्यम कौन-कौन से हैं ?
11. संपर्क का महत्व समझाइए ।
12. जी आइ एस जी पी एस से भिन्न है । कैसे ?
13. दूर संवेदी तकनीकी के बारे में लिखिए ।

III. गतिविधियाँ :

- 1) भारत में पाए जाने वाले सुवर्ण कॉरीडोर और राष्ट्रीय राजमार्ग को मानचित्र में पहचानिए और लिखिए।
- 2) भारत के कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण के चित्र संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना:

- 1) अपने क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था के बारे में मित्रों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए।
- 2) गाँव की सड़को की दशा-दिशा के निर्वहन की आवश्यकता के बारे में चर्चा कीजिए।
- 3) देश के आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका के बारे में चर्चा कीजिए।
- 4) इसरो संस्था के कार्य गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए ।

अध्याय 28

भारत के प्रमुख उद्योग



इस अध्याय में निम्नलिखित अंश जानते हैं:

- भारतीय उद्योगों का महत्व और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र।
- उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक।
- विभिन्न उद्योगों का परिचय
- ज्ञान आधारित उद्योग: सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत तकनीकी।

उद्योग मानव की आधुनिक आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को निर्धारित करने के लिए उस देश का औद्योगिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। उद्योग आधुनिक सभ्यता की पहचान हैं, जो हमें न केवल आवश्यकताएँ प्रदान करते हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। आम तौर पर कच्चे माल को अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित करना ही उद्योग कहलाता है।

जैसे : ईख (गन्ना) को चीनी के रूप में, लोहे को खनिज इस्पात में, कपास को वस्त्र में, पेड़ों की छाल गूदे को कागज रूप में परिवर्तित किया जाता है।

आपको ज्ञात रहे:

उद्योगों के प्रकार:

- 1) बड़े पैमाने के उद्योग।
- 2) मध्यम पैमाने के उद्योग।
- 3) लघु उद्योग।

कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- 1) कृषि आधारित उद्योग।
- 2) खनिज आधारित उद्योग।
- 3) वन आधारित उद्योग।
- 4) रासायनिक उद्योग।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Zones of India) :

भारत में स्वतंत्रता के बाद की सभी पाँच वर्षों की परियोजनाओं में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। पिछले पाँच दशकों में भारत ने उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रगति की है, वह महत्वपूर्ण है। उद्योग देश की समग्र राष्ट्रीय आय का 35 प्रतिशत आपूर्ति कर रहे हैं, और देश के कुल श्रमिकों को 16 प्रतिशत रोजगार देते हैं। भारत में उद्योग, आय और रोजगार के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है।

देश के कुछ भागों में, उद्योग अत्यधिक केंद्रित हैं। इन्हें 'औद्योगिक क्षेत्र' कहा जाता है। भारत में 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं:

- 1) हुगली क्षेत्र 2) मुंबई-पूना क्षेत्र 3) अहमदाबाद-वडोदरा क्षेत्र
- 4) दामोदर घाटी क्षेत्र 5) दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र 6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
- 7) विशाखापट्टणम्-गुंटूर क्षेत्र 8) कोल्लम-तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।

उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक :

उद्योग केवल सबसे अनुकूल स्थितियों में स्थित हैं। उनकी स्थिति कच्चे माल, ऊर्जा संसाधन, बाज़ार, यातायात, श्रम आपूर्ति और बंदरगाहों जैसे कई कारकों से प्रभावित होती है। उद्योग की स्थिति कम भूमि उपलब्धता, प्रौद्योगिकी और सरकारी नीति से भी प्रभावित होती है। उद्योग की स्थिति के कारक एक प्रकार के उद्योग से दूसरे में भिन्न होते हैं।

भारत के प्रमुख उद्योग:

लोहा और इस्पात उद्योग:

इसे मूल उद्योग कहते हैं। क्योंकि उद्योग कई अन्य उद्योगों जैसे मशीनरी, रेलवे, जहाज निर्माण, बिजली, सिंचाई, भवन, गृह निर्माण और कई अन्य के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करता है।

वितरण :

भारत में कुल 9 प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग हैं। देश में पहला इस्पात उद्योग 1870 में बंगाल आयरन कंपनी लिमिटेड द्वारा कुलटी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। बाद में 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने जमशेदपुर के पास एक स्टील प्लांट खोला और 1919 में बरनापुर, पश्चिम बंगाल में द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स उद्योग की स्थापना 1923 भद्रावती में मैसूर राज्य द्वारा की गई थी।

वर्तमान में भारत में लोहा और इस्पात के मुख्य उद्योग हैं:

- 1) टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री (टिस्को) जमशेदपुर (झारखंड)
- 2) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (IISCO), बरनापुर-पश्चिम बंगाल

- 3) विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी (VISCO), भद्रावती, कर्नाटक
- 4) बिलई आयरन एंड स्टील कंपनी, बिलाई, छत्तीसगढ़
- 5) आयरन एंड स्टील कंपनी, रुरीला उड़ीसा
- 6) आयरन एंड स्टील कंपनी, दुर्गापुर - पश्चिम बंगाल
- 7) आयरन एंड स्टील कंपनी, बोकारो- झारखंड
- 8) आयरन एंड स्टील कंपनी, सेलम- तमिलनाडू
- 9) आयरन एंड स्टील कंपनी, विशाखपट्टणम - आंध्र प्रदेश

हाल ही में, कई निजी कंपनियाँ स्टील कारखाने स्थापित कर रही हैं। भारत के पास स्टील के उत्पादन और निर्यात का अच्छा मौका है, जिससे निर्यात बढ़ रहा है।

2) सूती वस्त्र उद्योग :

विविध प्रकार के सूती वस्त्र बनाने को 'कपड़ा उद्योग' के रूप में जाना जाता है। कपड़ा उद्योग में 'सूती वस्त्र उद्योग', 'जूट उद्योग', 'रेशम उद्योग', 'ऊन उद्योग' और सिंथेटिक फाइबर का निर्माण शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास अन्य उद्योगों की तुलना में लंबा है। देश में कपास मिलों की स्थापना सबसे पहले 1854 में मुंबई और बारूच में हुई थी। 1951 में देश में कुल 378 सूती वस्त्र उद्योग थे, और 2008 में यह संख्या बढ़कर 1773 हो गई। ये देश के 175 नगर और शहरों में फैले हुए हैं।

वितरण :

महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे भारत का 'मैनचेस्टर' (इंग्लैंड में सबसे महत्वपूर्ण सूती कपड़ा औद्योगिक केंद्र) या भारत का 'कॉटनोपोलिस' के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र नागपुर, सोलापुर, पश्चिम बंगाल, कोलकत्ता, उत्तर प्रदेश का कानपुर, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात का सूरत, तमिलुनाडू का कोयिमटूर, सेलम, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलोर और दावणगेरे प्रमुख सूती कपड़े औद्योगिक केंद्र हैं।

3) चीनी उद्योग :

भारत चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्राचीन काल से ही चीनी तैयार करने की कला भारतीयों को ज्ञात थी। यह उद्योग गन्ना उत्पादक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत के अधिकांश चीनी उद्योग गंगा नदी के मैदानी प्रदेश में स्थापित हुए हैं। इस उद्योग स्थित प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, उत्तर

प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। भारत में कुल 516 चीनी उद्योग हैं, जो लगभग 263.6 लाख टन चीनी का उत्पादन करते हैं। भारत से चीनी यू.एस.ए. ब्रिटेन, ईरान, कनाडा, मलेशिया देशों को निर्यात किया जाता है।

आपको पता रहे

चीनी अंग्रेजी 'शुगर' शब्द से आया है। इसका मूल संस्कृत का 'शर्कर' है। यही कन्नड में 'सक्करे' हुआ।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला को भारत के जावा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक चीनी उद्योग हैं।

4) एल्यूमीनियम उद्योग:

एल्युमीनियम की खोज 1886 में हुई थी। एल्युमीनियम भारत में सबसे महत्वपूर्ण अलौहे की धातुओं में से एक है। एल्युमीनियम उद्योग देश में कुछ ही स्थानों पर स्थापित होते हैं। यह उद्योग तीन प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। बिजली की उपलब्धता, बाक्सैट की आपूर्ति, अन्य धातु और पूंजी आपूर्ति, ये उद्योग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं।

5) कागज उद्योग:

भारत में पहला कागज कारखाना 1840 में सेरामपुर, पश्चिम बंगाल में हूगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बाद में 1867 में कोलकाता के पास बाल्टी शहर में एक और कारखाना खोला गया। जंगल से बांस, लकड़ी का गूदा, घास, कागज बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल। देश के अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल में पाये जाते हैं। इसके अलावा मुंबई, पूना, चंदवारा, अमरावती, नागपुर, नासिक, कराड़ा, आंध्र प्रदेश की राजमंड्री, रायगढ़, तिरुपति, उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी, गाज़ियाबाद, लखनऊ, प्रमुख हैं। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कई कारखाने स्थापित हैं। देश में कुल 568 कागज उद्योग हैं। समाचार पत्र का पेपर नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा और अमेरिका संयुक्त संस्थान से आयात किया जाता है।



6) ज्ञान आधारित उद्योग (Knowledge Based Industry) :

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। जिसे 'ज्ञान आधारित उद्योग' के रूप में जाना जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह मानव ज्ञान का आधार है बुलाया। इसका देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जीवन शैली पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। इसकी विकास दर अन्य सभी उद्योगों से आगे है।

(a) सूचना प्रौद्योगिकी (IT-Information Technology) :

सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1991 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STP) की स्थापना की। आज, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और आंध्र प्रदेश राज्य ने उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। इन

गतिविधि:

आपके विद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, जानिए।

राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्रों और विश्वविद्यालयों का विकास किया है। साफ्टवेयर मुख्य नियति वस्तु है। ने विदेशी मुद्रा आय की सुविधा प्रदान की है। बेंगलूर सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख केंद्र है और इसे 'सिलिकॉन सिटी' के रूप में जाना जाता है।

(b) जैविक तंत्रज्ञान (BT-Biotechnology) :

भारत सरकार ने 1980 में बायोटेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक अलग संगठन बनाया। इससे कृषि में एक बड़ी क्रांति हुई।

सोयाबीन, मक्का, कपास, आदि जैसे यौगिकों को पौधे और पशु उत्पादों में प्रत्यारोपण द्वारा नए बीज, दवा, उर्वरक और जैविक उर्वरकों के उपयोग के साथ विकसित किया गया है। हाल ही में, पादप जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, जैविक विविधता, चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया गया है। भारत में कई राज्यों ने जैव प्रौद्योगिकी विकसित की है। इनमें उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक प्रमुख हैं।

(c) उन्नत प्रौद्योगिकी (AT - Advanced Techonolgy) :

उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से टेलीफोन, इंटरनेट संपर्क रक्षा विभाग से संबंधित परमाणु बम बनाना, उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्रमा पर पदार्पण, सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी ई गवर्नेन्स (जैसे : नेम्मदी, आधार, जन्मपन्दन, सकाल आदि) शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार संभव हुआ है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के (AI-Artificial Intelligence) उपयोग से उन्नत प्रौद्योगिकी ने नया चरण पाया है।

इसरो- भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संस्था- (ISRO-Indian Space Research Organisation) -

अंतरिक्ष तकनीकी के उपयोग को भारतीयविकास तथा मानव जाति के लिए अनुकूलता को संभव बनाने वाली संस्था ही इसरो है । यह संस्था 1969 अगस्त 15 को अस्तित्व में आयी । इसका प्रमुख कार्यालय बेंगलूरु में है । डा. विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे ।

इसरो की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ-

1. भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह व्यवस्था (INS-T-indian N-TION-L satellite System).
2. प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला राष्ट्र है भारत ।इस उपलब्धि का मूल श्रेय इसरो को जाता है ।
3. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला प्रथम देश भारत है ।इस उपलब्धि का मूल श्रेय भीइसरो को जाता है ।

अभ्यास

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

- 1) बंगाल आयरन कंपनी पश्चिम बंगाल के _____ में स्थापित हुई।
- 2) विभिन्न प्रकार के फाइबर से बने कपड़ों को _____ कहा जाता है।
- 3) भारत का पहला कागज उद्योग _____ नदी के तट पर स्थापित है।
- 4) इसरो की स्थापना का वर्ष _____ है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा करें और उत्तर लिखें :

- 5) भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की सूची बनाइए।
- 6) लोहा और इस्पात उद्योग कहाँ-कहाँ स्थित हैं?
- 7) उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?
- 8) कागज बनाने में किन-किन कच्चे माल का उपयोग किया जाता है?
- 9) सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की व्याख्या कीजिए।
- 10) जैव प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र पर क्या असर पड़ा है?
- 11) उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्या परिवर्तन हुए हैं?
- 12) इसरो की प्रमुख उपलब्धियाँ कौन-कौन सी हैं?

III. 'अ' सूची के शहरों से 'ब' सूची के उद्योगों को मिलान कीजिए :

अ	ब
i) मुंबई	ए) 'सिलिकॉन सिटी'
ii) बेंगलूर	बी) चीनी उद्योग
iii) भद्रावती	सी) भारत का मैनचेस्टर
iv) बेलगाँव जिला	डी) विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी

IV. गतिविधियाँ :

- 1) भारत का मानचित्र लिखकर, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को पहचानिए।

V. परियोजना कार्य :

- 1) अपने आस-पास के किसी उद्योग का दौरा करें और वहाँ आपूर्ति होने वाले कच्चे माल के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए।

भारत की प्राकृतिक आपदाएँ



इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं:

- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे तूफान, तूफान के कारण, प्रभाव तथा सावधानियाँ।
- बाढ़, बाढ़ के कारण, वितरण के क्षेत्र, प्रभाव तथा नियंत्रण।
- भू-स्खलन, समुद्र तटीय कटाव, भूकंप।

प्राकृतिक आपदा (Natural Disasters) :

प्रकृति में घटित होने वाली अनेक घटनाएँ मानवतीत हैं। इन्हें रोकना, और सटीक भविष्यवाणी करना कि वे कहाँ, कब और कैसे घटित होते हैं, आज के वैज्ञानिक युग में भी असंभव है। प्राकृतिक रूप से घटित मानव जीवन, संपत्ति सहित और प्राकृतिक संसाधनों के नाश को कारण होनेवाली विनाशकारी घटनाओं को प्राकृतिक आपदाएँ कहते हैं। नैसर्गिक विकोप में घटनाओं में भूकंप, बाढ़, अकाल, तूफान, भूकंप, तटीय कटाव और हिमपात शामिल हैं।

चक्रवात (Cyclones) :

आवर्ती हवाएँ पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं की सबसे हानिकारक और विनाशकारी हैं। इन हवाओं को आमतौर पर तूफान कहा जाता है।

तूफान के कारण : बंगाल-खाड़ी में तूफान विकसित होते हैं। तीन तरफ भूमि है और भूमि के समुद्री भागों और कुछ हिस्सों के बीच तापमान और दबाव में तेज अंतर के कारण बंगाल-खाड़ी में चक्रवात का कारण है।

- आम तौर पर ये बंगाल उपमहाद्वीप में उत्पन्न होते हैं और पश्चिम की ओर तमिलनाडू या आंध्र प्रदेश के तट तक जाते हैं। कभी-कभी

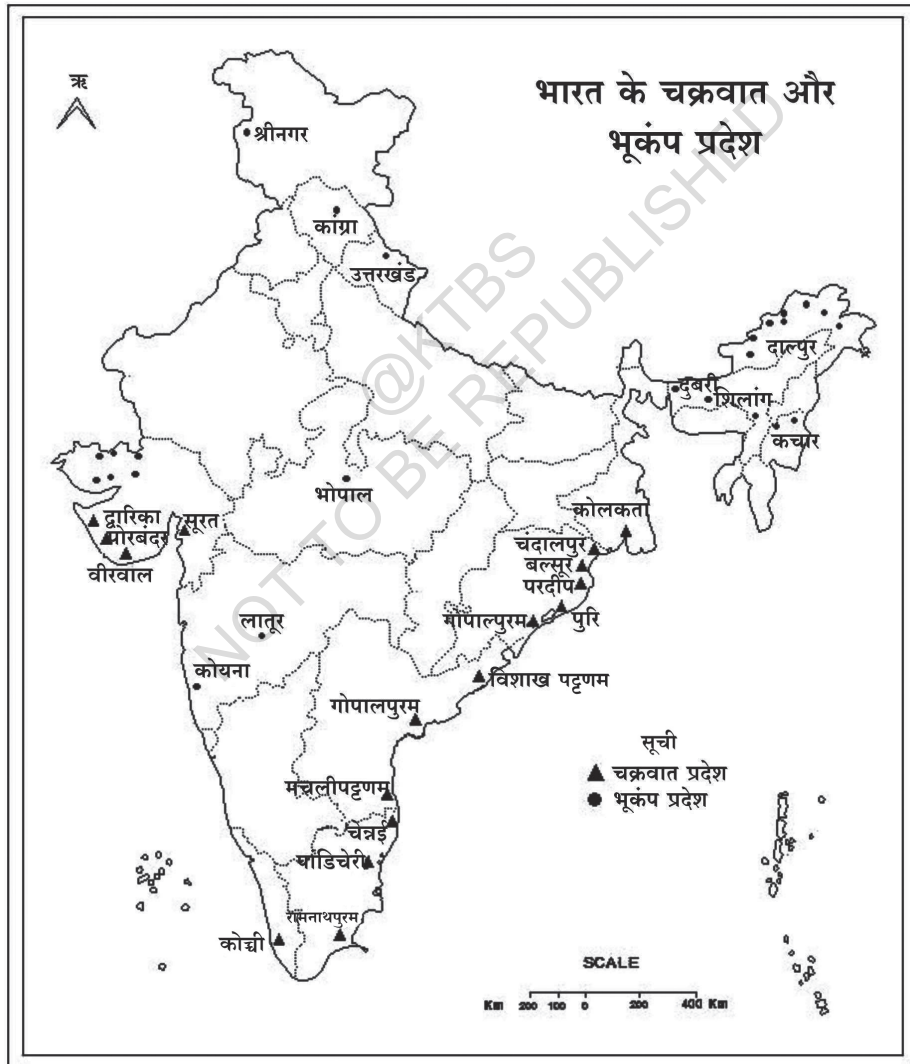
आपको ज्ञात रहे:

तूफानों को 2004 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार उत्तरी हिंद महासागर के तट होने के कारण बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यान्मार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड देश अपनी पसंदीद तूफान के नामों को भारतीय मौसम संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली को पहुँचाते हैं। आजकल के चक्रवात को पाकिस्तान द्वारा लैला कहा गया। बाद में श्रीलंका द्वारा बंडू, थाईलैंड द्वारा फेट, बांग्लादेश में गिरि और भारत में जल आदि नाम तूफानों को रखा गया।

उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए, वे ओडिशा के तटों से टकराते हैं। भारत में तूफान दो बार से अधिक बार आते हैं। ये ज्यादातर अक्टूबर-नवंबर के महीनों के दौरान होते हैं। मई-जून में भी होते हैं। उदा : गोनु 2007, नीलोफर 2014, निसर्ग 2020, तोक्ते 2021.

तूफान के परिणाम :

- कभी-कभी तूफान से प्रभावित लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है।
- ये भारी मौत और दर्द के कारण बनते हैं।



- समुद्री ज्वार खारे पानी को अंतर्देश में बहाते हैं।
- फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है।
- यातायात संपर्क, बिजली की सुविधा और जन जीवन में रुकावट लाती है।
- तूफान रुकने के बाद संक्रमण से भारी नुकसान हो सकता है।

सावधानी के उपाय:

- खतरनाक तराई क्षेत्रों से लोगों को निकालना।
- विद्युत मशीनरी, नौकाओं और हवाई जहाजों जैसी परिवहनों को तैयार रखना।
- तूफान क्षेत्र से रेल-बस मार्ग बदलना।
- जनसंचार माध्यमों द्वारा लगातार तूफानों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना।
- सेना के आवश्यक दलों को तैयार करना।
- बहुत सारे मीठे पानी, आहार और कपड़ों का भंडारण।
- दवा और अन्य चिकित्सा सहायता के लिए तैयार रखना।

2) बाढ़ (Floods) :

बाढ़ सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसका सामना भारत हर साल करता है। जब सबसे अधिक वर्षा और सबसे अधिक मात्रा में बर्फ पिघलती है, तो नदियों में पानी की मात्रा उनकी सीमा (पात्र) क्षमता से अधिक हो जाती है। इन्हें नदी धाराएँ कहते हैं। नदियों का पानी नदी के बजाय नदी के दोनों किनारों के निचले हिस्से को ढक लेता है। कभी-कभी एक स्थान पर मूसलाधार बारिश के कारण नदियाँ एक ही बार में उफान पर आ जाती हैं।

आपको ज्ञात रहे:

17 जुलाई 2013 को उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के बाढ़ से केदारनाथ में एक विनाशकारी आपदा आई।

बाढ़ के कारण (Causes for floods) :

- मानसूनी वर्षा अनिश्चित हैं, कभी-कभी भारी बारिश बाढ़ का कारण बनती है।

- नदी के तल में गाद भर जाने से बाढ़ आ जाती है।
- बाँध और अन्य तटबंधों से अचानक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है।
- नदियों की सीमा (पात्र) बदलने से भी बाढ़ आ सकती है।
- तूफान से भारी बारिश भी बाढ़ का कारण बन सकती है।
- समुद्र के बीच में आने वाले भूकंप भी बाढ़ का कारण बनते हैं।

उपरोक्त प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ मानविक कारण जैसे, वनों की कटाई, अनुचित पुल, बाँध तटबंधों, नदियों की सीमा (पात्र), अवैध भूमि उपयोग, परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र :

बाढ़ क्षेत्र पूरे देश में पाए जाते हैं।

- गंगा नदी की उपनदियाँ यमुना, गंडक, कोसी, घाघ्र नदियों और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बाढ़ लाती है।
- दामोदर और सुवर्ण रेखा नदियाँ छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ लाती है।
- ब्रह्मपुत्र और उसकी उप नदियाँ, दिहांग, दिबांग, सुबन सिरी और लुहित-असम घाटी, असम में बाढ़ आ गई हैं।
- हिमालय के पहाड़ों में लगातार मेघस्फोट तेजी से बाढ़ आती है।
- नर्मदा, तापती, साबरमती और माही नदियाँ गुजरात राज्य में वर्ष के कुछ निश्चित समय में बाढ़ लाती हैं।
- कर्नाटक में वर्षा ऋतु में कृष्णा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, दोणी नदी, बेण्णेहल्ला आदि में बाढ़ आ जाती है।

बाढ़ के परिणाम :

- बाढ़, लोगों की संपत्ति, घरों, जमीन और फसलों को नुकसान पहुँचाती है।
- दूर संचार, बिजली आपूर्ति, परिवहन, आदि सुविधाओं में बाधा लाती है।
- उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी मिट्टी बाढ़ से बह जाती है और कई पौधे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
- बाढ़ के प्रभाव से बीमारियाँ बढ़ सकती हैं।

बाढ़ नियंत्रण के उपाय :

- बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी किनारों पर तटबंधों का निर्माण करना।
- नदियों के लिए बाँध बनाकर, जलाशयों में पानी संग्रह करना।
- बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए केंद्र की स्थापना करना।
- घाटी क्षेत्रों में वनों का रोपण, जिससे मिट्टी के क्षरण को नियंत्रित करके, नदियों और जलाशयों में गाढ़ को रोककर बाढ़ को रोका जा सकते।

भूस्खलन (Land slide) :

भूस्खलन ऐसे भू-भाग होते हैं। जो पहाड़ों या पहाड़ियों की चोटी से खड़ी ढलान से नीचे की ओर खिसकते हैं। पहाड़ों से ढलमवाली सामग्री में पत्थर मिट्टी और जीवाश्म प्रमुख हैं। यदि भूस्खलन अधिक ढलाऊँ क्षेत्र में होते हैं तो वे अत्याधिक विनाशकारी हो सकते हैं। हिमालय प्रदेश में भूस्खलन के साथ हिमस्खलन और जनजीवन को नुकसान पहुँचाते हैं।

भूस्खलन के कारण:

- पानी और ज्वार, क्रमशः पहाड़ों और समुद्रों के ऊपर से बहते हुए, जिससे सतह घिस जाती है। जो ढलान का निर्माण करती है और भूस्खलन का कारण बनती है।
- जब खड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, रेल मार्ग और नहरों का निर्माण किया जाता तब ढलान और भी बहुत ढलाऊ बनाती हैं। जिससे भूस्खलन होता है।
- यदि मिट्टी की परत पर मिट्टी की एक ढीली परत होगी, तो ढलान खिसक जाएगी और भूमि ढह जाएगी।
- खनन क्षेत्र में भूस्खलन एक आम बात है। खदानों को गहरे अयस्क जमा करने के लिए गहराई तक खोदने के परिणामस्वरूप भूस्खलन होता है।
- जंगलों को काटने और खड़ी ढलान के नीचे गहरी जुताई करने से भूस्खलन होगा।

भूस्खलन के परिणाम :

- भूस्खलन के कारण कई छोटी नदियाँ बहने में बाधाएँ होती हैं।
- यातायात में व्यवधान होगा।
- खाई और कई वनस्पतियाँ भूमिगत हो जाती हैं।
- भूस्खलन से अनेक जीव हानि और संपत्ति को बहुत नुकसान होता है।

4) समुद्र कटाव (Coastal Erosion) :

समुद्र की लहरें लगातार तटों से टकराती हैं। इनसे तटीय क्षेत्रों में कटाव होने लगता है। इस प्रकार समुद्री लहरों की अविरत संघर्षण प्रक्रिया को आमतौर पर तटीय कटाव या 'समुद्र तटीय कटाव' कहा जाता है।

भारत में समुद्र तटीय कटाव, ज्वार की लहर के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं के अवधि और तूफान की अवधि में सबसे अधिक होता है। दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ शुरू में अरब सागर में उच्च ज्वार लहरें तट से टकराती हैं, और भू-प्रदेश को तबाह कर देती हैं। इससे पश्चिमी तटीय केरल, कर्नाटक और गोवा राज्यों में समुद्र का कटाव बढ़ा है। इसके अलावा तमिलुनाडू के कन्याकुमारी, महाराष्ट्र और गुजरात में भी समुद्र का कटाव दिखाई देता है। लेकिन पूर्वी तट पर समुद्र का कटाव बहुत कम है।

परिणाम :

- लहरों के कटाव से विशाल भू-प्रदेश समुद्र से आच्छादित होगी।
- घर और सड़क आदि डूबकर भारी नुकसान होंगे।

प्रबंधन :

- तटीय क्षेत्रों में रेत हटाने को नियंत्रित करना।
- किनारे पर एक अवरोध का निर्माण करना जहाँ तट के साथ लहरें प्रबल होती हैं।
- लहरों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए तट पर मोटी चट्टानों को ढेर करना।
- सबसे प्रभावी सूत्रीकरण है किनारे पर 'मैंग्रोव' वन विकसित करना।

5) भूकंप (Earthquakes) :

भूकंप पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा अप्रत्याशित रूप से भूमि की सतह पर होने वाले कंपना को 'भूकंप' कहा जाता है। जिससे भू-पटल काँपता या हिलता है।

भूकंप के कारण :

- 1) पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूपटल की गति।
- 2) स्थिरमंडल की सतह पर तरल रूप का मैग्म एक तरफ से दूसरी तरफ जाना।
- 3) शहरीकरण के कारण पृथ्वी पर दबाव अधिक होकर भूकंप की संभावना होती है।
- 4) वनों की कटाई, बाँधों के निर्माण और खनन के कारण भूकंप होता है।

भारत में इनका वितरण : सबसे ज्यादा भूकंप उत्तरी हिमालय, पूर्वी असम और पश्चिम में गुजरात में हुए हैं। कोयना और लातूर समेत दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

भूकंप के परिणाम :

- 1) लोगों की मृत्यु और संपत्ति की हानि।
- 2) यातायात संपर्क में कमी।
- 3) रोगों का फैलना।
- 4) समुद्र की लहरें किनारों को टकराना।
- 5) सुनामी।
- 6) नदी की दिशा में परिवर्तन।

भूकंप की सावधानी के उपाय :

- भूकंपीय संभावित क्षेत्रों में बहुमंजिला भवनों का निषेध।
- इन क्षेत्रों में इमारतों को हल्की सामग्री से निर्माण करना।
- इमारतों का निर्माण लचीली होनी चाहिए।

- भूकंप की स्थिति में लोगों को कैसे व्यवहार करना है, इस बारे में शिक्षित करना।
- भूकंपीय संभावित क्षेत्रों में त्वरित चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करना।

प्राकृतिक आपदाओं के समाधान :

तैयार भोजन, भोजन बाँटने, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, दवा बाँटना, अस्थायी आवास और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को तत्काल में पहुँचाने की व्यवस्था करना।

अभ्यास:

I. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा करें और उनके उत्तर लिखें :

- 1) प्राकृतिक आपदों का क्या तात्पर्य हैं?
- 2) तूफान के परिणाम क्या-क्या हैं?
- 3) बाढ़ किसे कहते हैं?
- 4) भूस्खलन किसे कहते हैं?
- 5) भूकंप किसे कहते हैं?
- 6) बाढ़ के कारणों और क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
- 7) समुद्र तटीय कटाव किसे कहते हैं? इसके प्रबंधन को सूचित कीजिए।
- 8) भूकंप के परिणाम क्या हैं? और सावधानी उपायों को सूची बनाइए।

II. गतिविधियाँ :

- 1) भारत में भूकंप, संभावित क्षेत्रों को मान चित्र द्वारा नामांकित कीजिए।
- 2) कक्षा में चर्चा करें कि तूफानों के नामकरण से क्या लाभ हैं।

III. परियोजना कार्य :

- 1) अपने शिक्षक की सहायता से उन क्षेत्रों की सूची बनाएँ, जिनकी पहचान भारत में बाढ़ संभावित क्षेत्रों के रूप में की गई है।

अर्थशास्त्र
अध्याय - 30
ग्रामीण विकास



इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को जानते हैं ।

- ग्रामीण विकास के अर्थ और महत्व ।
- ग्रामीण विकास और विकेंद्रीकरण ।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज व्यवस्था ।
- ग्रामीण विकास एवं महिला ।

भारत गाँवों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत 68.84 लोग गाँवों में रहते हैं । राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि “भारत का विकास गाँवों का विकास है।”

आजादी के बाद सरकार द्वारा अपनाये गये विकास तंत्र, शहरी केंद्रित विकास के लिए अवसर दिया गया है। यानी उद्योग में शहरों का विकास हुआ और शहरों का विस्तार हुआ। ग्रामीण उद्योगों का नाश हुआ और ग्रामीण लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने वाले उद्योग और सेवा क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में अधिकतर अवसर शहरी लोगों को हैं। आधुनिक जीवन शैली में शहर चमकने लगे हैं।

अकेले कृषि पर निर्भर रहने वाले ग्रामीण लोगों में गरीबी बढ़ी है। 1/3 लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। आधुनिकता के प्रभाव से घरेलू उद्योग ध्वस्त हो रहे हैं। यद्यपि लगभग 60 प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में इस क्षेत्र का योगदान नगण्य है और लगातार घट रहा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए, देश के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए देश को पहले ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है।

अर्थ और महत्व (Meaning and Importance) :

ग्रामीण विकास का अर्थ: ग्रामीण विकास का व्यापक अर्थव्याप्ति है। यह एक व्यापक विकास कार्यक्रम है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियों के विकास के साथ-साथ आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवहन, संपर्क आदि सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे के विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण जैसी विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत अभिवृद्धि कार्यक्रम है।

ग्रामीण विकास का आशय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी पिछड़े वर्गों जैसे कृषक, खेतिहर मजदूर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। संक्षेप में, स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थितियों के विकास को ग्रामीण विकास कहा जा सकता है।

ग्रामीण विकास का महत्व : भारत के आर्थिक विकास में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, बीमारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर ग्रामीण भारत को समृद्ध और अमीर बनाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण लोगों को, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ प्रदान करना और उनके ज्ञान, कौशल और कार्य कौशल में वृद्धि करना। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियाँ जैसे पशुधन, मत्स्य पालन, रेशम की खेती और मुर्गी पालन के साथ कृषि को विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे कृषि को एक लाभदायक और आकर्षक व्यवसाय बनाया जा सके। इससे ग्रामीण लोगों को शहरों की ओर निर्वासित होने से रोका जा सकेगा।

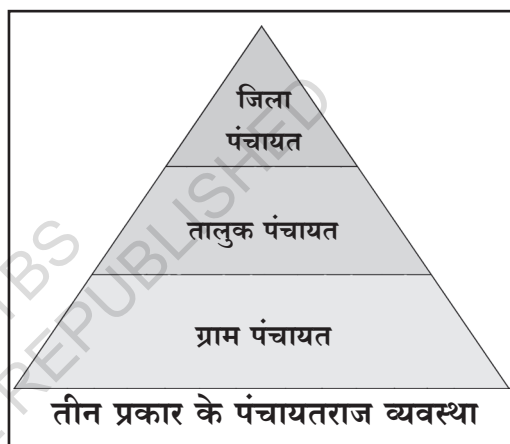
ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बिजली, सिंचाई, परिवहन, संपर्क बाजार- आदि बुनियादी सुविधाओं को ग्रामीण लोगों के लिए उपलब्ध कराके, ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ाना है। कृषि उत्पादों को कच्चे रूप में ही शहरों में ले जाने और बेचने के बजाय, उन्हें गाँवों में संसाधित, परिवर्तित और मूल्यवान कर बेचा जा सकता है। इस प्रकार गाँव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि और आय में वृद्धि, छोटे और गृहोद्योग का विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े और गरीब लोगों के लिए निरंतर रोजगार मिलने की व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है।

शहरों में लोगों को उपलब्ध सभी सुविधाएँ और अवसर, ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराए जाएँ और ग्रामीणों को विकास प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। विकास समान रूप से फायदे मंद होना चाहिए। इसे ग्रामीण विकास के माध्यम से हासिल करने की जरूरत है।

2. अधिकारों का विकेंद्रीकरण (De-Centralisation of Power)

प्रत्येक गाँव के, ग्राम प्रशासन के अधिकार और गाँव की जिम्मेदारी को लोगों को सौंपने के अधिकार को विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण से स्वावलंबन, स्वयंपूर्ण तथा समृद्ध ग्रामों का विकास कर सकते हैं। गांधीजी इसको 'ग्राम स्वराज्य' कहते थे। विकेंद्रीकरण सभी प्रकार के शोषण को रोकता है। मानव स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है और सहानुभूति और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है।



विकेंद्रीकरण को लागू कराने के लिए पंचायत राज व्यवस्था लागू कर दी गई है। भारत सरकार 1993 के संविधान के 73 वें परिष्करण के द्वारा देश भर में एक समान पंचायत राज संस्थाओं की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक स्थान-मान मिला। इस परिष्करण के अनुसार तीन स्तर की (Three tier system) पंचायत राज संस्था अस्तित्व में आयी। वे हैं ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत और जिला पंचायत, पंचायत संस्थाएँ लोकतंत्रीय के सिद्धांतों के तहत काम कर रही हैं।

3. ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका (Role of Panchayath Raj Institutions) :

ग्रामीण विकास में ग्रामीण लोगों को शामिल करने में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। जिससे गाँव समुदाय के लिए सड़क, जलनिकास, पीने का पानी, पथ दीप, शौचालय, स्कूल और अस्पताल भवन, बाजार जैसे बुनियादी ढाँचे का विकास कर सकेंगे।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से मानव संसाधन विकसित करने में भी पंचायतराज संस्था कार्य निर्वाह करनी चाहिए।

ग्रामीण उत्पादक गतिविधियाँ जैसे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और सामाजिक अरण्य-आदि सभी को विकास करने के द्वारा लोगों के लिए काम करने के अवसरों को बढ़ा सकते हैं। तालाबों के निर्माण, उनकी गाद हटाने और लघु सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव के माध्यम से कृषि सिंचाई का विस्तार किया जा सकता है। ग्रामीण और गृहोद्योग का विकास किया जा सकता है। खाद्य संस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं। पंचायत के द्वारा इनके विकास के लिए सम्मेलन विचार गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायम योजना’ (MGNREGA), ‘स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना’ (SGSY) आदि उद्योग निर्माण योजना तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं को पंचायत संस्थाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। यह ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में सहायक है। ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’, ‘अम्बेडकर-वाल्मीकि आवास योजना’ और ‘आश्रय योजना’ जैसी आवास योजनाओं को लागू करके बसव वसति योजना सभी आवासहीन लोगों को घर निर्माण कर सकते हैं। ‘सुवर्ण ग्रामोदय योजना’ के माध्यम से बुनियादी ढाँचे को मजबूत किया जा सकता है। गाँवों में राशन व्यवस्था को सुदृढ़ करना ताकि योग्य गरीब लोगों को पर्याप्त भोज्यवस्तुएँ समर्पक रूप में उपलब्ध करा सकते हैं।

ज्ञात रहें :

PURA

(PURA = Providing Urban Amenities in Rural Areas)

ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएँ प्रदान करना (PURA) देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किए गए एक उत्तम नमूने की परियोजना है। PURA नमूना ग्रामों को चार प्रकार के संपर्क से शामिल हैं। 1) भौतिक संपर्क में 15-25 गाँवों के एक समूह परस्परिक रास्ता संपर्क पायेगा। इस गाँवों के लिए वर्तुल रास्ता रहेगा। इसके साथ विद्युत संपर्क पाएगा। 2) ज्ञान संपर्क का मतलब है कि वर्तुल रास्ता हर 5-7 कि.मी. अंतर में एक स्कूल, एक उच्च शिक्षा केंद्र और एक अस्पताल की स्थापना करना। 3) इलेक्ट्रॉनिक संपर्क का मतलब है गाँवों को आधुनिक दूर संपर्क और सूचना तकनीकी सेवाओं को प्रदान करना। 4) आर्थिक संपर्क के लक्ष्य, गाँवों के समूह के अंदर उत्तम बाजार का निर्माण करना। यहाँ गाँवों के सभी उत्पादों को बेचना और रोज की वस्तुओं को खरीदने को अनुकूल होना चाहिए।

गांवों में बुजुर्गों, विकलांगों, विधवाओं, मानसिक रूप से बीमार लोगों की पहचान करना और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जानेवाली समाज कल्याण सेवाएँ प्रदान करना। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को संगठित करके, उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके, देश के विकास में महिलाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

ग्रामीण मेले, त्योहारों द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे ग्रामीण कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियाँ विकास होकर, ग्रामीण संस्कृति समृद्ध बनेगी।

पंचायत राज संस्थाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास, गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने, आत्मनिर्भरता और समृद्ध जीवन निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह देखा जा सकता है कि ग्रामीणाभिवृद्धि में पंचायत राज संस्थाओं ने उपरोक्त सभी कार्यों विकास के पथ पर चल रहे हैं।

4. विकास में महिलाएँ (Women in Development) :

मानव जीवन में, एक महिला माँ, पत्नी, बहु और बेटी के रूप में विभिन्न तरह के कर्तव्यों का पालन करती है। मानव जीवन नारी से निर्मित होता है। वह न केवल घर के अंदर, बल्कि घर के बाहर एक किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौकर, अधिकारी, उद्यमी, नीति निरूपक के रूप में और पुरुषों के बराबर काम करती है। इस प्रकार, देश के विकास में विशेषकर ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।

महिलाएँ अक्सर कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने, रेशम की खेती, बागवानी, फूलों की खेती और मुर्गी पालन के क्षेत्र में अधिक मात्रा में काम करती हैं। कृषि श्रमिकों में महिलाएँ भी ज्यादा हैं। शिक्षित महिलाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, कई तरह के रोजगार में सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। कार्यालयों, व्यापारी संस्थाएँ, शैक्षणिक संस्था, अस्पतालों और वृद्धाश्रमों में महिलाओं की सेवा असाधारण है। साथ ही एक शिक्षित महिला जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।



कृषि क्षेत्र में महिला



उद्योग क्षेत्र में महिला



पायलट के रूप में महिला

राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएँ अपनी पहचान बना रही हैं। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक, सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक नेता के रूप में कई जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने पर, आम ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिकार संभालने और गाँवों के विकास में काम करने का अवसर प्राप्त है। यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में कर्नाटक में पंचायत संस्थाओं के लिए चुने गए सदस्यों में आधे से अधिक महिलाएँ हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की सभी गाँवों पर 'महिला स्व-सहाय संघ' (महिला शक्ति संघ) की स्थापना की गई है। जो ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संस्था की सदस्या महिलाएँ इन संस्था द्वारा आसानी से कर्ज लेकर उत्पादक गतिविधियों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अत्यंत सफलतापूर्वक कार्य निर्वहण करनेवाली संस्थाएँ बचत और उधार वसूल में उत्तम योगदान कर रही हैं। गाँवों में शराब, जुआ-आदि बुरी आदत व्यापक रूप में बढ़ रही हैं। बाल विवाह, दहेज, अंधविश्वास, स्त्री और बाल शोषण जैसी सामाजिक विपत्तियाँ अभी भी जीवित हैं। महिलाओं के सामूहिक प्रयास के द्वारा इस तरह के बुराईयों को दूर किया जा सकता है। यह एक स्वच्छ और प्रगतिशील समाज के निर्माण में मदद कर सकता है।

महिलाएँ जो घर पर करनेवाले मजदूरी रहित काम को श्रम नहीं माना जाता है। घर के अंदर और बाहर काम में महिलाओं के कामकाज को मान्यता दी गयी है तो महिलाएँ पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक काम करती हैं। फिर भी उनका तीन-चौथाई काम मजदूरी रहित है, और इसे राष्ट्रीय आय नहीं माना जाता है। महिला श्रमिकों को समान वेतन तथा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर देश के आर्थिक विकास के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों की समान जिम्मेदारी है। मानो वे प्रगतिशील रथ के दो पहिये हों।

गतिविधि : आपके गाँव में रहे स्व सहाय संस्था को भेंट करके उसके कार्यों को जानिए।

अभ्यास:

I. निम्नलिखित वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. 'भारत का वास्तविक विकास गाँवों का विकास है' इस तरह कहनेवाले _____ है।
2. भारत में संविधान के 73 वें परिष्करण अधिनियम के अनुसार भारत में _____ स्तर के पंचायत अस्तित्व में आये।

3. पंचायत राज संस्थाएँ _____ सिद्धांतों के तहत काम करती हैं।
4. ग्रामीण गरीबों को संगठित करने और उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए _____ को अस्तित्व में लाया गया है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए :

5. ग्रामीण विकास को परिभाषित कीजिए।
6. अधिकार का विकेंद्रीकरण क्या है?
7. तीन स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के नाम लिखिए ।
8. किन्हीं दो आवास योजनाओं का उल्लेख करें ।
9. महिलाओं के किस काम को श्रम नहीं कहा जाता है और क्यों ?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच छः वाक्यों में दीजिए:

10. भारत में ग्रामीण आर्थिक स्थिति कैसी है ?
11. ग्रामीण विकास के महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
12. विकेंद्रीकरण के सन्दर्भ में गांधी जी के ग्रामराज्य कल्पना को बताइए ।
13. ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका के बारे में लिखिए।

IV. गतिविधियाँ :

1. अपने नजदीक ग्राम पंचायत पर भेंट करें, वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित कार्यों की सूची बनाइए ।
2. अपने नजदीकी महिला स्व-सहाय संघ में जाइए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में चर्चा कीजिए ।



सार्वजनिक वित्त और आय - व्यय

(Public Finance and Budget)



इस अध्याय से हम निम्नलिखित अंशों को जानते हैं ।

- सार्वजनिक वित्त का अर्थ और महत्व
- आय-व्यय
- सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय
- अपर्याप्त धन और वित्तीय कमी

आपके परिवार किन-किन स्रोतों से आय प्राप्त करता है। कितनी आय प्राप्त करती है, इसकी जानकारी है ? आम तौर पर एक वर्ष की अवधि में आय का अनुमान लगाया जाता है । प्रत्येक परिवार कृषि, औद्योगिक या सेवा क्षेत्र के उद्योगों में काम के द्वारा आय अर्जित करता है। इस तरह अर्जित आय का उपयोग, भोग और विकास के उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। व्यक्ति या परिवार अपनी आय और व्यय का संतुलित रूप से निर्वाह करने के द्वारा अभिवृद्धि हासिल करना भी एक कला है । जब लागत, आय से अधिक हो तो उधार लेने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति या परिवार की आय, लागत और उधार के निर्वाह को सूचित करने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत वित्त कहा जाता है। जैसे सरकार अपने वित्त का प्रबंधन करती है, वह ही सार्वजनिक वित्त । इस अध्याय में, आप सीखेंगे कि सरकार अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करती है?

1. सार्वजनिक वित्त का अर्थ और महत्व (Meaning and Importance of Public Finance):

सरकारी आय, व्यय और उधार निर्वहण का अध्ययन करना ही सार्वजनिक वित्त कहलाता है । डाल्टन की व्याख्यान यह है कि सरकारी आय और व्यय के निर्वहण और उनमें संतुलन करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करना ही सार्वजनिक वित्त है। सार्वजनिक धन सरकार की आय, खर्च और उधार के निर्वहण का समग्र चित्रण देता है ।

सार्वजनिक वित्त और व्यक्तिगत वित्त के बीच कुछ बुनियादी बातों में मतभेद हैं। वे हैं:

व्यक्तिगत वित्त	सार्वजनिक वित्त
1. व्यक्तिगत या निजी वित्त पोषण। व्यक्ति या परिवार के आय-व्यय से संबंधित है।	1. सार्वजनिक वित्त किसी सरकारी आय-व्यय से संबंधित है।
2. व्यक्तिगत वित्त में व्यक्ति आय को पहले अनुमान लगाकर, उसके अनुसार खर्च करता है।	2. सार्वजनिक वित्त में, सरकार पहले अपने खर्च अनुमान लगाकर, आय को समायोजित करती हैं।
3. व्यक्तिगत वित्तीय व्यवहार का गुप्त से रखा जाता है।	3. सार्वजनिक वित्त को प्रशासनिक बैठक में चर्चा की जाती है, साथ ही माध्यमों में प्रचारित किया जाता है।
4. व्यक्ति या परिवार बचत करता है, तो यह उनकी प्रगति में सहायता करेगा।	4. अगर सरकार बचत करती है तो वह प्रगतिशील देश का विकास को क्षीण करती हैं। इसलिए सरकार अपने आय से अधिक धन को विकास को विकास के काम में खर्च करने की प्रयत्न करते हैं।

सार्वजनिक वित्त का महत्व: आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार अपनी आय-व्यय और ऋण के संबंध में समय-समय पर अनुसरण किए जानेवाली नीति को ही 'कोशीय नीति' या 'वित्तीय नीति' (Fiscal Policy) कहते हैं।

1. सरकार कोशीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करती है।
2. सार्वजनिक वित्त का निर्वाह देश के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।
3. सरकार, अपनी कोशीय नीति के माध्यम से, सार्वजनिक संपत्ति का निर्वाह करनी हो देश की प्राकृतिक संपदा, श्रम और भौतिक पूंजी उत्पादकों के बीच उचित रूप से वितरित करना और उत्पादन ज्यादा होने के लिए तंत्रों की रचना करती है।
4. इसी तरह देश में उत्पन्न आय सभी नागरिकों के बीच समान रूप से वितरित हो, ताकि समाज के सभी वर्ग शांति और संतोष से रह सकें।
5. इससे नागरिकों का कल्याण होगा और देश का आर्थिक विकास होगा।
6. सरकार, अपने कोशीय नीति के माध्यम से, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करेगी और कृषि, लघु उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश करेगी।

7. इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को संतुलन में विकसित करने के लिए विनियमित किया जाता है।
8. सरकार भारत जैसे प्रगतिशील देशों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने और आर्थिक उतार-चढ़ाव और कीमतों में उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करती है।
9. आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्त नीति का उपयोग एक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

आय - व्यय (अग्रिम पत्र): सरकार हर साल अपना वित्तीय वर्ष का आय - व्यय प्रस्तुत करती है। भारत में वित्तीय वर्ष उसी वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। सरकार आय-व्यय के माध्यम से अपनी कोशीय नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। तब तो आय-व्यय किसे कहते हैं?

एक वर्ष के लिए सरकार के आय और व्यय पर तैयार की गयी अंदाज की सूची को आय-व्यय पत्र अथवा अग्रिम पत्र कहते हैं। यह सरकार के आय-व्यय को बताने का एक दस्तावेज है। केंद्र और राज्य सरकार अपने - अपने आय व्यय को अलग- अलग मंडन करती हैं।

भारत में, केंद्र सरकार के आय-व्यय को **केंद्रीय वित्त मंत्री** द्वारा वित्त विभाग के सहयोग से तैयार किया जाता है। आम-तौर पर केन्द्र वित्त मंत्री फरवरी या मार्च के महीने में बजेट अधिवेशन लोकसभा में बजेट अधिवेशन केंद्रीय आय-व्यय का मंडन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आय-व्यय पत्र पर सुदीर्घ चर्चा करके 31 मार्च के अंदर दोनों सदनों की मंजूरी प्राप्त करना चाहिए।

आय-व्यय पत्र में, बचत आय-व्यय, अपर्याप्त आय-व्यय और संतुलित आय-व्यय नामक तीन प्रकार हैं। आय-व्यय पत्र में सरकारी आय सरकार के व्यय से अधिक हो तो उसे बचत आय-व्यय कहा जाता है। आय व्यय पत्र में, सरकार के आय से व्यय अधिक है, तो इसे अपर्याप्त आय-व्यय कहते हैं। यदि सरकारी आय और व्यय समान हैं, तो उसे संतुलित आय-व्यय कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में सरकार अपर्याप्त आय-व्यय को मंडन करने के द्वारा खर्च को बढ़ाकर आर्थिक विकास बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

2. सार्वजनिक व्यय (Public Expenditures) :

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन निर्वहण, आर्थिक विकास और लोगों की भलाई के संदर्भ में विभिन्न गतिविधियों पर पैसा खर्च करती है। इसे सार्वजनिक व्यय के रूप में जाना जाता है। यानी सरकार अपने नागरिकों के हित की दृष्टि से जो खर्च किया जाता है वह सार्वजनिक व्यय है। 20वीं सदी में कल्याण राज्यों के उदय के साथ आधुनिक सरकार का कार्य क्षेत्र और पात्र विस्तार हुआ है। इसलिए सार्वजनिक व्यय भी अधिक हो गया है।

भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के अपने व्यय है। केंद्र सरकार के व्यय को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांट गया है। अर्थात् राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय।

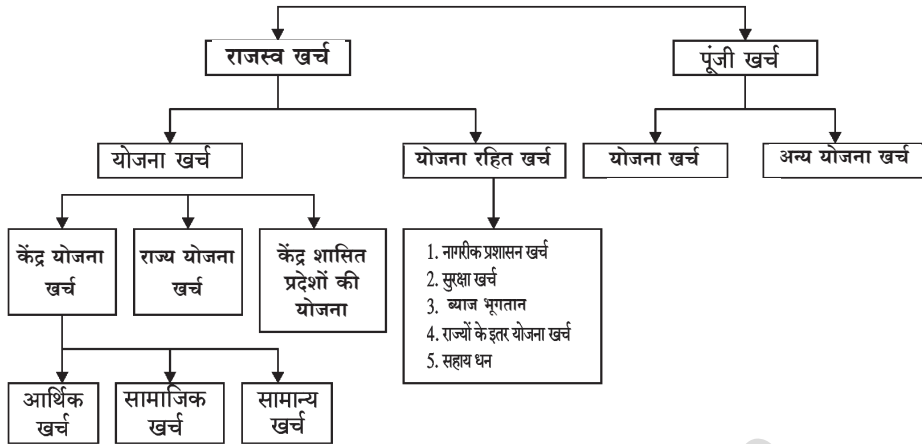
I. राजस्व व्यय: केंद्र सरकार अपने राजस्व आय से जो खर्च करता है उसे राजस्व आय कहते हैं। यह खर्च विभिन्न प्रकार की आर्थिक और सामाजिक सेवाओं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रशासन, व्याज भुगतान, राज्यों को अनुदान आदि उद्देश्यों पर खर्च की जा रही है। राजस्व व्यय को परियोजना व्यय और गैर- परियोजना व्यय नामक दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।

ए) परियोजना व्यय: सरकार विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सेवाओं, राष्ट्र निर्माण कार्य आदि विकास के कार्य पर किए जानेवाले खर्च को परियोजना व्यय कहते हैं। यह योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विकास गतिविधियों की व्यय है। इसके अलावा, केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार केंद्रीय योजना के तहत तीन प्रकार की सेवाओं के निर्वहण और विकास के लिए पैसा खर्च करती है। वे हैं-

1. **वित्तीय सेवाएँ:** कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियाँ, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, आदि।
2. **सामाजिक सेवाएँ:** शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार कल्याण, पेयजल आपूर्ति, आवास, समाज कल्याण-आदि
3. **सामान्य सेवाएँ :** देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की किये जानेवाले खर्च।

सार्वजनिक खर्च



Insert into flow chart - योजनाओं से वंचित लोगों के लिए शाश्वत परिहार उपलब्ध करने से संबंधित खर्च

बी) गैर-योजना व्यय: विकास गतिविधियों को छोड़कर प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और ब्याज भुगतान के लिए किये जानेवाले व्यय को गैर-योजना व्यय कहते हैं। प्रमुख गैर-योजना व्यय नागरिक प्रशासन व्यय, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान के लिए गैर-योजना सहायता और सहाय धन के व्यय हैं।

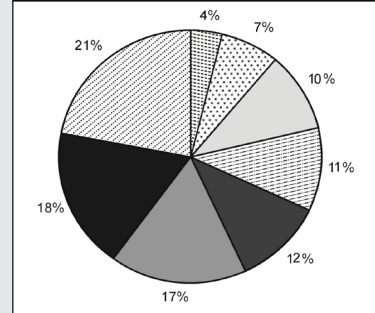
II. पूंजीगत व्यय: कृषि, उद्योग, परिवहन, बिजली, सींचाई-परियोजना आदि क्षेत्रों के विकास और नई संपत्ति के निर्माण के लिए सरकार, निवेश करना जारी रखेगी। ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। सरकार इन व्ययों को अपनी पूंजीगत आय से भर्ती करेगी।

पूंजीकृत व्यय में भी परियोजना व्यय और गैर-योजना व्यय नामक दो विभाग हैं। स्थायी विकास की दृष्टि से कृषि, उद्योग, परिवहन, सींचाई-आदि पर जो कुछ भी खर्च किया जाता है, वह पूंजीगत योजना व्यय कहलाता है। सरकार के इन विकास परियोजनाओं के पीड़ितों को स्थायी राहत प्रदान करने के व्यय को गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय कहा जाता है।

इस प्रकार सरकार अपना प्रशासनिक निर्वाह, देश के आर्थिक विकास और लोगों के कल्याण के उद्देश्य से पैसा खर्च करती है। इन खर्चों के अनुसार अपना राजस्व एकत्र करना चाहता है।

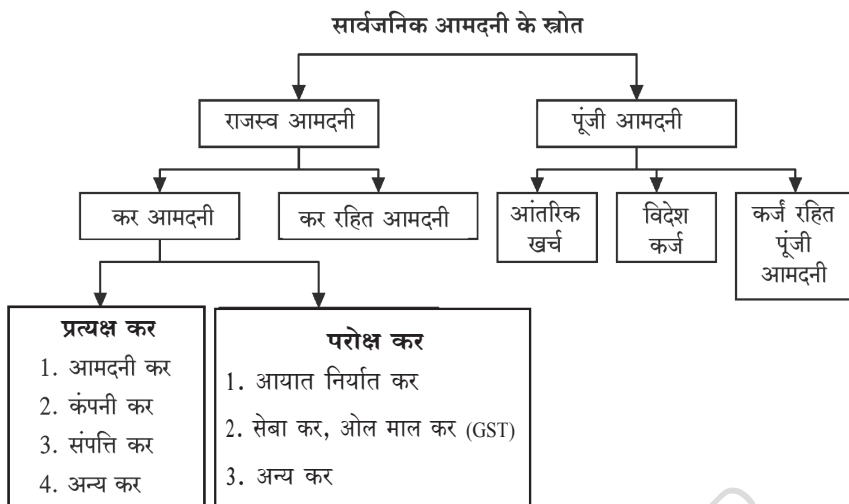
2013-14 के लिए केंद्र सरकार का अंदाज प्रतिशत व्यय :

1. राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए गैर-योजनागत सहाय - 4%
2. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए योजना सहाय - 7%
3. रक्षा व्यय - 10 %
4. गैर योजना लागत - 11 %
5. सहायता कोष - 12 %
6. राज्यों को कर हिस्सा - 17%
7. ब्याज भुगतान 18%
8. केंद्रीय योजना लागत - 21%



3. सार्वजनिक आय (Public Revenue) : सरकार अपनी व्यय को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन जुटाती है। इसे सार्वजनिक आय के रूप में जाना जाता है। सरकारें नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने और तेजी से आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए आगे आयी हैं। इससे सरकारों के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ है। इसलिए, सार्वजनिक खर्च बढ़ रहा है और इसके अनुसार सार्वजनिक आय के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के पास आय के अपने स्रोत हैं। आइए सरकारी आय के स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार के आय के स्रोत मुख्य रूप से राजस्व की आय और पूंजीगत आय के नाम से विभाजित किया गया है।

राजस्व आय (Revenue Receipts) : सरकार विभिन्न करों और कर के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को राजस्व आय कहा जाता है। यह सरकार की वास्तविक आय है। राजस्व आय को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एक कर के आय और गैर कर आय।



Insert into flow chart - आयात निर्यात कर परोक्ष कर
साधना एवं सेवा कर

1. कर-आय (Tax Revenue) : प्रजा किसी प्रकार के प्रतिफलापेक्ष के बिना सरकार को देनेवाले अनिवार्य रुपये को 'कर' कहते हैं। केंद्र सरकार अपने नागरिकों पर तरह तरह के निश्चित कर द्वारा आय को संग्रह करती है। 'कर' सरकार की बहुमुल्य आय का स्रोत हैं।

सरकार कर निर्धारित करते समय अधिक आयवाले लोगों पर अधिक 'कर', और कम आयवाले लोगों पर कम कर निर्धारित करता है। गरीबों का आय 'कर' पर छूट दी गई है। इसी तरह, यह अमीरों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक कर लगाता है और आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर कम कर लगाता है। सरकारी कर लगाने की समय जिस नीति का प्रयोग करती है उसे प्रगतिशील कर नीति कहा जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा दो मुख्य प्रकार के कर लगाए जाते हैं। वे हैं -अ) प्रत्यक्ष कर ब) अप्रत्यक्ष कर।

अ) प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) : सरकार जिस पर 'कर' लगाती वे ही उस कर दिये तो उस कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। इन करों का बोझ दूसरों पर नहीं डाला जाएगा। आम तौर पर व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा अर्जित आय और संपत्ति पर लगनेवाले कर प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। प्रमुख प्रत्यक्ष कर आय कर, कंपनी-कर, संपत्ति-कर, स्टाम्प-कर आदि हैं।

ब) परोक्ष कर (Indirect Taxes) : सरकार द्वारा निर्धारित कर का बोझ दूसरों पर लगाने का प्रावधान हो तो ऐसे कर को परोक्ष कर कहते हैं। आमतौर पर परोक्ष कर को वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जैसे :- सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समय में उत्पादक पर कर निर्धारित करती है। उत्पादक इस कर का बोझ विक्रेता पर डालता है। विक्रेता अंततः उपयोगकर्ता पर कर का बोझ डालता है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार निर्माता पर कर लगाती है, तो उपयोगकर्ता बोझ के लिए जिम्मेदार होता है। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए मुख्य परोक्ष कर हैं - केंद्र अबकारी कर, आयात-निर्यात शुल्क, सेवा कर और विदेशी पर्यटकों पर कर आदि।

इस प्रकार केंद्र सरकार कई प्रकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर द्वारा अपने आय संग्रह करता है। करों के माध्यम से सरकार अधिक राजस्व इकट्ठा करना चाहता है।

2) गैर-कर आय (Non Tax Revenue) : सरकार करों के अलावा अन्य स्रोतों से आय संग्रह करती है। इसे गैर-कर आय कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले प्रमुख गैर-कर आय हैं:

1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित लाभ।
2. भारतीय रेलवे द्वारा अर्जित लाभ।
3. डाक और दूरभाष सेवाओं द्वारा अर्जित आय
4. सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अर्जित आय
5. सिक्के और मुद्रणालय द्वारा अर्जित आय
6. विभिन्न प्रकार के शुल्क, दंड आदि।

पूँजीगत आय (Capital Receipts) :

सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने और नई संपत्ति निर्माण करने की दृष्टि से नए पूँजी लगाने के लिए संग्रहीत आय को पूँजीगत आय कहते हैं। यह आय कृषि, उद्योग, सिंचाई, बिजली, बुनियादी ढांचे आदि के विकास में उपयोग के लिए एकत्रित किया जाता है।

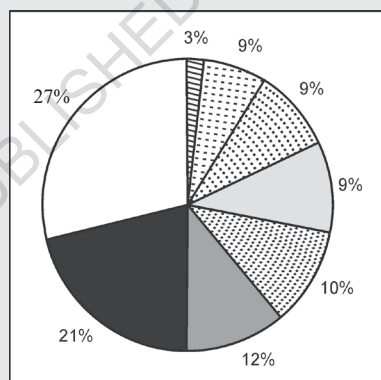
सरकार पूँजीगत आय को मुख्य रूप से आंतरिक और विदेशी स्रोतों से ऋण जुटाकर पूँजीगत आय एकत्र करती है। आंतरिक ऋण वह ऋण है जो नागरिकों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, उद्यमों आदि से एकत्रित किया जाता है। विदेशी कर्ज विदेशी सरकारों, विदेशी वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राप्त उधार को विदेशी ऋण कहते हैं।

सरकार उधार के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजीगत आय एकत्र करती है। यह सार्वजनिक उद्यमों में लगाए हुए अपना निवेश वापस ले लेता है। इसे निवेश निकासी कहा जाता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से प्राप्त उधार को और वित्तीय सहायता को समय-समय पर वापस करते हैं। इस तरह जो निवेश निकासी और ऋण चुकौती से संग्रहीत पैसा गैर उधार पूंजीगत आय कहते हैं।

इस प्रकार केंद्र सरकार विभिन्न स्रोतों से आय एकत्र करती है। इस प्रकार सरकारी प्रशासन निर्वहण और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक धन प्रदान करने का प्रयास करता है।

2013-14 के केंद्र सरकार का अंदाज राजस्व प्रतिशत :

1. गैर उधार पूंजीगत आय- 3%
2. सेवा कर और अन्य कर -9%
3. गैर-कर आय - 9%
4. आयात-निर्यात कर - 9%
5. केंद्र अबकारी कर - 10%
6. आय कर - 12 %
7. कंपनी कर - 21 %
8. ऋण और अन्य दायित्व - 27%



4. घाटा वित्तपोषण (Deficit Financing) :

सरकार पहले अपनी व्यय का अनुमान लगाकर, उसके अनुसार आय को समायोजित करती है। ऐसा करने में आमतौर पर उसकी अपनी आय से अधिक खर्च होता है। यह देश के विकास के दृष्टि से अच्छा है। सरकार अपने आय और व्यय के बीच का अंतर को भारतीय रिजर्व बैंक में रहे नकद संग्रह को वापस लेने, आंतरिक और विदेशी स्रोतों से उधार लेने और भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेना-आदि क्रम के द्वारा भर्ती करता है।

विकासशील देशों में सरकारी आय से उसका व्यय बहुत अधिक हो रहा है। इससे घाटा वित्तपोषण परिस्थिति उभर रहे हैं। भारत के योजना-आयोग के व्याख्यान के अनुसार घाटे के वित्तपोषण का अर्थ है सरकार के आय-व्यय पत्र के संचालन के माध्यम से अर्थव्यवस्था की क्रय शक्ति में वृद्धि करना ही है। संक्षेप में, घाटे का वित्तपोषण सरकार अपने आय

से अधिक खर्च करने की प्रक्रिया को घाटे का वित्तपोषण कहते हैं। घाटे के वित्तपोषण का परिणाम से देश में विकास गतिविधियाँ ज्यादा होकर, धन का प्रचलन बढ़ जाता है। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। कमी एक नकारात्मक (-) चिह्न के साथ चिह्नित है।

घाटे के वित्तपोषण में वित्तीय घाटा, आय-व्यय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा नामक चार भेदों को पहचाना जा रहा है।

वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit) : आय-व्यय में सरकार के राजस्व आय और गैर-पूँजीगत आय से सरकार का कुल व्यय अधिक होता है, तो इसे वित्तीय घाटा कहा जाता है। यह गैर-पूँजीगत आय का मतलब है सरकारी ऋण चुकौती और निकासी के द्वारा संग्रहीत आय है। सरकार की कुल व्यय में उसका राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय शामिल होता है। वित्तीय घाटा सरकार के खजाने पर पड़ने वाले वास्तविक बोझ को संबोधित करता है। यानी सरकार को आंतरिक और विदेशी स्रोतों से कितना उधार संग्रह करना होगा इसे बताता है। जब ऋण संग्रह के माध्यम से वित्तीय घाटे को भरना संभव नहीं होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक नोटों को मुद्रण करके और उन्हें प्रचलन में लाने के द्वारा सरकार को उधार देता है। वित्तीय घाटे को सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

वित्तीय घाटा = (राजस्व आय + गैर-पूँजीगत आय) - कुल व्यय

आय-व्यय के अन्य घाटे

- * आय-व्यय घाटा = कुल आय - कुल व्यय
- * राजस्व घाटा = राजस्व आय - राजस्व व्यय
- * प्राथमिक घाटा = वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान

अभ्यास:

I. निम्नलिखित वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. सरकार सार्वजनिक वित्त को _____ के माध्यम से निर्वाह करती है।
2. आय-व्यय में सरकार का आय उसके व्यय से अधिक है तो उसे _____ कहा जाता है।
3. केंद्र सरकार का आय-व्यय को लोकसभा में मंडन करनेवाले _____ हैं।

4. सरकार के आंतरिक और विदेशी ऋण के द्वारा संग्रहीत आय को _____ कहा जाता है।

5. जी.एस.टी का विस्तृत रूप _____ है ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए :

6. सार्वजनिक वित्त का अर्थ बताइए।
7. आय-व्यय का मतलब क्या है?
8. घाटे का आय-व्यय का अर्थ लिखिए।
9. प्रत्यक्ष कर क्या है?
10. वित्तीय घाटे को सूत्र रूप में लिखिए।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाँच छःवाक्यों में दीजिए :

11. सार्वजनिक वित्त और व्यक्तिगत वित्त के बीच अंतर को पहचानिए ।
12. सार्वजनिक वित्त के महत्व को संक्षेप में समझाइए।
13. केंद्र सरकार की योजना व्यय की सूची बनाइए।
14. केंद्र सरकार के गैर-कर आय के स्रोतों को बताइए ।
15. घाटा वित्तपोषण क्या है? इसके चार प्रकारों के नाम लिखिए :

IV. गतिविधियाँ :

1. अपने निकटतम ग्राम पंचायत या तालुक पंचायत पर जाइए खर्च की जानकारी एकत्रित कीजिए ।
2. केंद्र और राज्य सरकारों के आय-व्यय मंडन को दूरदर्शन के माध्यम से देखें, कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए ।
3. आय-व्यय मंडन के अगले दिन दैनिक समाचार पत्र में आनेवाले रिपोर्टों को संग्रह कीजिए, कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।

V. परियोजना :

1. अपने परिवार के बड़ों के साथ पारिवारिक आय के स्रोतों और खर्चों का अंदाज आय-व्यय तैयार कीजिए ।

ॐॐॐॐ

उद्यमिता



इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त होती है :

- उद्यमिता का अर्थ।
- स्व-उद्योग के अवसर।
- उद्यमिता की भूमिका और महत्व।
- उद्योग की व्यवस्था।

आज के आर्थिक बाजार में उद्यमिता की प्रमुख भूमिका रही। यह प्रमुख आर्थिक क्रियाओं जैसे - भूमि, मजदूरी, पूंजी तथा संगठनों में से एक है। यह एक देश की व्यापारिक स्थिति और उद्योग क्षेत्र के परिवर्तन में मुख्य कारक तत्व है।

उद्यमी का अर्थ :

उद्यमी नामक शब्द फ्रेंच के एंट्रा फ्रेडे से आया है। अर्थात् एक कार्यकलाप को अपने जिम्मे लेना। व्यवहार में एक नई कल्पना ले आता है। इसमें व्यवहार को निभाने उद्यमी के लिए प्रशासनिक निवाह कौशल तथा समूह बनाने की क्षमता होती है और नेतृत्व का गुण भी होता है। (उद्यमी को उद्योगशील या उद्योगपति भी कहते हैं।)

उद्यमी किसी एक प्रतिफल (लाभदायक) उद्योग की स्थापना का जिम्मा लेता है। वह व्यवहार के तरीके में किसे, कैसे और कितना उत्तम है? इसे गणना कर एक उद्योग को प्रारंभ करता है और मिलजुल कर निर्वाह करता है। उद्योगपति नवीन वस्तुओं के बारे में अन्दाजा लगाकर उनकी बाजार में आवश्यकता, तकनीकी तथा परिवर्तन की कल्पना कर लेते हैं। कुल मिलाकर उद्योगपति मौके (अवसर) का निरीक्षण कर उनका लाभ उठाने की ताक में रहते और सही मौकों पर संगठित करते हैं। गणक यंत्र, मोबाइल फोन, कपडा धोने की मशीन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कोरियर सेवाएँ और तुरंत तैयार करने वाले खाद्य पदार्थ उद्योगपतियों की कल्पना का ज्वलंत उदाहरण है।

उद्यमिता (Entrepreneurship) : एक उद्योगपति द्वारा अपने उद्योग की स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्य (क्रिया) उद्यमिता कहलाता है। (इसे उद्योगशीलता भी कहते हैं) उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रियाकलाप है। यह बेकार की वस्तुओं का (अनावश्यक को आवश्यक में बदलने) आवश्यक वस्तु के रूप में

बदलने का सृजनात्मक कौशल है। यह दूसरों के कठिन, समस्यात्मक, विरोधी और अस्तव्यस्तमय परिस्थिति को देखकर, उसे कार्यरूप में लाने की क्रिया है। उद्यमिता अवसरों को ढूँढ कर या पता लगाकर, हानि का हिसाब लगाकर उसे लाभ प्राप्त कारकों के लिए स्थापित किया जाने वाला एक साहसकार्य है। उद्यमिता कार्य करने का एक तरीका है। यह कुछ विशेष संगठनों का संयोजना, तथा उसमें निहित उद्देश्य तथा संगठित परिवर्तन के लिए एक अन्वेषण को नियोजित रूप से वातवरण में विश्लेषित करने का कार्य है। यह एक तकनीकी है, जो मानव द्वारा नियोजित तथा प्रवृत्त कार्य है। जैसे व्यापार संस्था में हो या सरकार संबंधी हो, या शिक्षण क्षेत्र में हो, या विज्ञान तथा तकनीकी में हो, या गरीबी हटाने से संबंधित हो, या किसी अन्य कार्य में देखा जा सकता है।

उद्यमिता की विशेषताएँ :

- सृजनात्मक
- क्रियात्मक
- समूह निर्माण
- समस्या का समाधान
- नुकसान- भरपाई के लिए तत्पर
- वचन बद्धता
- नवीन पद्धति का उपयोग
- नेतृत्व
- प्रोत्साहन देना
- लक्ष्य प्राप्ति
- निर्णय करना

उद्यमी के कार्य (Functions of Entrepreneur) :

उद्यमी को अवसर देखकर योजना बनाकर संसाधनों को संगठित कर, उत्पादन, बाजार और अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है। प्रमुख रूप से परिवर्तन एवं सुधार लाकर, नुकसान होने पर सामना करना भी पड़ता है। उद्यमी का प्रमुख कर्तव्य है:-

1. उद्यमी व्यापारिक क्रियाओं अनेक योजनाओं द्वारा प्रारंभ करता है।
2. उद्यमी उत्पादन के अंगों को संयोजित करता है।
3. उद्यमी उत्पादित वस्तुओं के बारे में तकनीकी के बारे में बाजार तथा उद्योग आदि के बारे में निर्णय लेता है।

4. उद्यमी सभी तत्वों को समाधानपूर्वक संयोजित करता है।
5. उद्यमी नये-नये तरीकों को इस्तेमाल करता है।
6. उद्यमी अपने उद्योग के धन संबंधी आय व्यय को निभाता है।
7. उद्यमी को फायदे-नुकसान तथा अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ता है।
8. उद्यमी व्यापार के मार्ग को बताकर उसे सही ढंग से कार्यगत करने में मार्ग दर्शन करता है।

उद्योगपति की भूमिका तथा महत्व:

उद्योगपति की भूमिका-उद्योगपति व्यापार की धुरंधर है। वह विविध सुझाव पर ध्यान देते हुए उन्हें कार्य रूप में लाकर आर्थिक प्रगति और विकास करता है। भारत की आर्थिक प्रगति में उद्योगपतियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्योगों के क्षेत्र में परिवर्तन ही नहीं कृषि और सेवा क्षेत्र के विकास में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। उद्योगपति आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योगदान देता है:-

1. उद्योगपति लोगों के अनुपयुक्त बचत धन को पूंजी के रूप में निर्माण करते हैं। वे संसाधनों का उपयोग उद्योगों को प्रारंभ करने के लिय करते हैं।
2. स्वयं उद्योगों को प्रारंभ करने के द्वारा उद्योगपति कुशल कारीगरों को तकनीकी कुशलता पूर्ण व्यक्ति तथा कार्यकर्ता को अधिक मात्रा में उद्योगों के अवसर प्रदान करते हैं।
3. उद्योगपति एक देश के पूरे देशी उत्पादन (GDP) और लोगों की वैयक्तिक आय को बढ़ाते हैं।
4. उद्योगपति पूंजी तथा कुशलता को प्रयोजनकारी रूप में साथ जुटाकर नवीन वस्तुओं तथा सेवाओं को अभ्यास में लेकर बाजारों का विकास करते हैं।
5. उद्योगपति उत्तम वस्तुओं को कम दर पर लोगों को उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर को उत्तम बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं।
6. उद्योगपति उद्योगों का विकास करता है वह प्रांतीय भिन्नता को ग्रामीण प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना करने के द्वारा समाधान करते हैं।

7. उद्योगपति आय तथा सम्पत्ति को एक प्रदेश में केंद्रीकृत होने से बचाते हैं और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं।
8. उद्योगपति देश के निर्यात व्यापार को बढ़ाते हैं।
9. उद्योगपति नवीन परिवर्तन को अभ्यास में लाकर तकनीकी को बदलकर अधिक लाभदायक बनाने का प्रयत्न करते हैं।

उद्योगपतियों का महत्व :

उद्योगपति बाजार की आर्थिक स्थिति में केंद्रस्थान पर सुशोभित होता है। इन उद्योगपतियों में आर्थिकता के यंत्रों में विद्युत को संचारित करने के लिए सहायक स्पार्कप्लग (Spark Plug) की तरह अर्थिक क्रियाकलाप के लिए चेतना देनेवाला सहायक है।

एक देश की आर्थिक प्रगति पूरे विश्वव्यापी स्तर पर प्रसारित होने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें सही पुरस्कार देना आवश्यक है। क्योंकि उद्योगपति और उनके क्रिया कलाप देश के गौरव, विकास, प्रगति तथा समयोचित विमर्शात्मक निर्णय होती है। विश्व का अत्यंत क्रियात्मक या प्रगतिशील समाज अत्यधिक उद्योगपतियों वाला है। आर्थिक तथा कानूनन रचना उद्योगपतियों को और अधिक गणनीय क्रियाओं को करने के लिए उत्तेजित करती है। उद्योगपति लोगो के अनुपयोगी बचत के द्वारा पूंजी को बढ़ाते हैं। वे अपनी विरासत में प्राप्त संसाधनों द्वारा उद्योग की स्थापना करते हैं। आर्थिक तथा उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक नवीन वस्तुओं तथा सेवाओं की बिक्री के लिए बाजार सहायक होता है।

उद्योगपति की क्षमता और कल्पनाशक्ति, उद्योग को बढ़ाती है। उद्योगपति अपने उद्योग संबंधी नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। वह लाभ को ढूँढता रहता है। अवसर ढूँढता है। लाभप्राप्त कर और अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।

उद्योगपतियों के स्व-उद्योग के अवसर

स्व-उद्योगपति अथवा निजी उद्योगधारी देश की रीढ़ है। सड़क के किनारे की चाय की दुकान से लेकर मॉम एवं पॉप, परचून की दुकान, कबाड़ी व्यापारी, इंटरनेट व साइबर

आदि निजी औद्योगिक संस्थाएँ हैं। इन उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इससे सार्वभौमिक रूप से आर्थिक व्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संभव हो सकती है। भारत सरकार में निजी उद्योगों के लिए अधिक प्रोत्साहन देकर आवश्यक सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था तथा नवीन तकनीकी को बढ़ावा देती है। एक व्यक्ति के स्व-उद्योग से उद्योगशील बनाने के लिए अनेक सेवा संस्थाओं को केन्द्र सरकार के सूक्ष्म, छोटा और मध्यम औद्योगिक सचिवालय (MSME) परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास किया है। कई नवीन व्यावहारिक संस्थाएँ कम जमापूँजी द्वारा चरम सीमा तक पहुँचने में सफल रही हैं।

किसी एक व्यक्ति द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए निम्नालिखित किसी व्यावहारिक संस्था को चुन कर स्थापना की सुविधा है। ये प्रमुख रूप से निम्नलिखित हैं:-

- 1) विज्ञापन सेवा संस्थाएँ।
- 2) बाजार सलाहकारी संस्थाएँ।
- 3) उद्योग सलाहकारी संस्थाएँ ।
- 4) वस्तुओं को किराए तथा ठेकेपर देनेवाली संस्थाएँ।
- 5) फोटो कॉपी निकालने वाले केन्द्र (Photo Copying Centre)
- 6) उद्योग अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला।
- 7) औद्योगिक वस्तुओं की गुणात्मकता की प्रयोगशाला।
- 8) इंटरनेट तथा संवहन दुकानें।
- 9) दूरदर्शन जाल के सेवा क्षेत्र ।
- 10) क्रीच (बाल सेवा) एव ब्यूटीपार्लर (सौंदर्य वर्धन) ।

स्व-उद्योग की योजनाएँ :

किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए धन की प्रमुख रूप से आवश्यकता पड़ती है। काफी न होने पर किसी भी उद्योग की स्थापना और विकास संभव नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने उद्योग की स्थापना, विकास और उन्हें कालानुसार सुधार करने के लिए अनेक संपत्ति संबंधी संस्थाएँ स्थापित की हैं। ये संस्थाएँ छोटे स्तर के उद्योग धन्धों को भी कर्ज रूप में धन देकर सहायता करती हैं।

इन संस्थाओं में प्रमुख हैं।

- 1) भारत के औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
- 2) कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (NABARD)
- 3) आयात तथा निर्यात बैंक (EXIM BANK)
- 4) भारतीय कुटीर उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
- 5) भारतीय औद्योगिक संपत्ति निगम (IFCI)
- 6) भारतीय औद्योगिक कर्ज और जमा निगम
- 7) भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक (IRBI)
- 8) भारतीय वाणिज्य और अन्य बैंक
- 9) राज्य संपत्ति निगम (SFC)
- 10) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
- 11) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI)

उद्यमी की संचालक संस्था (Promotional) :

केंद्र तथा राज्य सरकार उनके स्तर पर उद्यमी को प्रोत्साहन देने के लिए, विकसित करने के लिए तथा बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक संस्थाओं तथा कार्यकारी संस्थाओं की स्थापना की है, जो विशेषकर छोटे (निम्न) स्तर के मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आवश्यक धन, प्रशिक्षण, बाज़ार आदि के लिए सहायक रहा है:- इनमें प्रमुख है।

- 1) जिला औद्योगिक केंद्र (DIC's)
- 2) कुटीर औद्योगिक विकास निगम (SIDC)
- 3) राष्ट्रीय कुटीर की उद्योगिक संस्था (NSIC)
- 4) निम्न स्तर की औद्योगिक संस्था

- 5) निम्न स्तर की औद्योगिक सेवा संस्था (SISI)
- 6) औद्योगिक प्रदेश
- 7) खादी और ग्रामोद्योग आयोग
- 8) तकनीकी सलाहकारी संस्थाएँ ।

1) जिला औद्योगिक केंद्र :

इसकी स्थापना 1978 में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में उद्योग स्थापित करने और उनके शासन और अखंडता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। ये केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय से काम करते हैं और सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये केंद्र जिला स्तर पर उन लोगों के लिए हैं जो एक तरफ तरीके से नए उद्यम शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करते हैं:-

- 1) व्यवसाय स्थापित करने के लिए सबसे पहले योजना रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है।
- 2) नए औद्योगीकृत क्षेत्रों का निर्माण।
- 3) विशेष प्रकार की परियोजना रिपोर्ट स्वीकार करना।
- 4) उद्यम विकास कार्यक्रम पर प्रशिक्षण।
- 5) कच्चे माल का वितरण।
- 6) स्व-रोजगार के तहत व्यवस्था में वित्तीय सहायता।
- 7) केंद्र सरकार के साथ बाज़ार सहायता।
- 8) प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों में बाजार की व्यवस्था और खरीदारों और विक्रेताओं के साथ बैठकें।
- 9) लघु उद्योग पंजीकरण प्रणाली में, बैंक ऋण और उत्पादन सामग्री बाज़ार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।
- 10) उद्योग को आधुनिक बनाने में मदद करना ।
- 11) निर्यात माल में मदद करने के लिए।

- 12) परिवर्तित या संशोधित सामग्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पुरस्कारों को बढ़ावा देना।
- 13) गैर-पारंपरिक बिजली उपकरणों का उपयोग करके सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना दे रहा है।
- 14) हस्तशिल्प के निर्माण में मॉडल सामग्री के निर्माण के लिए मदद कर रहा है।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में दिये गये रिक्त स्थानों का उचित शब्दों से भरिए :

1. उद्यमी शब्द फ्रेंच भाषा से _____ से आया है।
2. उद्यमी द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए की जाने वाली जिम्मेदारी _____ कहलाती है।
3. जिला उद्योग केंद्र _____ में स्थापना हुई।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

4. उद्यमी से क्या तात्पर्य है?
5. उद्यमिता काफी साहस का कार्य है, कैसे?
6. उद्यमिता की विशेषताएँ बताइए।
7. उद्यमी के महत्व को बताइए।
8. उद्यमों के विकास में जिला औद्योगिक केन्द्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए।

III. गतिविधियाँ:

1. आप के निकट उद्योग केंद्र जाकर उद्योग संस्था के मजदूरों का विवरण प्राप्त कीजिए।
2. इंटरनेट की सहायता से विविध उद्योग संस्थाओं की तालिका बनाइए।
3. भारत के प्रमुख उद्यमी उद्योगपतियों के भावचित्र संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना:

1. अपने निकट के उद्योगपति के साथ साक्षात्कार कीजिए और उद्योग स्थापना संबंधी विवरण प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार कीजिए।

ग्राहकों की शिक्षा और रक्षा



इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करते हैं:

- ग्राहक, ग्राहकों का अधिकार, शोषण तथा ग्राहकों की जागृति।
- ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख अंशों तथा उसके महत्व को जानना।
- वस्तु तथा सेवाओं को प्राप्त करते समय सावधानी का अभ्यास।
- ग्राहक शिक्षा का महत्व जानकर ग्राहक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का तरीका और उनका कार्यान्वयन।

उपभोक्ता और उत्पादक (उपलब्ध करानेवाला)

सेवा और वस्तुओं का उपयोग करने वालों को स्वयं सेवा-संस्थाएँ 'उपभोक्ता' कहती हैं। उपभोक्ता द्वारा धनप्राप्त कर वस्तु अथवा सेवाएँ प्रदान करने वाला ही 'उत्पादक'। ग्राहक सुरक्षा अधिनियम में उपभोक्ता को ग्राहक कहा गया है। ग्राहकों द्वारा दिए जाने वाले धन के फलस्वरूप उत्तम स्तर की वस्तु या सेवाएँ उपलब्ध कराना। व्यापारी अथवा आपूर्तिकर्ता का कर्तव्य है। इसे पाने का अधिकार सभी ग्राहक को है। आपूर्तिकर्ता और व्यापारी ग्राहकों को अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। इसे रोकने के लिए कुछ स्वयं-सेवी संस्थानों ने कुछ आंदोलन को प्रारंभ किया। ग्राहक सुरक्षा आंदोलन, सर्वप्रथम अमेरिका के संयुक्त संस्थान में प्रारंभ हुआ। भारत में योजना आयोग ने, भारत के ग्राहक संघ की स्थापना के लिए 1956 में जोर दी। अनेक कारणों से यह अवेर (Aware) (The association of women against rising expenses) के रूप में आरंभ हुई। यह आंदोलन देश के विविध भागों में राष्ट्रीय स्तर पर सेवा संस्थाओं के प्रारंभ का कारण बना। इनमें प्रमुख था - 'राष्ट्रीय ग्राहक संघटन' तथा 'राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा कौन्सिल' आदि।

उपभोक्ताओं के शोषण का कारण :

एक स्तर पर उत्पादक सेवा और सामग्री को ग्राहकों को सीधे पहुँचाते थे। उदाहरण के लिए दूध, फल, सब्जियाँ आदि। यहाँ बिचौलियों को उपद्रव नहीं था। व्यवसाय के उद्द्योग विविध प्रकार से जैसे-जैसे बढ़े वैसे बेचने का तरीका भी बदला। ग्राहक और उत्पादक के बीच का अंतर बढ़ गया और इसके बीच सीधे व्यवहार समाप्त हो गया।

उत्पादक और ग्राहकों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य को बिचौलियों द्वारा निर्धारित किया जाने लगा। इससे ग्राहकों को कठिनाई, नुकसान और समस्याएँ होने लगीं। सूचना एवं तकनीकी के विकास से आज घर बैठे वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। इसे 'टेलिशॉपिंग' कहा जाता है।

टेलिशॉपिंग :

ग्राहक वस्तुओं को खरीदने के लिए व्यापारी दुकानों में जाने की बजाय दूरदर्शन या अन्य माध्यमों से प्रकट होने वाले विज्ञापनों पर ध्यान देकर, अंतर्जाल एस.एम. एस. या दूरवाणी द्वारा वर्तक से संपर्क कर आवश्यक सामग्री का चयनकर प्राप्त करने के लिए माँग की जा सकती है। वस्तुएँ प्राप्त होने के बाद मूल्य चुकाया जा सकता है। इस प्रकार किए जाने वाले व्यवहार को 'टेलि शॉपिंग' कहते हैं।

ग्राहक :

ग्राहक का तात्पर्य - वस्तुओं को खरीदने वाला अथवा सेवाओं को मूल्य के रूप में धन या वेतन प्रतिफल देकर कार्य करवाने वाले या पदार्थों को उपयोग करने वाले हैं। किसी भी व्यवहार को लाभ के उद्देश्य से किए जाने को व्यापार कहते हैं। ग्राहक अपनी माँग की पूर्ति के लिए वस्तुएँ खरीदते हैं। उत्पादक का कर्तव्य ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हमारे यहाँ मुक्त आर्थिक नीति का प्रचलन है। ग्राहकों को बाजार का राजा कहना आकर्षक नारा है। अतः ग्राहक अत्यंत प्रमुख स्थान पर अलंकृत है। किंतु अनेक संदर्भों में बेचने वाले ग्राहक की उपेक्षा करते हैं। उनका शोषण करते हैं और धोखा देते हैं।

विश्व ग्राहक दिवस:

विश्व ग्राहक आंदोलन के इतिहास में 15 मार्च 1962 एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन उन दिनों के अमेरिका के अध्यक्ष जॉन. एफ. केनेडी ने वहाँ के नागरिकों को संरक्षण अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचना, निवेदन तथा समाधान अधिकार दिया गया है। इस कारण प्रति वर्ष मार्च 15 को विश्व ग्राहक अधिकार दिवस का आचरण किया जाता है।

ग्राहक सुरक्षा : ग्राहकों को उत्पादक तथा व्यापारियों के शोषण से सुरक्षा के लिए अपनाए गए कार्य को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं। शोषण से मुक्त करने के लिए ग्राहक सुरक्षा आवश्यक है। ग्राहकों के हित की सुरक्षा के लिए अनेक अधिकारों और विश्वास को दिलाया गया है। इस विश्वास को ग्राहकों का अधिकार कहते हैं।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम : निरंतर शोषण से तंग आकर कुछ लोगों ने उपभोक्ताओं की असहाय स्थिति को समझ ग्राहकों के पक्ष में संघर्ष, आंदोलन आदि आरंभ किया (कुछ अंश इस अध्याय से पूर्व के अनुच्छेद में दिए गए हैं।) इस प्रकार के दबाव से सरकार ने जागृत होकर ग्राहकों के पक्ष में अधिनियम नवीन की रचना की। पिछले पाँच दशकों में लगभग तीस से अधिक अधिनियमों को लागू किया गया है। उदाहरण के लिए - आवश्यक वस्तुओं का नियम, तौल तथा माप का नियम, खाद्य में मिलावट पर प्रतिबंध का नियम आदि। भारत सरकार द्वारा 1986 में ग्राहक सुरक्षा का अधिनियम लागू किया गया अधिनियम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

अधिनियम के उद्देश्य :

- अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य ग्राहक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रथम स्थान देना।
- खतरनाक वस्तुओं को बनाने तथा बेचने से रोकना।
- बाजार में अनुचित व्यवहार पद्धति पर रोक लगाना।
- गुणवत्ता, नाप, तौल, मूल्य आदि पर ध्यान देना।
- उपभोक्ता स्वयं खरीदी जानेवाली वस्तु या सेवा से समस्या होने पर उन्हें उचित समाधान दिलाना।
- ग्राहक शिक्षा दिलाने के द्वारा लोगों में जागृति उत्पन्न करना।

कुल मिलाकर स्वास्थ्यकर स्पर्धा द्वारा सही मूल्य में उत्तम गुणों वाली वस्तु या सेवा उपलब्ध कराना ही उद्देश्य है।

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम भारत के सभी प्रदेशों में लागू होता है। यह अधिनियम आगे दिए गए ग्राहक उपकारी तत्वों की रक्षा करता है।

- ग्राहकों के जीवन और इच्छा के लिए खतरनाक (नुकसान प्रद) सामाग्रियों के विक्रय के विरुद्ध सुरक्षा देने का अधिकार।
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार : सामग्रियों और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति सामर्थ्य, परिशुद्धता तथा मूल्यों के विरुद्ध सूचना पाने का अधिकार।

- वस्तुओं के चुनाव (चयन) का अधिकार - स्पर्धात्मक मूल्यों में विविधता पूर्ण सामग्री का चयन करने या चुनने का अधिकार।
- वस्तुओं के बारे में समझने का अधिकार - ग्राहकों की इच्छा जानकर, पूछकर समझकर उसे ठीक प्रकार से विचार करने का अधिकार।
- शोषण के विरुद्ध समाधान माँगने का अधिकार - ग्राहकों का धोखे या बेइमानी के आचरण के विरुद्ध परिहार माँगने का अधिकार।
- ग्राहक शिक्षा अधिकार : ग्राहकों को अपने अधिकार के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।
- बेइमानी या धोखे के विरुद्ध अधिकार।
- ग्राहकों को उत्तम स्वास्थ्य और भौतिक वातावरण उपलब्ध करके उनको जीवन शैली को उत्तम बनाने का अधिकार।

ग्राहक संरक्षण अधिनियम-2019, यह अधिनियम ग्राहकों का अधिकार रक्षण के लिए ग्राहक संरक्षण प्राधिकार (CCPA- Central Consumer Protection authority) स्थापना के लिए अवसर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रकार ग्राहकों के शोषणों को सेकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्राहक व्याज्यों का परिहार आयोग, राज्य स्तर पर राज्य ग्राहकों के व्याज्यों का उपचार आयोग और जिला स्तर पर जिला ग्राहकों के व्याज्यों का उपचार आयोगों की स्थापना की गयी है। (ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अब अस्तित्व में नहीं है इस के बदले में अब ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 प्रशासनिक बन गया है।)

- 1) जिला ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग।
- 2) राज्य ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग।
- 3) राष्ट्रीय ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग।

इन मंचों या आयोगों के कार्य इस प्रकार है।

1) **जिला ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग :** प्रत्येक जिलों में एक मंच होता है। जिला आयोग के न्यायपीठ पर राज्य सरकार द्वारा नामांकित जिला न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आसीन होता है। यह मंच एक करोड़ रूपयों से अधिक खर्च न होने वाले ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करता है। इसमें दो सदस्य होते हैं। जिनमें एक महिला होती है।

2) राज्य ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग: इस आयोग के राज्य के उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश या वर्तमान न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में सामर्थ्य (क्षमता) युक्त दो सदस्य होते हैं। इनमें एक महिला होती है। यह आयोग एक करोड़ से 10 करोड़ तक के खर्च के ग्राहकों की शिकायत दर्ज करता है।

3) राष्ट्रीय ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग : इस आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अध्यक्ष होता है। यहाँ इनके अतिरिक्त अन्य चार सदस्य होते हैं। ये सार्वजनिक व्यवहार या प्रशासनिक क्षेत्र में दक्ष होते हैं। इनमें से एक महिला सदस्या होती है। यह आयोग एक करोड़ रूपयों से अधिक मूल्य (खर्च) से युक्त ऐसी शिकायतें दर्ज कर उनका फैसला करता है।

ग्राहक द्वारा न्यायालय में दर्ज कराए जाने वाली विधान :

- शिकायते देने के लिए किसी निगधित नमूने नहीं रहती है।
- शिकायतें हस्तलिखित या मुद्रित प्रति में होनी चाहिए।
- इस सूचना में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम, पता और संपर्क संख्या स्पष्टरूप से लिखा हो।
- जिस व्यापारी या उत्पादक के विरुद्ध शिकायत दी जाती है उसका स्पष्ट एवं पूर्ण विवरण हो।
- जिस वस्तु द्वारा नुकसान हुआ है या धोखा हुआ है उसका तथा नुकसान की धनराशी का स्पष्ट विवरण हो।
- नुकसान की उचित समाधान (भरपाई) धनराशि और सत्संबंधी रसीद या बिल जमा करें।
- शिकायत के लिए कोई शुल्क या नामांकन शुल्क नहीं होता।
- ग्राहक सीधे अपनी शिकायत अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती।

अभ्यास:

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. ग्राहक को _____ भी कहा जाता है।
2. धन प्राप्त कर वस्तु या सेवा प्रदान करने वाला _____ होता है।
3. प्रतिवर्ष विश्व ग्राहक दिवस _____ को मनाया जाता है।
4. समाधान (भरपाई) का धन 20 लाख रुपयों से अधिक हो तो शिकायत _____ आयोग में दर्ज करायी जानी चाहिए।

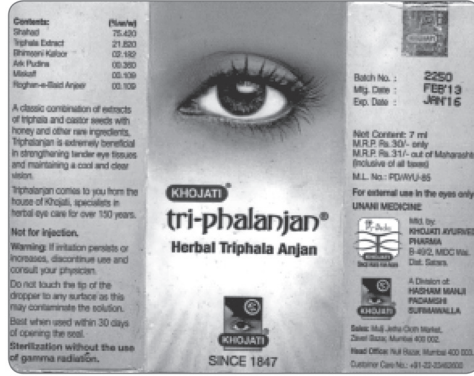
II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए :

5. 'ग्राहक' से क्या तात्पर्य है। ग्राहक किसे कहते हैं?
6. ग्राहक आंदोलन का मूल आशय क्या है?
7. प्रत्येक ग्राहक के अधिकार क्या हैं ?
8. भारत में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ?
9. जिला आयोग के न्यायपीठ के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए :

10. ग्राहकों द्वारा अनुभव किया जा रहा संकट क्या है?
11. उपभोक्ताओं के शोषण का कारण क्या है?
12. ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के चार प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए।
13. तीन सीढ़ियों के ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग के नामों को बताइए।
14. ग्राहक आयोग के न्यायालय को शिकायत करने का विधानों को बताइए।

IV. दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए:



1. पैकेट पर अंकित उत्पादक संस्था का नाम क्या है ?
2. अंकित अधिकतम बेचने का मूल्य कितना है ?
3. इस वस्तु को तैयार किया गया दिनांक क्या है ?
4. किस दिनांक के अंदर इसका उपयोग होना चाहिए ?

V. क्रिया कलाप :

1. आपके जिला केंद्र के जिला ग्राहक आयोग जिला ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग में अपने शिक्षक के साथ जाइए। वहाँ के कार्य विधान पर ध्यान देते हुए सूचना एकत्रित कीजिए ।
2. ग्राहक में जागृति उत्पन्न करने वाले चार नारों को तैयार कीजिए ।
3. 'विश्व ग्राहक दिवस' को प्रभात फेरी का आयोजन कर ग्राहक जागृति की दिशा में स्वयं कार्यरत रहिए ।
4. विविध प्रकार की रसीद (बिल) संग्रह कीजिए ।

VI. परियोजना :

1. एक वस्तु की खरीदारी में यदि आपने धोखा खाया है तो उसकी कल्पना कर जिला ग्राहक जिला ग्राहक व्याज्य समाधान आयोग को शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत का नमूना तैयार कीजिए। आवश्यक दस्तावेजों को आप स्वयं तैयार करें ।